खण्ड-158, अंक-4
गुरूवार, 7 आश्विन, शक संवत् 1877
(29 सितम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 158 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २९ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता वयास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्ननगुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशवभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नंदकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुलहक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद , श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २९ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

थाना मड़ियावां, जिला लखनऊ के थानेदार द्वारा ग्राम छावनी के श्री कंधई की पिटाई

**१--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)-- क्या गृह मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि ता० ३१- ८- ५५ को थाना मड़ियावां जिला लखनऊ के छोटे थानेदार श्री वर्मा ने ग्राम छावनी, मौजा महिबुल्लापुर, थाना मड़ियावां के निवासी श्री कंधई को, जबकि वह अपने लड़के सरूपे को छुड़ाने गया था, बुरी तरह बेंतों से मारा, जिसके फलस्वरूप ता० ९-९-५५ को उक्त कंधई की मृत्यु मेडिकल कालेज में हो गई ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--प्राप्त सूचना से यह ज्ञात होता है कि श्री कंधई को बेंतों से पीटने का आरोप कुछ हद तक सही है। किन्तु उनकी मृत्यु मेडिकल कालेज की छत पर से गिर जाने के कारण हुई।

**२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि पहली सितम्बर को इस मारपीट की रिपोर्ट लखनऊ के सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस श्री देवेंद्र सिंह तथा सुपरिन्टेंडेंट पुलिस श्री त्रिपाठी को दे दी गई थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी मौखिक सूचना एस० एस० पी० (S. S. P.) को दूसरी सितम्बर को मिली।

**३--श्री रामनारायण त्रिपाठी--इस संबंध में थाना मड़ियावां के छोटे थानेदार श्री वर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कधई को इस अस्पताल में किसने दाखिल कराया और उस मारपीट की चोट के लिए दाखिल कराया गया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो मैं नहीं कह सकता कि उनको अस्पताल में दाखिल किसने कराया। संभवतः उनके घर वालों ने कराया होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या उन्हें बेंत की मार-पीट की चोट के लिये ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मार-पीट की नौबत क्यों आई ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसकी तो जांच हो रही है कि क्यों मार-पीट की गयी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या श्री वर्मा, जिन थानेदार ने उनको मारा था वह उसी थाने पर अब भी मौजूद हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह सरकार को मालूम है कि थानेदार ने मारा था तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जैसा मैंने कहा कि इस शिकायत में कुछ सच्चाई मालूम होती है, इसलिये उसकी तफसील से जांच हो रही है। उसके बाद जो भी होगी, मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की तकलीफ फरमायेंगे कि यह जांच किस अफसर द्वारा करायी जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो तरीका होता है। विभाग के द्वारा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच ठीक ढंग से हो सके, इसलिये संबंधित अधिकारी को वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का आदेश करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैं जवाब दे चुका हूं कि विभाग के अधिकारियों द्वारा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर रोशनी डालेंगे कि किन परिस्थितियों में उनकी छत पर से गिर जाने से मृत्यु हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत---वह लगभग पहली तारीख को अस्पताल में दाखिल हुये थे और ८ तारीख को पूर्ण स्वस्थ हो जाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले थे। उन्होंने आग्रह किया कि आज उनको रहने दिया जाय, वह कल सुबह घर जाना चाहेंगे। रात को वह अस्पताल की छत की जो बालकनी है, उसकी ट्रौली पर सो गये, क्योंकि उन्हें रात में गर्मी महसूस हुई। रात में नर्स ने उनको उठाया और उनके कमरे में भेज दिया। लेकिन वह फिर आकर वहां ट्रौली पर सो गये। ट्रौली और बालकनी की छत मिली हुई थी, वह उस पर से लुढ़क गये और नीचे गिर गये। तब लोगों ने आवाज सुनी, डाक्टर्स आये और इलाज किया, लेकिन सुबह तीन बजे उनका देहान्त हो गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार इसकी जांच किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यदि थोड़ा-सा भी इसमें संदेह होता तो अवश्य कराते, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन श्री छेदीलाल वर्मा कांग्रेस कार्यकर्त्ता ने इसकी सूचना एस० एस० पी० को दी वह भी उसके बाद ही गिरफ्तार हो गये और उन पर मुकदमा चलाये जाने का इन्तजाम किया जा रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाये जाने की इत्तला तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह सही है कि पहले श्री छेदीलाल वर्मा ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को कहा था कि बेंतों से मारे जाने के कारण कंधई मरे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनकी यह इत्तला गलत थी और वे छत पर से गिर कर मरे।

हाई स्कूल परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिबन्ध

**४--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार के पास Board of High School and Intermediate Education के फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्होंने Private Candidates के High School इम्तिहान में बैठने में पाबन्दियां लगाई हैं कुछ विद्यार्थियों की दरख्वास्तें आई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जी हां ।

**५--श्री भगवान सहाय--क्या यह सही है कि Board of High School and Intermediate Education इस साल से केवल उन्हीं Private Candidates को इम्तिहान में बैठने देगी जो कि आठवीं कक्षा का Certificate पेश कर सकेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, ऐसे सब विद्यार्थी, जो बोर्ड के विनियम १०, अध्याय १२ के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के अधिकारी है, बैठ सकेंगे ।

*६--श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि Board के इस फैसले से वह Private Candidates जो पारसाल High School की परीक्षा में फेल हो चुके उनको भी बिना आठवें के Certificates के पेश किये बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, यदि वे उक्त विनियम के प्रतिबन्धों को पूरा न करते हों ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की तकलीफ फरमायेंगे कि विनियम १०, अध्याय १२ के अन्तर्गत क्या विनियम हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, यदि आज्ञा हो तो पढ़ दूं, अंग्रेजी में हैं ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, पढ़ दीजिये और संक्षेप में हिन्दी में उनका अर्थ भी बतला दीजिये ।

श्री हरगोविन्द सिंह--"Eligibility of Private Candidates:

The High School Examination shall be open to the following classes of candidates intending to appear as private candidates."

जो हाई स्कूल के इम्तहान में प्राइवेट कैंडिडेट की हैसियत से बैठना चाहते हैं उनमें से यही लोग एलाउ होंगे :

"(*i*) Candidates who have passed the Junior High School Examination or the examination formerly called as Hindustani Middle School Examination or Class VIII of a recognized institution, provided two academical years have elapsed from the date of their passing the said examination."

वही लोग बैठ सकते हैं जो कि जूनियर हाई स्कूल या हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल इम्तिहान या दर्जा ८ पास हों। शर्त यह है कि पास होने और इम्तिहान में बैठने के बीच में दो वर्ष का अन्तर हो ।

"(*ii*) Candidates who have passed Class IX as regular students of a recognized institution, provided one academical year has elapsed from the date of their passing the said examination."

नवां दर्जा पास लड़के भी प्राइवेट बैठ सकते हैं। शर्त यह है कि पास होने और इम्तहान में बैठने के बीच में एक वर्ष का अन्तर हो ।

"(*iii*) Candidates who have failed in the High School or an equivalent examination of 1954 or an earlier year and produce a certificate to this effect with the date of birth entered therein, provided they are otherwise eligible."

जो सन् ५४ में या उसके पहले हाई स्कूल के इम्तिहान या उसी के बराबर किसी दूसरे इम्तिहान में फेल हो गये हों वे अगर बैठना चाहें तो सन् ५६ के इम्तिहान में बैठ सकते हैं। शर्त यह है कि वे एक सार्टिफिकेट इस बात का दें कि जो जन्म तिथि है वह ठीक है ।

"(*iv*) Candidates who have attended the continuation classes for two academical years and furnish a certificate to this effect that the date of birth entered therein from the Head of the institution at which they studied, subject to the condition that before joining the class the candidate had passed the Junior High School Examination or Class VIII of a recognized School."

जो दो साल तक कंटिनुएशन क्लास में पढ़े हों और इस बात का सार्टिफिकेट दें कि उसके पहले वे जूनियर हाई स्कूल या दर्जा ८ पास कर चुके थे ।

"(*v*) In the case of a student who has left a recognized institution (including a Junior High School and not a Primary School) at a stage earlier than the High School stage the interval between his leaving the School and his admission to the High School Examination as a private candidate shall not be less than the time he would have taken to be eligible for admission to the examination if he had continued at the institution even if he had passed the Junior High School Examination or Class VIII of a recognized institution."

वे लोग भी प्राइवेट कैंडिडेट की हैसियत से बैठ सकते हैं जो प्राइमरी स्कूल के ऊपर की कक्षाओं से पढ़ना छोड़े हों बशर्ते कि उनके इम्तिहान में बैठने और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बीच का समय उससे कम न हो जो कि अगर वे स्कूल में ही पढ़ते रहते तो बैठने में लगता चाहे वे जूनियर हाई स्कूल या दर्जा ८ पास भी क्यों न किये हुये होते ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थी नवें दर्जे में पास हुए हैं और उनका नतीजा मई में निकला है तो वह आगामी मार्च में इम्तिहान दे सकेंगे या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह— यह तो हिसाब की बात है, अगर एक वर्ष इम्तिहान पास होने के बीच हो गया है तो दे सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इम्तिहान न देने के जो आदेश जारी किये गये हैं वह १७ सितम्बर, १९५५ को दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, यह सही नहीं है कि आदेश १७ सितम्बर, १९५५ को दिये गये हैं बल्कि यह तो ५४ में हो गये थे लेकिन १९५७ के सिलेबस में गलती से १९५५ लिख दिया गया था। उसको १७ सितम्बर, १९५५ को करेक्ट करके १९५४ कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने विधान परिषद् में आश्वासन दिया था कि इस नियम पर हस्तक्षेप किया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसी नियम पर तो विचार हो रहा है, जो नियम था वह मैंने बतला दिया।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी उन कैंडीडेट्स के लिये जो पारसाल हाई स्कूल एक्जामिनेशन में बैठ चुके हैं, ऐसा प्रबन्ध करेंगे जिससे वह इस साल बैठ सकें ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका संबंध सरकार से नहीं है। वह एक आटोनामस बौडी है और उसने निश्चय किया है कि वह नहीं करेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लड़कों ने जूनियर हाई स्कूल सातवीं क्लास में पास किया है, पहले आठवीं क्लास में होता था वह भी बैठ सकेंगे या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसमें जो हिन्दी एक्जामिनेशन पहले था वह भी लिखा हुआ है और जूनियर हाई स्कूल का भी लिखा हुआ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार लड़कियों को इस नियम से छूट देने के लियें विचार कर रही हैजिससे उनको असुविधा न हो ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नियम से कितने लड़के और लड़कियां प्रभावित होंगी ? उनकी संख्या क्या होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोई संख्या मेरे पास नहीं है और न इसके एकत्रित करने की आवश्यकता ही प्रतीत हुई। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बोर्ड की यह राय है कि शायद ५–७ हजार लड़कों का नुकसान होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि इस आदेश के निकलने के पहले फेलियर्स लड़कों की फीस दाखिल हो चुकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह सम्भव है कि ऐसा हुआ हो लेकिन फार्म में लिख दिया था कि वही लड़के फीस दाखिल करें जो ५४ में फेल हुये हैं लेकिन बावजूद इसके क्योंकि प्राइवेट कैंडीडेट्स इतने होते जा रहे हैं कि समय नहीं होता कि ठीक से देख सकें इसलिये अगर उनको फार्म दे दिये गये होंगे तो उन्होंने ले लिये होंगे। लेकिन अगर वह नहीं बैठ पायेंगे तो उनकी फीस वापस हो जायगी। इमसाल ही ऐसा नहीं है, बल्कि हर साल ऐसा होता है, इमसाल ज्यादा हुआ है।

श्री शिवनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लड़के फेल हुये हैं उनको पुनः चांस देने के लिये सरकार बोर्ड को लिखेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा कोई कायदा नहीं है कि गवर्नमेंट बोर्ड को लिखे।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—जो विद्यार्थी पिछले वर्ष परीक्षा में फेल हो चुके हैं क्या उनको भी इस वर्ष आयु का प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जो सन् १९५६ के इम्तिहान में ५५ के फेल्योर बैठ सकते हैं वह तो प्राइवेट कैंडीडेट की हैसियत से अपने फार्म में भर सकते हैं कि उनकी डेट आफ बर्थ क्या है और जो बैठ नहीं पायेंगे उनका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि पुराने नियम और आदेश में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, पहले बोर्ड में जितने प्राइवेट लोग इम्तिहान में बैठते थे उनमें अधिकांश बल्कि करीब ९० फीसदी यह देखा गया कि वे लोग ऐसे हैं जो अपना गलत फार्म भर कर कह देते थे कि हमने किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है । इससे इम्तिहान का स्तर नीचा हो जाता था और उनकी संख्या बढ़ती गयी । इस लिये बोर्ड ने यह ठीक समझा कि आठवां दर्जा पास करने के दो वर्ष के बाद ही वह लोग प्राइवेट इम्तिहान दे सकते हैं ।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार उन विद्यार्थियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की कार्यवाही की है कोई ऐक्शन लेने की बात पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह इतना बड़ा काम है कि अगर इन्टरमीडियेट बोर्ड दफ्तर के बराबर और भी कई दफ्तर खोले जायं तब भी पता चलना मुश्किल है कि १, १।। लाख विद्यार्थियों में किसने गलत फार्म भरा है ।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो प्राइवेट छात्र सन् १९५५ में फेल हो चुके हैं और जिनको इस वर्ष प्राइवेट परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिली है तो क्या अब वह नियमित छात्रों की हैसियत से प्रवेश पा सकते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, जिस कक्षा के योग्य हैं उसमें वह अपना प्रवेश पा सकते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि सन् १९५१ के प्रास्पेक्टस में इस प्रकार का संकेत नहीं था कि ५५ के बाद जो लड़के आठवें दर्जे का सर्टिफिकेट नहीं दे सकेंगे इस परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह रेगुलेशन सन् १९५४ में बना, लिहाजा ५१ में नहीं हो सकता था ।

तारांकित प्रश्न

राजनीतिक पेन्शनर्स

*१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूरे प्रदेश में कुल कितने व्यक्तियों को कुल कितने रुपये की राजनैतिक पेन्शन प्रतिमाह दी जाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—११४१ व्यक्तियों को २८,०८५ रू० पेन्शन प्रतिमास मिलती है ।

*२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार उनकी जिलेवार संख्या जिलेवार रकम के साथ बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२४-३२६ पर)

मेहदावल जिला बस्ती में प्राकृतिक दुर्घटना की अफवाह

*३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेहदावल (बखिरा ताल, जिला बस्ती) में कुछ समय पूर्व भयानक धामाके के साथ अचानक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा बहुत गहरा भीतर धंस गया है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जांच करने पर पता चला है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई यद्यपि इस विषय में कुछ अफवाह अवश्य थी ?

*४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार इस प्राकृतिक घटना के विवरण पर सदन में पूर्ण प्रकाश डालने का कष्ट करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

*५—श्री झारखंडे राय—क्या इस प्राकृतिक घटना से कोई हानि भी हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस अधिकारी द्वारा करायी गयी यह तो मैं नहीं जानता लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हमको लिखा है कि इस किस्म का धमाका वहां पर नहीं हुआ ।

बांदा की कोतवाली पुलिस द्वारा कांस्टेबिल नोनेजू के घर पर डाकुओं की गिरफ्तारी

*६—श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि जिला बांदा की कोतवाली पुलिस ने एक कांस्टेबिल के घर पर ६ खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया ? यदि हां, तो उस कांस्टेबिल के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कांस्टेबुल नोने जू के घर पर केवल ३ डाके के अभियुक्त पकड़े गये । दो अन्य सम्बन्धित अभियुक्त बाद में पकड़े गये । उक्त कांस्टेबुल को भी गिरफ्तार किया गया और उस पर अन्य अभियुक्तों के साथ डकैती का मुकदमा चलाया जा रहा है ।

*७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इन डाकुओं के पास से कौन-कौन से हथियार एवं सामग्री बरामद की गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२७ पर)

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह डाकू जो कानिस्टबिल के घर पर पकड़े गये यह बांदा जिले के हैं या दूसरी जगह के ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह तो नहीं कहा जा सकता कहा क थ । उनका तफसील इकट्ठा की जा रही है कि वह कहां के हैं और पहले के उनके ऊपर क्या-क्या जुर्म हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ६ डाकू गिरफ्तार हुए हैं उनमें कोई मानसिंह के गिरोह का भी था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना अभी नहीं मिली है ।

बेल्हा, प्रतापगढ़ में बिजली लगाने का विचार

*८—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि उसने बेल्हा, प्रतापगड़ में बिजली लगाने का निश्चय किया है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—जी हां ।

*६—श्री रामनरेश शुक्ल—यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह—सर्व श्री दी रोहतक एन्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट्स इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड का प्रतापगढ़ शहर में बिजली की सप्लाई के लिये लायसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र १२ जुलाई, १६५५ को लीडर अखबार में छपा, और २० अगस्त, १६५५ के सरकारी गजट में छाप दिया गया है । तारीख १२ अक्तूबर, १६५५ तक आपत्ति पत्र (objections) लिये जायंगें । इसी बीच में प्रतापगढ़ से यह सूचना मिली है कि लाइसेंसी के द्वारा वहां बिजली न लगवाई जाए । यह बात विचाराधीन है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रतापगढ़ में बिजली किस प्रकार से लगायी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है । प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, उन पर एतराज वगैरा आ रहे हैं । उसके बाद ही विचार किया जायगा ।

श्री रामनरेश शुक्ल—इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय सरकार कब तक देगी ?

श्री धर्मसिंह—अभी तो समय लगेगा । इसमें १२ अक्टूबर तारीख दी गयी है । उसके बाद ही निर्णय होगा ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बातयेंगे कि प्रतापगढ़ से किस जरिये से उस पर विरोध आया है कि कंपनी को लाइसेंस न दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—म्युनिसिपल बोर्ड, प्रतापगढ़ के प्रेसीडेंट का एक पत्र आया था जिसमें प्रार्थना की गयी थी कि वहां के बिजली के काम को किसी कंपनी को न दे कर सरकार स्वयं अपने हाथ में ले ।

श्री रामरेश शुक्ल—क्या सरकार उसको अपने हाथ में लेने की सोच रही है ?

श्री धर्म सिंह—इस तरह की कोई बात सरकार के विचाराधीन नहीं है जब कंपनी के बारे में एतराज आयेंगे तो उस समय विचार करके निर्णय किया जायगा ।

*१०-१२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१७ अक्तूबर, १६५५ के लिये प्रश्न ११-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

थाना जलालपुर, जिला हमीरपुर की नई इमारत बनवाने की योजना

*१३—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में कौन-कौन से पुलिस थानों की नवीन इमारत बनवाने की योजना है और वह कब तक प्रारम्भ होगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जिला हमीरपुर में केवल पुलिस थाना जलालपुर की नवीन इमारत बनवाने की योजना है । इस पर कार्य शीघ्र आरम्भ होगा ।

*१४—श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार ने इस पर भी विचार किया है कि जो थाने अपने कार्य क्षेत्र के केन्द्र में नहीं हैं उनको कार्य क्षेत्र के केन्द्र में बनवाया जाय ? अगर किया है, तो वह कौन से थाने हैं ?

श्री जगन प्रसद रावत--जो नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि जो नवीन थानों का निर्माण हो वह उस क्षेत्र के केन्द्र में ही हो ?

श्री जगन प्रसाद रावत--थानों के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि उस क्षेत्र में जो गांव हों वह उनके केन्द्र में हों।

प्रतापगढ़ में स्वतन्त्रता दिवस समारोह में विघ्न

*१५--श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि १५ अगस्त, १९५५ को प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में हादीहाल में कार्यक्रम होते समय कुछ व्यक्तियों ने उसे भंग करने का प्रयत्न किया ? यदि हां, तो वे लोग कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, शिक्षण तथा प्रसार योजना, प्रतापगढ़ के कुछ शिक्षार्थियों ने उत्सव में विघ्न डालने का प्रयत्न किया। उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

देवरिया जेल से रामजियावन बन्दी को छोड़ने में विलम्ब

*१६--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जुलाई या अगस्त माह में देवरिया में किसी बन्दी ने जमानत पर छूटने का आदेश पाया, लेकिन जेल से चार दिन बाद छूटा ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--जी हां।

*१७--श्री केशव पांडेय--क्या यह सही नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ने का आदेश जेल को दिया था ? यदि हां, तो फिर वह आदमी चार दिन बाद क्यों छोड़ा गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--महावीर सिंह के पुत्र राम जियावन कैदी को जिसको Excise Act की धारा ६० के अन्तर्गत एक माह की सजा हुई थी, जमानत पर छूटने का आदेश जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देवरिया के इजलास से २ जुलाई, १९५५ को शाम के ५ बज कर २५ मिनट पर देवरिया जेल पहुंचा था परन्तु मैजिस्ट्रेट का यह आदेश न तो नियमानुकूल किसी डाक बुक पर चढ़ा था और न कचहरी के चपरासी के द्वारा प्राप्त हुआ था। इसलिए वह उसी दिन वापस कर दिया गया। ५ जुलाई, १९५५ को वह आदेश नियमानुकूल फिर जेल पर प्राप्त हुआ और बन्दी को उसी दिन छोड़ दिया गया।

*१८--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार इसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसका विवरण पिछले प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री केशव पांडेय--क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जेल पर जो जमानत मंजूरी के कागजात गए थे उनमें क्या अनियमितता थी ?

श्री मुम्मद रऊफ जाफरी--पहले जबाव में बता दिया गया था कि नियम यह है कि वह आर्डर डाक बही के ऊपर चढ़ कर जाना चाहिए लेकिन वह नहीं था और दूसरी अदालत का चपरासी उसको लेकर गया, इस संबंध में भी तामील नहीं हुई।

श्री केशव पांडेय--फिर वह जमानती कागज किसके द्वारा जेल पर गया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--वह तो एक कानिस्टेबिल था जो हवालातियों को ले आता था, वही ले आया था ।

श्री केशव पांडेय--क्या यह सही है कि जब से देवरिया जिला बना है तब से २ भाई तक शायद जमानती कागज हवालात के इन्चार्ज द्वारा ही जाते थे और तामील भी होते थे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसकी इत्तला नहीं है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जमानती कागज सही फार्म में था और अदालत की मोहर आदि के साथ था या जमानती कागज में कोई कमी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्योंकि वह चढ़कर नहीं गया था इसलिये उस वक्त नहीं कहा जा सकता था कि उसमें क्या था लेकिन बाद में जो गया वह नियमानुसार ठीक था ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या रिलीज आर्डर के साथ डाक बही भी जेलखाने जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नियम यह है कि "Such orders shall contain full particulars in regard to the prisoner to be released and shall be sent by courts as far as possible through court peons after having been duly entered in the dak book." इसलिए वह जरूर जाया करती होगी ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--क्या वहां के जेलर ने इस सम्बन्ध में जिन मैजिस्ट्रेट का आर्डर था उनसे कनटेक्ट करने की कोशिश की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमें इसकी इत्तला नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं यह जेलर की ड्यूटी भी नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह आर्डर जो दिया गया था वह किसी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का आर्डर था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता इस वक्त कि किस मैजिस्ट्रेट का आर्डर था ।

श्री केशव पांडेय--क्या यह सही है कि उस हवालाती के पैरोकार ने मैजिस्ट्रेट को ५ तारीख को इत्तला दी थी कि उस कैदी को घूस न देने के कारण नहीं छोड़ा जा रहा है और बाद में वह छोड़ा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस तरह की हमें इत्तला नहीं है ।

श्री केशव पांडेय--क्या सरकार इस प्रश्न को नोटिस समझ कर उस जेल की व्यवस्था के बारे में जांच करायेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझा नहीं किस चीज की व्यवस्था के लिये जांच करायी जाय । किसी मामले में किसी आदमी ने किसी मैजिस्ट्रेट से कह दिया कि फलां आदमी ने घूस ले ली है तो जब तक यह स्पष्टीकरण न हो कि क्या शिकायत है और कितने रुपये की शिकायत है तब तक किस बात की जांच कराई जाय ?

भाटापार रानी, जिला देवरिया में गांधी चबूतरे से कांग्रेसी झंडा हटाना

*१९--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भाटापार रानी, जिला देवरिया में श्री गांधी चबूतरा पर फहराये हुये राष्ट्रीय ध्वज को गत २६ अगस्त के दिन कुछ लोगों ने उतार कर लात से कुचला है और इसके स्थान पर काला झंडा फहराया है ? यदि यह सत्य है तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ स्थानीय विद्यार्थियों ने गत २६ अगस्त को गांधी चबूतरे पर फहराया गया कांग्रेस का झंडा उतार लिया था, परन्तु न तो उसे कुचला गया और न उसके स्थान पर काला झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय झंडे का इस घटना से कोई संबंध नहीं था।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस विषय में कोई गिरफ्तारी भी हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझे मालूम है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गांधी चबूतरे पर राष्ट्रीय झंडा न लगाकर कांग्रेस का झंडा क्यों लगाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं समझता हूं गांधी चबूतरा कोई प्राइवेट चीज होगी जो शायद कांग्रेस कमेटी के कब्जे में होगी और इसलिये कांग्रेस कमेटी ने अपना झंडा लगाया होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी, जिनसे कि कांग्रेस का झंडा उतारा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो लोग ऐसी बेहूदी हरकतें करते हैं उनसे माननीय सदस्य पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह गांधी चबूतरा ग्राम सभा की प्रापर्टी होता है इसलिए वहां कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया जा सकता ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि कुछ गांधी चबूतरे तो ऐसे जरूर हैं जो प्राइवट प्रापर्टी हैं और कांग्रेस कमेटियों के कब्जे में हैं। बाकी इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें इतनी ज्यादा जगह, १००, २०० या १,००० गांधी चबूतरे हो सकते हैं, उन सब की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि जिस गांधी चबूतरे का यहां वर्णन किया गया वह किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं था बल्कि सार्वजनिक था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरी सूचना तो यही है कि सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक इस माने में नहीं है कि किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था का नहीं है। लेकिन अगर वह इस बात को कहते हैं कि वह सार्वजनिक है तो मैं इस बात का पता लगा सकता हूं।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस गांधी चबूतरे के संबंध में विद्यार्थियों से संघर्ष के कारण क्या थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने सुना है कि पटना या गोआ दिवस ऐसे ही किसी दिवस को मनाने के सम्बन्ध में ऐसा हुआ था।

नोट--तारांकित प्रश्न १९ श्री झारखंडे राय ने पूछा।

श्री रामेश्वर लाल--क्या यह सही नहीं है कि उक्त गांधी चबूतरा उन सम्बन्धित विद्यार्थियों के स्कूलों के हाते के साथ सटा हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हो सकता है ।

*२०--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--[१३ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

आयंगर समिति की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार

*२१--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्युत विभाग के लिये आयंगर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वह विद्युत-बोर्ड कब तक बना देगी ?

श्री धर्मसिंह--इस विषय पर इन दिनों केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

*२२--श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयंगर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ६ डिवीजन अर्थात् रुड़की, मेरठ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़ और बदायूं के बजाय चार डिवीजन कब बनायेगी ?

श्री धर्मसिंह--आयंगर कमेटी की सिफारिश सिर्फ यह नहीं थी कि चार डिवीजन बनाये जायं बल्कि उसके साथ यह भी थी कि उस वक्त के छः डिवीजनों को रीअरेन्ज (re-arange) करके चार में कर दिया जाय और दो नये डिवीजन एक चंदौसी और हरदुआगंज पावर स्टेशन का और दूसरा टेस्टिंग (Testing) का खोल दिये जायं। बाद की हालतों की वजह से आयंगर समिति की सिफारिशों को मानना मुमकिन न हो सका ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आयंगर समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी हैं जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है?

श्री धर्मसिंह--उनकी बहुत सी सिफारिशें थीं और अभी जैसा बतलाया गया पहली सिफारिश यह थी कि बोर्ड बनाया जाय, दूसरी यह थी कि ६ डिवीजन्स को अरेंज करके ४ डिवीजन्स कर दिये जायं और दो नये डिवीजन खोल दिये जायं, इसके अलावा और बहुत सी सिफारिशें थीं जिनके लिये पत्र-व्यवहार हो रहा है। उसके बाद कुछ निर्णय हुआ है कि कौन-सी कार्यान्वित हो पाई और कौन-सी नहीं हो पाई।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के सामने वह कौन-सी बाधायें हैं जिनके कारण आयंगर समिति की सिफारिशों को माना नहीं जा सका ?

श्री धर्मसिंह--आयंगर समिति की सिफारिशें सन् १९५४ में आई थीं। उस वक्त में और इस वक्त में बहुत अन्तर है। इस वक्त बिजली का कार्य बहुत बढ़ गया है। इसलिये वह सभी सिफारशें नहीं मानी जा सकीं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एलेक्ट्रीसिटी सप्लाई ऐक्ट, सन् १९४८ की धाराओं के अनुसार भी प्रदेश में एक विद्युत का बोर्ड बन जाना चाहिए था ?

श्री धर्मसिंह--उत्तर में यह बतलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार से इस बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है और ज्यों ही कुछ निर्णय होगा उसके बाद इस पर विचार किया जायगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में जो बातें हुई हैं उन पर निर्णय कब तक सरकार ले लेगी ?

श्री धर्मसिंह--यह तो केन्द्रीय सरकार के हाथ में है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अन्तिम पत्र इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार से केन्द्रीय सरकार को कब लिखा गया था ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

इलाहाबाद जिले के राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*२३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या यह सही है कि राजनैतिक पीड़ितों को जो सहायता सरकार की ओर से दी जाती है उसमें कांग्रेस कमेटी की सिफारिश आवश्यक समझी जाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी नहीं।

*२४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिला तथा नगर में कितने लोग राजनैतिक-पीड़ित समझे गये हैं और उनको रुपया दिया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--१०१ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें राजनैतिकपीड़ित मानकर अब तक सरकार द्वारा मासिक पेंशन अथवा एक मुश्त सहायता दी गयी है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो फार्म राजनीतिकपीड़ित की सहायता के लिये छापे गये हैं उसके एक कालम में कांग्रेस के किसी पदाधिकारी से सिफारिश के लिये लिखा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य ने शायद इस फार्म को पढ़ा नहीं है। उसमें कांग्रेस कमेटी का भी है, इसके अतिरिक्त कोई दो आदमी जो उसके साथ जेल में रहे हों उनका नाम भी है। उसमें जिला मैजिस्ट्रेट का भी नाम है या कोई रेस्पेक्टेबिल आदमी का नाम है जिसकी सिफारिश होनी चाहिये उसमें कई शर्तें हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि राजनीतिक सहायता पाने वालों में कितने व्यक्तियों को माहवारी पेंशन दी जाती है और कितनों को एक मुश्त रकम दी गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इलाहाबाद जिले में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको माहवारी पेंशनें दी जाती हैं या जिनको सहायता दी जाती है इनका उत्तर पहले हाल में एक प्रश्न के उत्तर में दे चुके हैं। यह मैंने दोनों के आंकड़े मिलाकर बताये हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्य राजनैतिक दलों की कमेटियों के प्रमाण-पत्र की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, ठीक यही सवाल उस वक्त आया था जबकि राजनैतिकपीड़ितों के संबंध में बहस थी। फिर मैं उन बातों को निवेदन कर दूं जो उस वक्त मैंने जवाब में कही थीं। ज्यादातर राजनैतिकपीड़ित कांग्रेस के अन्दर हैं और जो आज कांग्रेस में नहीं हैं वे भी किसी समय कांग्रेस में ही थे और उनका सबसे ज्यादा रिकार्ड कांग्रेस से ही मिल सकता है। इस तरह से तो न जाने कितनी और पार्टीज टूटती और बनती चली जायंगी और किस किस के लिये इस तरह से प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की जायगी। लिहाजा किसी को कोई नुकसान न हो जाय इसलिये हमने यह तरीका रख दिया ताकि कोई शख्स बच न जाय।

भ्रष्टाचार निवारण हेतु केन्द्रीय सरकार की कथित योजना

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु कोई नई योजना प्रदेशीय सरकार के पास भेजी है? अगर हां, तो उपर्युक्त योजना के कार्यान्वित करने के हेतु कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या केंद्रीय सरकार ने किसी भ्रष्टाचार निवारण योजना पर राज्य सरकार से परामर्श किया है? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केंद्रीय सरकार ने अपने संबंध में चाहे कुछ किया हो। हमसे राय पूछने की कोई अब आवश्यकता नहीं थी।

कोआपरेटिव आडिट आर्गेनाइजेशन फ़ाइनेन्स डिपार्टमेंट के आडीटर्स को संशोधित वेतन न मिलना

*२६—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आडिटर्स कोआपरेटिव आडिट आर्गेनाइजेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को बजट में पास हुये संशोधित वेतन-क्रम अब तक क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

श्री धर्मसिंह—सरकार ने पी० एस० सी० की सलाह से यह निश्चय किया है कि वह आडीटर जो उस इम्तिहान को पास कर लें जिसकी शर्त लगा दी गई है वह संशोधित वेतन पावें।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि आडिटर्स के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में मंत्री महोदय से मिलने की प्रार्थना की है?

श्री धर्म सिंह—जी हां, प्रार्थना की थी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह भी सत्य है कि इस प्रतिनिधि मंडल को मिलने की इजाजत नहीं दी गई और यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, एक जी० ओ० सरकार ने एसोसियेशन के पास भेजा था। उसमें यह कहा था कि तुम्हारे जो स्केल हैं तब रिवाइज होंगे जब किसी इम्तिहान को पास कर लो, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि हम सरकार की परवा नहीं करते, न जी० ओ० की परवाह करते हैं। मंत्री जी ने जब डेपुटेशन मिलने आया तो कहा कि पहले वे अपना प्रोटेस्ट वापस लें, तब मिल सकेंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि कोआपरेटिव के आडीटर्स जो इस वेतन-क्रम में काम कर रहे थे बिना किसी परीक्षा के पास किये हुये नये संशोधित वेतन पर रहे हैं?

श्री धर्मसिंह—हो सकता है। इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि आडिटर्स द्वारा एक प्रस्ताव पास करने की वजह से सरकार इस मामले को हल नहीं करना चाहती है?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है।

*२७—श्री तेजप्रताप सिंह—[१० अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८-२९—श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—[१३ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले में दिये गये आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

*३०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में १ जनवरी, १९५५ से ३१ जुलाई, १९५५ तक बन्दूकों आदि के कितने लाइसेंस दिये गये? इनमें कितने राइफल, बन्दूक, कितने पिस्तौल-रिवाल्वर के हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुल ४७ लाइसेंस दिये गये जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है—

बन्दूक	..	.. ३५
राइफल	..	.. १
रिवाल्वर	..	.. ३
पिस्तौल	..	.. ८

*३१—श्री देवदत्त मिश्र—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि के अन्तर्गत उन्नाव में दिये गये लाइसेंसों में पुरवा तहसील और उसके अन्तर्गत दक्षिण पुरवा निर्वाचन क्षेत्र को कितने लाइसेंस दिये गये?

श्री जगन प्रसाद रावत—तहसील पुरवा में २ तथा दक्षिण पुरवा निर्वाचन क्षेत्र में १ लाइसेंस दिये गये।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अवशिष्ट तहसीलों में प्रत्येक को क्रमानुसार कितने लाइसेंस दिये गये?

श्री जगन प्रसाद रावत—बाकी तहसीलों की इत्तला तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अवधि में पुरवा तहसील में लाइसेंसों के कितने प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी भी कोई इत्तला नहीं है।

तहसीलों में एस० डी० ओज० के निवासस्थान

*३२—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी जांच से किन तहसीलों में ऐसे भवनों का पता चला है जिनमें वहां के एस० डी० ओ० रह सकते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन स्थानों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२८ पर)

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर में संलग्न सूची के कितने स्थानों पर एस० डी० ओ० रहने लगे हैं और शेष कितने समय में रहने लगेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे ख्याल से उनमें से शायद ही किसी एक जगह रहने लगे हों। उसकी आज्ञा जल्दी जारी की जाने वाली है, क्योंकि महज एस० डी० ओ० के रहने से काम नहीं चलेगा। एस० डी० ओ० के रहने के बाद यह भी देखना होगा कि वहां कुछ मुकदमे होंगे और अगर मुकदमे होंगे तो हवालात का प्रबन्ध होना चाहिये। जहां यह प्रबन्ध हो जायगा इस संबंध में बहुत जल्दी आज्ञा जारी की जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में भी ऐसा कोई स्थान प्राप्त हो सका है जहां एस० डी० ओ० जा कर रह सकें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बुलन्दशहर में ऐसा कोई स्थान नहीं है।

विधायक निवासों के सामान का नीलाम

*३३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि विधायक निवासों का कुछ फर्नीचर गोदाम में रखा गया है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास में जो फर्नीचर नीलाम किया गया उसमें से ज्यादातर ऐसा था जो छतरमंजिल से आया था और जो या तो इस्तेमाल के काबिल नहीं था या जिसकी जरूरत नहीं थी। नीलाम किये जाने वाले फर्नीचर की फेहरिस्त मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२९–३३० पर)

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह फर्नीचर किस के द्वारा नीलाम करवाया गया ?

श्री धर्मसिंह—एक यहां नीलाम करने वाली कम्पनी है जिसका नाम ब्रेसर्स शंकर ऐंड संस है, उसको कुछ परसेंटेज दिया गया और उनसे नीलाम कराया गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन नीलामों से सरकार को कितनी आय हुई ?

श्री धर्मसिंह—जो पहला नीलाम किया गया वह १–१–५३ को किया गया और उससे २५२ रु० ८ आने आये, दूसरा नीलाम १२–१२–५३ को हुआ और उससे १,२८६ रु० १४ आने आये, तीसरा नीलाम १४-३-५४ को हुआ और उससे १,३९९ रु० १३ आने आये।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि कोई अधिकारी इस बारे में नियुक्त है जो देखता है कौन-सा फरनीचर अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रह गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलाम करने वाली कम्पनी को किस दर से कमीशन मिलता है ?

श्री धर्मसिंह—इस केस में ४ परसेंट के हिसाब से देने का वायदा था।

खटीमा पावर हाउस से मुरादाबाद-चन्दौसी लाइन पर बिजली न मिलना

*३४—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि खटीमा पावर हाउस से मुरादाबाद तथा चंदौसी को बिजली ले जाने वाली लाइन पर अभी तक बिजली नहीं छोड़ी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। क्योंकि राम गंगा नदी पर क्रासिंग अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि योजना के अनुसार यह लाइन कब तक पूरी हो जानी चाहिये थी ?

श्री धर्मसिंह—जून, १९५६ तक हो जानी चाहिये थी और तभी तक होगी।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस रामगंगा तहसील को छोड़कर शेष लाइन कब पूरी हो चुकी है ?

श्री धर्मसिंह—समय तो मैं निश्चयपूर्वक नहीं बता सकता लेकिन यह ठीक है कि रामगंगा क्रासिंग को छोड़ कर दोनों तरफ लाइन पूरी हो गई है।

श्री जगदीश प्रसाद—यह रामगंगा क्रासिंग की लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—मैंने बताया कि जून, १९५६ तक हो जायगी ।

*३५-३७—श्री महमूदअली खां (जिला सहारनपुर)—[१२ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न ५१-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३८—श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)—[२० अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

कोआपरेटिव मार्केटिंग व डेवलपमेंट यूनियन, हाथरस को कथित अनुदान

*३९—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव मार्केटिंग व डेवलपमेंट यूनियन, हाथरस को कितना रुपया सन् १९५३-५४ व १९५४-५५ में अनुदान के रूप में व ऋण के रूप में दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—कोआपरेटिव मार्केटिंग व डेवलपमेंट यूनियन, हाथरस को सन् १९५३-५४ व १९५४-५५ में सरकार द्वारा कोई अनुदान व ऋण नहीं दिया गया है।

*४०—श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया किस प्रकार से व्यय किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा तथा मथुरा जिलों में बन्दूक के लाइसेंस बढ़ाने की मांगें

*४१—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तथा मथुरा के उस आतंकित क्षेत्र में जहां राहजनी व डकैती बढ़ रही है अधिक मात्रा में बन्दूकों के लाइसेंस देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—आगरा तथा मथुरा के डकैतियों के क्षेत्र में बन्दूकों के लाइसेंस उदारतापूर्वक दिये जा रहे हैं ।

*४२—श्री रामहेत सिंह—क्या सरकार द्वारा ऐसे आतंकित क्षेत्रों के लिये स्थानीय अधिकारियों के पास आदेश भेजे गये हैं कि गांव की रक्षा समितियों को मुफ्त हथियार दे दिये जायं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसे कोई आदेश नहीं भेजे गये हैं ।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से ऐसा आदेश मथुरा व आगरा के आतंकित क्षेत्रों के बारे में दिया गया है कि वहां के रहने वालों को बगैर किसी कठिनाई के अपनी रक्षा के लिये लाइसेंस दिये जायं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कोशिश तो यही होती है कि लाइसेंस लेने में किसी को कठिनाई न हो ।

श्री रामहेत सिंह—क्या यह सही है कि अभी तक उन गांवों के लिये जिनकी आबादी २ और ३ हजार तक की है, एक-एक, दो-दो लाइसेंस भी नहीं दिये गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये तो गांव के लोग जब दरख्वास्त दें तो उस पर विचार करके उनको लाइसेंस दिया जा सकता है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी आगरा व मथुरा जिलों में रक्षा समितियों को कुछ हथियार मुफ्त देने पर विचार करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मुफ्त देने का तो विचार नहीं है लेकिन यह कोशिश जरूर की जाती है कि हमारे पास मालखानों में जो हथियार हैं उनको हम कम से कम कीमत पर ऐसी रक्षा समितियों को दे सकें ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि आगरा और मथुरा के आतंकित क्षेत्रों में जो लाइसेंस दिये गये हैं और जिनको दिये गये हैं, वह अच्छे मार्क्समैन साबित हो सकें क्या इसके लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो लाइसेंस देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है और अब जो नये लाइसेंस देते हैं उनमें यह भी कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों से हम पूछें, गांव सभा से भी इस बात का पता लगायें कि जो लाइसेंस मांग रहा है वह सार्वजनिक हित से उपयुक्त है या नहीं ।

*४३-४४---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये ।]

खटीमा से बिजलीघर तक सर्विस रोड बनाने में अनुमान से अधिक व्यय

*४५---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा खटीमा से बिजली घर तक चार मील की सर्विस रोड बनाने के लिये ४०,००० रुपये की रकम रखी गई थी परन्तु पुनर्वीक्षण प्राक्कलन में आरम्भिक प्राक्कलन से २,६०,००० रुपये की रकम अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, पहले चार मील कच्ची सड़क बनाने का विचार था और इसकी लागत १०,००० रुपये प्रति मील अनुमानित की गई थी । चूंकि इस क्षेत्र में वर्षा १०० इंच प्रति वर्ष होती है और शारदा पावर हाउस के बनाने की वजह से उस सड़क पर भारी गाड़ियों का आना जाना होगा इसलिये उसे पक्का बनवाने का निश्चय किया गया । सड़क को पक्का कराने का अनुमानित व्यय ७,५०० रुपये प्रतिमील था इसलिये मूल संशोधन तथा अनुमानित व्ययों में ६५,००० रुपये प्रति मील तथा कुल २,६०,००० रुपये का अन्तर है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एक मील पुख्ता सड़क बनाने में सामान्यत: ५० हजार रुपया खर्च बैठता है ?

श्री धर्मसिंह---पड़ता होगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सड़क बन कर तैयार हो गई या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, बन कर तैयार हो गई है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरा खर्चा कुल कितना हुआ सड़क बनाने में ?

श्री धर्मसिंह---वह तो अभी बताया था कि ४ मील की सड़क थी और ९५ सौ रुपया प्रतिमील के हिसाब से खर्च हुआ ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जितनी सड़क बनकर तैयार हो गई उसका ऐक्चुअल खर्चा कितना हुआ ?

श्री अध्यक्ष---वह तो बता दिया उन्होंने ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो श्रीमन्, अनुमानित व्यय बतलाया गया ।

श्री धर्मसिंह---इस तरह के मेरे पास आंकड़े नहीं हैं और माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा ।

अतिदिष्ट तथा पुर्नानियुक्त गजटेड आफ़िसर

*४६--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार सदन की मेज पर एक ऐसी सूची रक्खेगी जिसमें उन गजेटेड पदाधिकारियों के नाम हों जो १ जुलाई, १९५५ को एक्सटेन्शन (extension) पर थे या पुनः नियुक्त (re-employed) होने के बाद काम कर रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे पदाधिकारियों के नाम जो १ जुलाई, १९५५ को एक्सटेन्शन या पुनः नियुक्ति के बाद काम कर रहे थे, संलग्न सूची में दिए हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३१-३३४ पर)

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को एक्सटेन्शन दिया गया या पुर्नानियुक्ति हुई है उसका कोई आधार है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक ही आधार होता है ऐसे कामों में। अगर यह समझा जाता है कि आदमी किसी ऐसे काम में लगा हुआ है जिस काम को बीच में छोड़ देना ठीक नहीं होगा इसी के हाथ से पूरा हो जाय तो अच्छा है, या कोई विशेषज्ञ हो तो थोड़े दिन के लिये एक्सटेन्शन दिया जाता है। तो सार्वजनिक हित ही आधार होता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग डिप्टी कलेक्टरी में रिएम्प्लयड हुए हैं उनके लिये यह कौन-सा आधार है जिससे यह पता लगे कि उनकी सेवा की बहुत सख्त जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष--सिद्धांत तो उन्होंने बता दिया। हरएक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री झारखंडे राय--क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि १ जुलाई, १९५५ को कितनी संख्या में ऐसे लोग थे जो एक्सटेंशन पर काम कर रहे थे और कितने लोग पुर्नानियुक्ति होकर काम कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष--टोटल नम्बर आप पूछना चाहते हैं ?

श्री झारखंडे राय--जी हां।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुर्नानियुक्ति वालों की संख्या थी ८६ और एक्सटेंशन वालों की संख्या थी १४।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों की कालावधि खत्म हो जाती है और दो साल काम करने के बाद क्या पब्लिक सर्विस कमीशन से उनकी नियुक्ति के बारे में फिर आदेश लिये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसके नियम यह हैं कि ६० वर्ष की उम्र से आगे किसी आदमी को नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसके भीतर गवर्नमेंट रख सकती है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि एक बार के एक्सटेंशन की अवधि कितनी है और अधिक से अधिक कितने काल के लिये एक्सटेंशन हो सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं जानता हूं उसके लिये कोई खास नियम नहीं सिवाय इसके जैसा मैंने कहा कि ६० वर्ष से आगे नहीं रखा जा सकता आदमी। बाकी व्यवहार में आम तौर से दो वर्ष से आगे एक साथ एक्सटेंशन नहीं दिया जाता।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिन अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाता है उनका वेतन वही होता है जो पहले होता है या कुछ कम वेतन उनको दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, कम नहीं होता ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको फिर से रखा जाता है उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे ठीक ख्याल नहीं आ रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का दस्तूर है या नहीं ।

बिजनौर में जिलाधीशों के नाम पर मार्ग

*४७---श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि जिलाधीशों व अन्य सरकारी कर्मचारियों के नाम पर सार्वजनिक भवनों मार्गों और पथों के नाम न रखे जायं ? यदि हां, तो बिजनौर में पिछले ४ वर्षों में कितने मार्गों अथवा भवनों के नाम जिलाधीशों के नाम पर रखे गये और उनके क्या-क्या नाम हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी च आगे पृष्ठ ३३५ पर)

अतारांकित प्रश्न

अमेरिकी मिशनरीज द्वारा घी तथा दूध के पाउडर का वितरण

१---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमेरिकी मिशनरीज इस प्रदेश में घी, शक्कर व कपड़ा गरीब लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पर दे रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार को सूचना मिली है कि इस प्रदेश में कई जगह अमरीकन तथा अन्य ईसाई मिशन गरीबों को घी (बटर आएल) तथा दूध का पाउडर अधिकतर बिना मूल्य के बांट रहे हैं ।

२---श्री गज्जूराम---क्या सरकार को विदित है कि इससे ईसाई मत का प्रचार नाजायज तौर पर किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इन चीजों के वितरण के फलस्वरूप धर्म परिवर्तन होने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली ।

इटावा जिले की रजिस्टर्ड समितियां

३---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में १९५४ में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुईं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इटावा जिले में १९५४ में १६२ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुईं ।

सचिवालय में कतिपय कर्मचारियों के स्थायीकरण के विषय में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव हैं । एक माननीय रामनरायण त्रिपाठी का है । वह इस सम्बन्ध में है कि कुछ कर्मचारियों को सचिवालय में स्थायी कर दिया

नोट---तारांकित प्रश्न ४७ श्री जगदीश प्रसाद ने पूंछा ।

[श्री अध्यक्ष]

गया, इसलिये जो असंतोष उससे उत्पन्न हुआ, उसके कारण विचार करने के लिये कार्य-स्थगन किया जाय । मैं इसकी कोई अर्जेंसी नहीं समझता हूं और न यह विषय काम रोको प्रस्ताव का हो सकता है, इसलिये इजाजत नहीं देता हूं ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थिति से उत्पन्न विक्षुब्ध वातावरण के विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा श्री राजनारायण जी का है । वह इस प्रकार है---

"गत तीन मार्च को सरकार की शिक्षा नीति से विक्षुब्ध छात्रों ने दीक्षांत समारोह के अवसर पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था उस सम्बन्ध में दस छात्र दंडित किये गये। उस दंड तथा दंड देने निर्णय तक पहुंचने की प्रणाली के विरोध में छात्रों की ओर से पुनः निष्पक्ष जांच समिति की मांग स्वीकृत न होने के फलस्वरूप (इसमें पहले जो शब्द थे उनको बदल कर यह किया है) एक छात्र श्री लाखन सिंह गत २१ सितम्बर से भूख हड़ताल कर रहा है । इससे इलाहाबाद ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रांत के छात्रों में उत्तेजना का वातावरण पैदा हो गया है । अतः इस विषय तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

इस संबंध में मैं यह जानना चाहूंगा माननीय राजनारायण से कि आपने जो यह "निर्णय" वगैरा लिखा है, इससे तो यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध है, जो कि एक आटोनोमस बाडी है, तो सरकार से क्या सम्बन्ध आता है, इसका जरा स्पष्टीकरण मुझे कर दें ?

***श्री राजनारायण** (जिला बनारस)---श्रीमन्, अब जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन हुआ है और जिस तरह से वाइस-चांसलर की नियुक्ति होती है, यह सर्व विदित है और आप को भी जानकारी है कि उससे सरकार का सम्बन्ध है और राज्यपाल ही चांसलर हैं। और दूसरा सरकार का सम्बन्ध यों आ जाता है कि जो कमेटी बनी थी, मेरी यह जानकारी है कि कमेटी के सदस्यों के पास जो प्रतिनिधि मंडल मिला था तो उन लोगों ने कहा था कि यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो पुनः जांच समिति बैठायी जायगी।

श्री अध्यक्ष---यह तो इसमें है नहीं । इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है । आपने स्वीकृत न होने की बात कही है और वह कमेटी की है । तो इससे तो कोई संबंध दिखाई नहीं देता । आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री राजनारायण---तीसरी बात यह बता रहा था कि इस समय चूंकि भूख हड़ताल चल रही है और विद्यार्थी उस हड़ताल के समर्थन में हैं । सारे नगर में आज सरकार की पुलिस जिस तरह से विद्यार्थियों को घरों में जा-जा करके पकड़ने की चेष्टा कर रही है.....

श्री अध्यक्ष---वह तो प्रस्ताव में नहीं है । तो आप कृपा करके बैठें । बात यह है कि इस संबंध में मैं इजाजत तो दे नहीं सकता हूं, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है यूनिवर्सिटी, और जिस तरह से यह प्रस्ताव जिन शब्दों में सामने आया है उससे सरकार से कोई संबंध नहीं है । लेकिन चूंकि कल भी आया था और आज भी आया था इस विषय में यह इच्छा कुछ लोगों ने प्रकट की थी कि माननीय मुख्य मंत्री कुछ इस संबंध में परिस्थिति पर प्रकाश डालें। उस संबंध में यदि कोई माननीय सदस्य उनसे बातचीत यहां कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका तो सरकार से प्रत्यक्ष संबंध न होने की वजह से मैं इस प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं कि यह यहां पेश हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, कल भी मैंने आप से निवेदन किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज सरकार की ओर से, जो यह वातावरण विक्षुब्ध हो रहा है इसके समाधान के लिये सरकार क्या सोच रही है, यह बतायें और हम लोगों के उस पर क्या सुझाव हैं वह भी सामने आयें। क्योंकि कल से यह सदन १० दिन के लिये स्थगित होने वाला है और इस बीच में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हम तो इस सदन के जो सदस्य हैं वह सब प्रांत की परिस्थिति से संबंधित हैं, तो हम यह जरूर चाहेंगे कि सरकार की ओर से परिस्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय है। और हम लोग उसमें जो सुझाव देना चाहें इस सदन में ऐसा अवसर प्राप्त हो कि हम भी अपने सुझाव दे सकें और अगर सरकार चाहे तो उन सुझावों के मुताबिक काम करे।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह परिस्थिति सचमुच गम्भीर है जो हमें इससे भी मानना पड़ेगा कि वाइस-चांसलर को यूनिवर्सिटी एक माह के लिये बन्द करनी पड़ी। रात मेरे पास भी एक तार आया कि मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाऊं।

श्री हरगोविन्द सिंह---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह क्या वादविवाद हो रहा है। एक एजर्नमेंट मोशन आपने डिसएलाऊ कर दिया और उस पर अब फिर क्या विवाद हो रहा है?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने इजाजत इस बात की दी कि आपस में कोई बातचीत होकर अगर कोई प्रार्थना करना चाहें वे मुख्य मंत्री जी से इस बात पर विचार करने के लिये तो कर सकते हैं। तो वह प्रार्थना ही कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल निवेदन ही कर रहा हूं, मैं उस एडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने प्रयत्न किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी भेंट हो जाय इस सदन में आने से पहले लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी उनसे भेंट न हो पायी और संयोग से अध्यक्ष महोदय ने मुझे कुछ कहने की इजाजत दी। तो मैं चाहता हूं कि यह बात अवश्य कहूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का उस तरफ ध्यान दिलाऊं कि वे केवल मुख्य मंत्री के स्थान पर ही नहीं हैं बल्कि उनकी हैसियत एक बुजुर्गी की हैसियत भी देश में है। यह शिकायत हो सकती है कि कुछ ऐसी घटनायें होती हैं जिनको हम भी नापसन्द करते हैं और उन्हें नहीं होनी चाहिये। लेकिन ऐसी घटनायें घट जाती हैं। तो उनसे नाराज होकर और एक बार नाराज होकर.....

श्री अध्यक्ष---आप मेरिट्स पर जा रहे हैं। आप इसके लिये प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप कुछ समय चाहते हैं इस पर वाद-विवाद करने के लिये।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता ऐसा जरूर हूं लेकिन यह चाहता हूं कि मैं पहले जो निवेदन कर रहा था कि यदि इस सदन में इस पर बहस मुबाहिसा करने में हमारा लाभ हो सके और वह उस परिस्थिति को खत्म करने में कुछ सहायक हो सके, वहां जो झगड़ा बढ़ रहा है वह कम हो सके तो वैसी हालत में मैं समझता हूं कि जरूर इस पर बातचीत होनी चाहिये। लेकिन कोई हल निकल सके यह माननीय मुख्य मंत्री जी के रुख पर निर्भर करता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब वे बयान दें तो मैं इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि परिस्थिति जितनी बिगड़ी हुई है उससे ज्यादा बिगड़ने की नौबत न आये क्योंकि जो कुछ यहां पर कहा जाता है उसका कुछ दुरुपयोग होता है और माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने का बड़ा स्थान है, बड़ी महत्ता है। तो मैं उनके बोलने के पहले यह जरूर कह देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा करने की चेष्टा वे जरूर करें कि जितनी हालत बिगड़ी है उससे ज्यादा न बिगड़ने पाये। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष (माननीय मुख्य मंत्री से)—विवाद के संबंध में प्रश्न है कि इसके लिये कोई समय दिया जाय या नहीं। स्टेटमेंट का सवाल इतना नहीं है।

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अध्यक्ष महोदय, अभी जो बातें माननीय गेंदासिंह जी ने कहीं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मेरा ऐसा ख्याल है कि यदि सदन में इस तरीके पर कोई वादविवाद किया गया तो निश्चय ही, किसी की इच्छा न होते हुये भी, ऐसी बातें आ सकती हैं जिनका कुछ अर्थ और अनर्थ लगाया जाय। और जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त है, किसी का दोष हो मैं इसकी बाबत कुछ नहीं कहता, उससे हम सभी विक्षुब्ध हैं। अब इस वक्त हमने अखबारों में पढ़ा है कि यूनिवर्सिटी कुछ दिनों के लिये वाइस-चांसलर ने बन्द कर दी है। संभव है इस जमाने में जिसकी जहां तक पहुंच हो वह सब इस मामले में विचार करके शायद कोई ऐसा रास्ता निकाल सकें कि जब यूनिवर्सिटी खुलने का वक्त हो तो ज्यादा शांत वातावरण हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त वादविवाद होने से परिस्थिति बनने के बजाय बिगड़ सकती है।

श्री राजनारायण—माननीय गेंदासिंह जी ने वाद-विवाद के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो अपनी राय दी है।

आठवीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र दिये बिना अभ्यर्थियों को १९५६ की हाई स्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

***श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कल हमने माध्यमिक शिक्षा परिषद के संबंध में कामरोको प्रस्ताव रखा था। उस पर कल आपने आदेश दिया कि आप आज उस पर निर्णय देंगे। आज माननीय भगवान सहाय जी के जो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न रहे हैं उनके अनुपूरक प्रश्नों से ऐसा मालूम होता है कि माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जो वचन दिया था कि जो इस तरह का आदेश दिया गया है उस पर वह हस्तक्षेप करेंगे दूसरे .....

श्री अध्यक्ष—यह जो है, उसके बारे में आप फैसला चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी हां।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में बहस नहीं हो सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आज जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जबाब दिया है १७ सितम्बर, १९५५ को आदेश दिया गया था वह परमार्जित करके दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह सवाल आप नहीं उठा सकते। मैं फैसला दिये देता हूं। खैर, मैं इसके लिये जो मैंने जवाब देखे, उसके बाद मैं यह समझता हूं कि इसकी कोई अरजेंसी है नहीं कि वह कामरोको प्रस्ताव द्वारा सदन का कार्य रोका जाय और विवाद हो, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

कार्यक्रम में परिवर्तन पर आपत्ति

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि यह जो कार्यक्रम रोज रोज बदल जाता है आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे जो लोग इसमें भाग लेते हैं उनको परेशानी हो जाती है। कल का एजेंडा कुछ और है और आज का कुछ और है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---कल कुछ काम समाप्त हो गया होगा जिससे उसमें अंतर हो जायगा।

श्री जोरावर वर्मा---जी नहीं, कल जो आइटम ऊपर थे उनको नीचे कर दिया गया है और जो नीचे थे उनको ऊपर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---आपने कोई बतलाया नहीं।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, कल पहले विनियोग लेखे था, इसके बाद बिक्री कर था, इसके बाद मुस्लिम वक्फस था और नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक इसके बाद था तो आज इसको सबसे ऊपर कर दिया गया है। इस तरह से परिवर्तन होने से हमें परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष---मैं कल मौजूद नहीं था लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कल शाम को माननीय वित्त मंत्री जी मौजूद थे और उनके कहने से सदन ने इस बात को मान लिया था कि इस तरह से कार्यक्रम में परिवर्तन हो जाना चाहिये। तो यह सदन की राय से हुआ है।

अब यह जो माल मंत्री जी ने जो भूमि व्यवस्था विधेयक पुरःस्थापित करने की कार्यसूची में दिया है क्योंकि विधेयक की प्रतियाँ ११ बजकर १५ मिनट पर आई हैं इसलिये यह लंच के बाद ही लिया जायगा यानी वे पेश कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर, जो २८ दिसम्बर १९५४ को सदन की मेज पर रखे गये, विवाद जारी रहेगा यानी पहला आइटम दोपहर के बाद होगा।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि गाड़ी की तौल में कारखानों पर अगर उसके लिये रात की तौल नहीं है तो उसमें बहुत से लोगों को दिक्कत कम हो जाती है और जो हजारों बैल रात को खड़े रहते हैं मिल पर वह नहीं खड़े रहेंगे और जाड़ों की रात में कभी कभी पानी बरसता है कभी ओला पड़ता है। इतने सख्त जाड़े की मौसम में हजारों आदमी सारे सूबे भर के बैल और गाड़ीवान तकलीफ उठाते हैं। इसमें इस बात में यह भी निवेदन कर दूं कि हमारा तजुर्बा यह है कि रात में अगर मिल तौल न करायें तो उनको ताजा गन्ना मिल सकता है। ताजे गन्ने की वजह से चीनी का जो परता हमारे देश में है वह ज्यादा पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह गौरी बाजार शुगर फैक्ट्री की तरफ दिलाना चाहता हूं। गौरी बाजार शुगर फैक्ट्री में दिन भर गन्ना तौलकर रात के लिये वह बाकी रख लेते हैं और रात में वह बैलगाड़ियों की तौल नहीं कराते हैं। पिछले वर्ष जो रिकवरी सारे सूबे की बढ़ी है और गन्ने से चीनी निकलने का जो औसत लगाया गया है वह सब से ज्यादा गौरी बाजार शुगर मिल से निकली है। मैंने जाकर वहां पूंछा तो उन्होंने स्वयं बताया कि ताजे गन्ने की वजह से यह हुआ है। वहां की शुगर रिकवरी और फैक्टर के होते हुये भी सबसे ज्यादा इसी वजह से बढ़ी है। मैं सोचता हूं कि सरकार अगर इस नियम में इस बात को स्पष्ट कर दे कि जब तक काश्तकार स्वयं न चाहें कि हम रात में तौल कराना चाहते हैं तब तक के लिये रात में तौल को बन्द करा दिया जाय और इससे हजारों बैल और गाड़ीवान तकलीफ से बच जायंगे। इस संबंध में नियम ४० जो आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि "सरकारी सड़क से फैक्ट्री के अहाते में गाड़ी खड़ा करने के स्थान तक और गाड़ी खड़ा करने के स्थान से फैक्ट्री के गन्नावाहक तक पक्का उपमार्ग और गन्ना वाहक से सरकारी सड़क की ओर उस स्थान तक जहां तक गन्ना कमिश्नर आदेश दे, पक्का निर्गम सड़क की व्यवस्था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेगा" तो यह नियम बने हुये हैं लेकिन इनके ऊपर अमल नहीं होता है । पहले यह नियम हैं और फिर भी यह नियम बनाये जा रहे हैं कि जहां पर गाड़ी तौलने का मुकाम है उसको पक्का कर दिया जाय लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारे सूबे में ६६ मिलों में कहीं पर गाड़ियों के लिये अन्दर पक्की पक्की सड़क बनायी गयी है और कहां पर हजारों गाड़ियों के लिये पक्का रास्ता बनाया गया है । बहुत ही कम मिलों में इस प्रकार की व्यवस्था हो पायी है ।

जहां तक इस नियम का संबंध है मैं इस सिलसिले में केवल इतना ही कहूंगा कि इन नियमों पर अमल कराने के लिये सरकार के पास कुछ ऐसी ताकत आनी चाहिये और नियंत्रण करने वाले ऐसे लोगों को रखना चाहिये जो इन चीजों पर अमल करा सकें । सरकार को इस ओर कोई कदम उठाना चाहिये ताकि फैक्ट्री वाले लोग इन हुकुमों की हुकूम अदूली न कर सकें और पूरी तरह से नियमों का पालन कर सकें ।

श्री अध्यक्ष--(श्री फूल सिंह से) संशोधन तो आपके पास भेज दिये गये हैं । तो उन संशोधनों के बारे में निर्णय पहले हो जाना चाहिये । क्या उनके लिये आपको कोई आपत्ति है ?

***नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)**--श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं उन संशोधनों का विरोध करता हूं । यह रूल्स दिसम्बर में हाउस के सामने रखे गये थे और एजेंडा पर भी एक महीने से लगातार आ रहे हैं । कल इस पर बहस शुरू हुई । आज इस वक्त १२ बजकर ५ मिनट तक संशोधनों की नकल आती रही है । मुझे उन पर विचार करने का मौका नहीं मिला है । मेरे पास थोड़ा भी मौका नहीं है इस वजह से इतनी जल्दी में कोई संशोधन स्वीकार करना कठिन है क्योंकि गलती होने की संभावना है । इसलिये यह संशोधन स्वीकार न किये जायं । अलबत्ता सब बातें यहां पर कहीं जायेंगी और जो बातें ऐसी होंगी कि बदलने के लायक हैं या मानने के लायक हैं तो उन पर कानूनी मशविरा लेकर विचार करने की कोशिश की जायगी ।

श्री अध्यक्ष--इसलिये मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यहां पर संशोधन नहीं आयेंगे । तो जो आपके संशोधनों के बारे में विचार हों उनको आप पेश कर दें ।

***श्री गेंदासिंह**--मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आपने कल कुछ संशोधनों के लिये मोटर विहिकिल्स रुल्स के संबंध में ऐसी व्यवस्था दी थी और हम लोगों को यह आशा थी .....

श्री अध्यक्ष--मेरी व्यवस्था तो अब भी वही है लेकिन माननीय मंत्रिगण अलग-अलग हैं । अब किसी को सुभीता है और किसी को नहीं है । व्यवस्था तो अब भी वही है लेकिन संशोधन के लिये नोटिस काफी होनी चाहिये । इसीलिये मैं पूछ लेता हूं कि सदन में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है और अगर आपत्ति नहीं होती है तो मैं नये संशोधन को भी ले लेता हूं ।

श्री गेंदासिंह--संयोग से कल शाम को ही मैंने इन संशोधनों को भेज दिया था । लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजे थे लेकिन थोड़े विलम्ब से भेजे थे । मैं यह भी चाहता था कि उनको ठाकुर साहब के पास भी भिजवा दूं लेकिन नहीं भिजवा पाया । अब मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि उन पर उदारतापूर्वक विचार कर लिया जाय । मैं यह भी जानता हूं कि जो संशोधन सरकार चाहेगी वही स्वीकार होंगे और विचारों को जानने के बाद भी वह जो स्वीकार करना चाहेगी उनको स्वीकार कर लेगी । अगर यों जाब्ते के साथ भी रखूं और सरकार न चाहे, जैसा कि वह कई बार अच्छी बातों को भी नहीं मानती, तो इस बार भी नहीं मान सकती । अतः केवल इतना ही कह कर अपने विचार रख देना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि मेरे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

तौल के संबंध में मैं यह कह रहा था कि नियम ४१ में यह लिखा हुआ है कि:

"गन्ना की तौल सूर्यास्त के १/२ घंटे पश्चात् तब तक न की जायगी जब तक प्रकाश की ऐसी व्यवस्था जिसे निरीक्षक ने स्वीकार किया हो और जो तुला दंड को सरलता से पढ़ने के लिये पर्याप्त हो, न की गयी हो और आगे भी की जाती रहे"

मेरा कहना यह है कि इससे दिक्कत बढ़ेगी और यह जो आधा घंटा तोल वाली बात है इसको बिलकुल बन्दकर दिया जाय। प्रकाश में भी तौलने की इजाजत न हो जब तक कि किसान लोग स्वयं न चाहते हों। अगर उनको स्वयं को मजबूरी हो जब दूसरी बात है लेकिन तौल का यह आम रिवाज न रहे। इससे हजारों गाड़ीवालों को सुविधा मिलेगी।

नियम ४६ में जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य लिखा हुआ है वह ऐसा है कि अगर किसी रुपये के संबंध में कोई झंझट हो जाय किन्हीं दो या तीन आदमियों में तो वह रुपया कहां जाय। उसमें लिखा हुआ है कि परगना हाकिम के पास वह रुपया जमा कर दिया जाय। लेकिन अगर वहां जमा कर दिया जायगा तो बिलकुल बेकार रहेगा किसी को उस पर कोई लाभ न होगा। वह रुपया मेरे ख्याल से संबंधित केन यूनियनों को दे दिया जाय। यदि संबंधित केन यूनियनों को देने में कोई कठिनाई हो तो सहकारी बैंक में रख दिया जाय। क्योंकि मुकदमेबाजी में साल या ६ महीने की देर हो सकती है तो इस अरसे में उस रुपये का कुछ उपयोग हो सकेगा और उसका रुपया वहां जमा होगा उसको भी २–४ आना सूद मिल जायगा। इसलिये इसको यहां पर बदल देने की जरूरत है और इसके बदले में यह रख देना चाहिये कि "संबंधित केन यूनियन अथवा स्थानीय सहकारी बैंक।"

एक विशेष बात की तरफ और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। अध्याय १० में जो गन्ने की खरीद के कमीशन के बारे में है उसके नियम ४९ में यह लिखा हुआ है––

"फैक्ट्री का अध्यासी खरीदे गये गन्ने पर ९ पाई प्रतिमन के हिसाब से कमीशन देगा।"

अब मैं इस नौ पाई की जगह दो आना फी मन रख देना चाहता हूं इस तीन पैसा फी मन में पांच पैसा फी मन और जोड़ देना चाहता हूं। इससे काफी अच्छी रकम हो सकती है। पिछले वर्ष करीब २५ करोड़ मन गन्ना आया था। इसमें नौ पाई प्रतिमन है और मैं वहां दो आना प्रति मन रखने की प्रार्थना कर रहा हूं। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो यदि मान लिया जाय कि पिछले साल २५ करोड़ मन गन्ना फैक्टरीज में पेरा गया तो २५ करोड़ पौन आने मिले, तो २५ करोड़ पौन आने की जगह मैं चाहता हूं कि २५ करोड़ दुअन्नियां मिलें और वह मिलेंगी किसे? वह मिलेंगी कोआपरेटिव सोसाइटीज को। इस तरह से हम करीब २ करोड़ रुपया से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम एक लाख से भी कम पाते थे और इस तरह से जो यह डेढ़ करोड़ की रकम बढ़ जायगी उसके जरिये से हम कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा विकास का अधिक काम कर सकेंगे और वह उसके लिये एक कोष हो जायगा। ऐक्ट में जो केन कौंसिल या गन्ना परिषद् का जिक्र है वह हर क्षेत्र में बनेंगी और वह जो कमीशन मिलेगा उसमें से सरकार ५० प्रतिशत तक दिला सकती है और उस से ट्यूबवेल्स का, अच्छे गन्ने के बीज का और अच्छी सड़कों आदि का विकास कार्य हो सकेगा। इस तरह से मैं साढ़े ६२ प्रतिशत बढ़ाने की बात करता हूं, इतना तो शायद नहीं लेकिन दुगुने से कुछ ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहा हूं क्योंकि जितना काम अब तक गन्ना परिषद् करती है उससे दुगुने से ज्यादा फिर वह कर सकेगी।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जब पिछली बार नैनीताल में माननीय पंत जी की सदारत में डेवलपमेंट कांफ्रेन्स हुई थी और जब सारे सूबे के मिल मालिक बुलाये गए थे और उस वक्त रफी साहब भी मौजूद थे उस वक्त ट्यूब वेल्स आदि बनाने की

कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि क्षेत्र भर में जितना रिजर्व एरिया है उनमें पानी पहुंचाने का बन्दोबस्त और गन्ने की गाड़ियों को ठीक से मिल तक पहुंचाने का बन्दोबस्त करेंगे और सरकार ने भी यह कहा था कि ५०प्रतिशत तक सबसिडी भी दे दी जायगी और उससे ट्यूबवेल्स और सड़कों को व्यवस्था को जायगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस काम में कुछ थोड़े से मिलों के योग देने की जरूरत है, यों भीख मांगने से तो काम न चलेगा, जो लाभ मिल वाले पहले उठा चुके हैं उसमें से तो कुछ मिल नहीं सकता, हम आगे के लाभ से लेना चाहते हैं और इस तरह से हम अपने डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ा सकते हैं और मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे मिल मालिकों का भी लाभ ही होगा।

एक बात की ओर और मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस देश में बम्बई, हैदराबाद और मैसूर तीन प्रदेश ऐसे हैं कि जहां हमारे यहां से गन्ने की उपज भी ज्यादा है और गन्ने से जो चीनी वहां मिलती है प्रति सौ मन पर, वह भी ज्यादा है। सन् ५३-५४ में बम्बई में प्रति सौ मन में ११.७६ मन चीनी निकली, हैदराबाद और मैसूर में भी प्रति सौ मन गन्ने में १०.२० मन चीनी निकली, लेकिन उसी वक्त हमारे सूबे में प्रति सौ मन गन्ने पर ९.८७ मन चीनी निकली। इस तरह से हमारे सूबे की जो इंडस्ट्री सूबे की चिड़िया है और जिससे हमारे बहुत से काम चल रहे हैं उसके लिये दक्खिन और भी उपयुक्त स्थान बनता जाता है। क्योंकि वहां गन्ने की उपज अधिक है और जो गन्ना वहां है उससे चीनी की उपज अधिक है इसलिये वह उद्योग वहां जाना चाहिये यह हमारे लिये चिन्ता की बात है और इसलिये मैं.....

श्री अध्यक्ष---उधर मीठी जमीन है, ऐसा मालूम होता है।

श्री गेंदासिंह---इंजीनियर और कैमिस्ट्स बताते हैं कि उधर गन्ना अच्छा पैदा होता है और कुछ और भी कारण हैं जिनकी ओर मैं खास तौर से फिर ध्यान दिलाऊंगा, इस वक्त समय अधिक लगेगा इसलिये नहीं बताता। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बात का ध्यान रखें कि बम्बई के इलाके में हर दसवें दिन पानी गन्ने को मिलता है। अब हर दसवें दिन जब गन्ने को पानी मिलेगा तो उसकी उपज क्यों नहीं बढ़ेगी और जहां उपज इतनी होगी वहां उसमें शुक्रोफ़ कंटेंट्स भी बढ़ेंगे, जहां स्वस्थ शरीर गन्ने का होगा उसमें भीतरी तत्व जरूर होगा और शरीर स्वस्थ होता है जब उसको खुराक मिलती है। तो हर दसवें दिन वह पानी पाता है और बहुत ज्यादा दिनों तक वह खेत में पड़ा रहता है और इसलिये वहां १२ सौ, १३ सौ और १४ सौ मन फी एकड़ गन्ने की पैदावार होती है। तो जहां पानी ज्यादा मिलता है उसको वहां उसकी उपज ज्यादा होती है और जहां पानी कम मिलता है वहां कम होती है। तो मैं समझता हूं कि रिकवरी और गन्ने की उपज बढ़ाने दोनों के लिये यह जरूरी है कि हम डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ायें और डेवलपमेंट के काम द्रव्य से आगे बढ़ते हैं और द्रव्य बढ़ाने के लिये सरकार से झगड़ा करें तो वह मानती नहीं है। सरकार ३ आना मन गन्ने का सेस लेती है और उसके लिये यू० पी० की सरकार बहुत बदनाम भी है, सारे देश के लोग कहते हैं कि यू० पी० की सरकार यह ग़लत काम कर रही है और चीनी खाने वालों पर उसका बोझ पड़ता है और एक टेरिफ बोर्ड सन् १९५० में बैठा था उसने कह डाला कि यू० पी० गवर्नमेंट का जो यह कानून है उसको दुनिया में कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। कच्चे माल पर कहीं किसी सरकार ने अबवाब नहीं लिया है और यह यू०पी० की सरकार का अन्याय है और यह मेरी राय नहीं है, मैं तो एक लेमैन हूं लेकिन मैं तो देखता हूं कि तीन आना मन कट कर सरकार को जा रहा है। मेहता साहब उसके प्रेसीडेंट थे उनका कहना है कि यह ज्यादती है।

श्री फूलसिंह---यह कमीशन अब सब सूबों में लिया जाता है।

श्री गेंदासिंह---ठीक है उन सबने हमारी नकल की है लेकिन यह जरूर मानेंगे माननीय ठाकुर साहब को कि यह पहले कभी दो पैसा मन था और आज तीन आना मन हो

[श्री गेंदासिंह]

गया है। तो तीन आना मन लिया भी जाय और उसका कुछ लाभ न हो। वह जो लिया जाता है अगर वह खेती को तरक्की देने के काम में खर्च हो जाता है तो हमें कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन पिछले वर्ष २५ करोड़ मन गन्ना फैक्ट्री में गया। तीन आना मन के हिसाब से कितनी बड़ी रक़म हो गई। ५ करोड़ के करीब यह रकम आती है। अगर इस रक़म को उस काम के लिये खर्च कर दिया जाय तो यह निश्चित है कि उपज बढ़ेगी और इस इंडस्ट्री की हालत सुधरेगी। मैं सरकार को मना सकूंगा ऐसा तो दावा मैं नहीं कर सकता कि इस संशोधन को रख कर इस ५ करोड़ रुपये के मामले में सरकार को मना पाऊं ऐसा मैं विश्वास नहीं करता।

तो हम झगड़ा रोज करते हैं सरकार से दाम बढ़ाने के लिये लेकिन वह नहीं बढ़ाती और गन्ने का दाम बढ़ाने का अख्तियार ठाकुर साहब को नहीं है यह दिल्ली का काम है और उसमें हम कामयाब नहीं होते और मैं ईमानदारी की बात कहूं कि वहां हमारी आवाज नहीं पहुंचती, वह बहुत ऊंची जगह है। तो यहीं से जो भला हम किसानों का कर सकते हैं करें। जहां तक कीमत मुकर्रर करने का सवाल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अख्तियार है कि जो चाहे क़ीमत मुक़र्रर कर दे। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को कहता हूं कि बजाय ९ पाई के २ आने कर दे और जब वह २ आना कर देगी तो मिल वाले घबड़ायेंगे और दौड़ा धूपी करेंगे लेकिन कम से कम डेवलपमेंट में सवा करोड़ रुपये साल में मिल जायेंगे और इससे हम ट्यूब-वेल्स और सड़कों का हम कुछ काम चला पायेंगे और यह निश्चित है कि जहां ट्यूबवेल्स और सड़कें बनीं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिल मालिकों को भी होगा। जिस वक्त फैक्टरी साल में ८० दिन चले तो भी मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती है और रिटेनिंग उनको देना ही पड़ता है। एक तो उनकी रक़म बढ़ जाती है और दूसरे चीनी पर कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ता है। सीजन अगर १२० दिन का हो तो वह तभी हो सकता है जब गन्ना ज्यादा हो और गन्ना ज्यादा तभी मिल सकता है जब प्रोडक्शन ज्यादा हो। यह इसका साइकिल है। इस तरह से चीनी और सस्ती हो सकती है। सरकार का भी भला हो सकता है। अगर बजाय ८० दिन के १२० दिन मिलें चलती हैं तो २० लाख मन के बजाय वे ३० लाख मन पेरेंगी और सरकार को १० लाख तीन आने और ज्यादा मिलेंगे। दिल्ली की सरकार भी पायेगी।

एक बात की ओर ठाकुर साहब का ध्यान दिला कर फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बड़ा झगड़ा किया। ठाकुर साहब की भी इच्छा थी कि किसानों को कुछ मिल जाय। पिछले वर्ष झगड़ा किया। एक्सपर्ट कमेटी और पंचायत हुई। दिल्ली की सरकार ने बन्दर बांट वाली बात की। २ रुपये १२ आने मन जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें १ रु० ६ आना और बढ़ा दिया यानी ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी, फिर भी चीनी की क़ीमत नहीं बढ़ सकती। दो आने के बजाय तीन आने केन सेस गवर्नमेंट ले सकती है फिर भी चीनी की क़ीमत नहीं बढ़ सकती है तो फिर पूछता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटी को ९ पाई के बजाय २४ पाई दिलाने में क्या बिगड़ जाता। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और विचार करके इसको जरूर ऐसा कर दें। हमको इस अधिनियम और नियम में ऐसा बांध रक्खा है कि किसी भी रिजर्व एरिया के काश्तकार को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना गन्ना किसी भी दूसरी जगह ले जा कर बेच सके। जब एक दफा केन कमिश्नर ने फैसला कर दिया कि तुम्हें अपना गन्ना फलां फैक्टरी के हाथ बेचना होगा अगर काश्तकार यह साहस करता है कि बजाय १ रु० ७ आ० के १ रु० ९ आ० मन दूसरी जगह मिल रहा है, १ रु० १० आ०, १ रु० १२ आ० मन दूसरी जगह मिल रहा है वहां ले जाकर वह बेचे तो ५०० रु० तक जुर्माना हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारे ऊपर बंधन लगाना चाहती है, गन्ने बोने वाले पर बंधन लगाती है कि जिस आदमी के हाथ वह चाहे उसी के हाथ बेचना होगा तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी पसन्द करने का मौका दिया जाय। सौदा करने का मौका हमको रहे और हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज दो आने मन कमीशन पायें। यह मेरी दरख्वास्त है।

अध्यक्ष महोदय, सारा रुपये तो मिले लेकिन रुपया मिलने के बाद ठीक से उपयोग हो पाये यह बड़ा भारी असल सवाल है। इस सिलसिले में नियम ५४ आप देखें उस में लिखा है "गन्ना उत्पादकों की सरकारी समितियों के स्थायी अथवा अस्थायी सचिवों के, और लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने, अनुपस्थित रहने की छुट्टी मंजूर करने, दंड देने, काम से हटाने, स्थानान्तरण करने और नियंत्रण करने का अधिकार का प्रयोग फेडरेशन द्वारा गन्ना कमिश्नर के सामान्य नियंत्रण के अधीन, जो फेडरेशन की किसी आज्ञा को परिष्कृत अथवा निरस्त कर सकता है, किया जायगा।"

मैं तो विरोधी हूं इस बात का। इसमें जो लेखा परीक्षकों वाला हिस्सा है इसको निकाल दिया जाना चाहिये। जो विभाग का सबसे बड़ा हेड है १६ आने उसके हाथ में यह चीज दी जा रही है। मैं नहीं कहता कि उसकी नीयत खराब होती है, लेकिन जो केन यूनियन्स की हालत है उनके हिसाब किताब के मामले में मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि वह संतोषजनक नहीं है। बड़े बड़े गबन हैं इन बड़े बड़े गबनों को रोकने की तरकीब क्या है? आखिर इसके लिये कोई उपाय करना चाहिये। इन यूनियनों के हिसाब किताब के काम का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह करने की जरूरत है। इसलिये मैं कहता हूं कि यहां जो लेखा परीक्षकों को लिखा गया है इनको निकाल दिया जाय और उसके लिये मैंने कल निवेदन किया था और आज फिर कह देना चाहता हूं कि यह आडिटर्स का सम्बन्ध सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो और एकाउन्टेन्ट जनरल नियन्त्रण करे। अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव का भी ऐसा ही इन्तजाम था लेकिन कुछ दिनों से कोआपरेटिव सोसाइटियों का लेखा परीक्षा का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट और एकाउन्टेन्ट जनरल के नियंत्रण में होता है। कुछ हालत सुधरी वहां की। उसी तरह से अगर यह काम भी सुपुर्द कर दिया गया, इसमें उनकी बरखास्तगी, बहाली, छुट्टी देना, कैरेक्टर रोल में इंट्री करना, सारे काम एक आदमी के सुपुर्द कर दिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब इस बात पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इस मामले में बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐलान कर दें कि यह विधेयक जो है एकाउंटेन्ट जनरल के अधीन चला जायगा।

५८ वें नियम में लिखा हुआ है—

"आकस्मिक संकट के समय अथवा किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये गन्ना कमिश्नर किसी निर्दिष्ट मद पर गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कोष में से व्यय की आज्ञा दे सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त व्यय समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये हों।"

समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये अगर यह पैसा है तो मेरा यह कहना है कि समिति का जब साल का जलसा हो तो उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार उसे जरूर रहे। क्योंकि समिति के काम को आगे बढ़ाने के लिये मदद करता होगा तो समिति का वार्षिक अधिवेशन स्वीकार ही करेगा। समिति में थोड़े लोग होते हैं और उस झगड़े की वजह से इस पावर को हाथ में लेने की जरूरत पड़ी। लेकिन जो साधारण लोग आते हैं साल में एक मर्तबा अगर समिति के हक में काम हुआ होगा तो वह उसके पक्ष में होंगे और जरूर केन कमिश्नर के आज्ञा का स्वागत करेंगे। इसलिये सालाना जल्से में उस बात को जरूर रखा जाय और स्वीकृति ली जाय।

नियम ६१ को भी आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त पावर ली गयी है जिसमें जिसको चाहे निलम्बित कर दे। मैं कहता हूं कि फेडरेशन उसकी एक संस्था बनी हुई है जो सारे सूबे की ११०, ११२ यूनियनों की एक प्रतिनिधि संस्था है। उस प्रतिनिधि संस्था को क्यों नहीं जिम्मेदारी दी जाती? लिखा यह जाता है कि अगर उसका काम गड़बड़ होगा तो यूनियन का इंतजाम करने के लिये कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जायगा। प्रशासक नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हीं यूनियनों की एक फेडरेशन बनी हुई है तो फेडरेशन स्वयं उसका बन्दोबस्त करेगी और केन कमिश्नर उसका एक्स-आफिशियो चेयरमैन होता है।

[श्री गेंदा सिंह]

वह अपने चेयरमैन की हैसियत से फेडरेशन को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहां पर केन कमिश्नर अपनी एग्जिक्यूटिव पावर से ऐसा करे यह मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि फेडरेशन को ऐसी पावर मिलनी चाहिये। वह अगर जरूरत समझती है तो निलम्बित करे, प्रशासक नियुक्त करे या जैसा मुनासिब समझे करे। एक बड़ी हैरतअंगेज चीज मिली, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ठाकुर साहब का ध्यान इधर दिलाऊंगा और कहूंगा कि क्या सरकार को मंजूर है कुछ समझ में नहीं आता।

नियम ६४ में लिखा हुआ है---"अबवाब निर्धारण करने और वसूल करने का अधिकृत अधिकारी कलेक्टर होगा।"

मैं यह समझता हूं कि यह नया है। अबवाब निर्धारित करने का भी अधिकार कलेक्टर को दिया जा रहा है। अबवाब यह है जो तीन आने मन हम देते हैं। तीन आने मन की जो बात है मैं समझता हूं कि प्रति वर्ष इस सदन के सामने आना चाहिये क्योंकि नियमों में और अधिनियम में यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम उसके निर्धारण का होगा। इतनी बड़ी रक़म का मामला जिसमें पांच करोड़ गवर्नमेंट की मालगुजारी का सवाल शामिल हो। उसमें कलेक्टरों को यह अधिकार देने कि हमको कोई जरूरत नहीं मालूम होती और मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? ३ आने मन फ्लेट रेट है सारे सूबे भर के लिये कि कोई भी फैक्टरी जो पेरने के लिये गन्ना खरीदेगी उसको तीन आने मन देना पड़ेगा लेकिन अगर कलेक्टर प्रसन्न हो जाय किसी फैक्टरी से और दो आने मन कर दे, एक आना कर दे, तो यह समझ में नहीं आता और यह किस मकसद के लिये रखा गया है यह भी हमें मालूम नहीं होता। सरकार को इसको रखने की क्या जरूरत आ पड़ी? और क्यों उसने ऐसा रखना पसन्द किया? मैं इसका विरोध करता हूं। यह चीज बिल्कुल हमारे सदन के हाथ होनी चाहिये। मैं तो गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि जिस वक्त वह केन सेस की रकम का फैसला करे उस वक्त वह जरूर इस सदन की राय ले।

श्री अध्यक्ष---इसमें तो कैल्कुलेट करने का सवाल है हिसाब लगा कर।

श्री गेंदासिंह---कैल्कुलेट तो सभी कर लेते हैं। कलेक्टर जैसे सारी मालगुजारी और रेवेन्यू वसूल करता है उसी हिसाब से उसको यह सारी बकाया भी वसूल करने का अधिकार है। आगे जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हर १५वें दिन पर फैक्टरी या जो हो वह कैल्कुलेट कर के, अपना हिसाब कलेक्टर के यहां भेजेगा कि इतना गन्ना हमने इस पक्ष में पेरा है, इतनी चीनी निकली और उसमें इतना केन सेस हुआ और उसमें हमने इतना दिया और इतना बाकी है। तो अगर उसमें केवल कैल्कुलेट करने की बात हो तो हमको आपत्ति नहीं है लेकिन अगर यह अधिकार दे दें कि वह निर्धारण भी करेगा कि तीन आने लगे, दो आना लगे या एक आना लगे, तो यह बहुत अनुचित बात होगी। मुमकिन है कि इसमें छपाई की गलती हो गयी हो।

श्री अध्यक्ष---इसकी इंग्लिश प्रति भी शायद है।

श्री गेंदासिंह---अगर अंग्रेजी में असेस है तो मामला वही है।

आगे आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि ६७ नियम जो है उसमें लिखा है :---

"फैक्टरी का अध्यासी प्रत्येक महीने के समाप्त होने के पूर्व परिशिष्ट ३ के आकार-पत्र ४ में निर्दिष्ट की गई कलेक्टर के पास एक नक्शा प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके ठीक पहले के महीने में क्षेत्र में लाये जाने वाले गन्ने का परिमाण और ऐसे गन्ने पर देय कोषागार में जमा अबवाब की धनराशि यथावत् कोषागार में जमा हो गयी है, दिखलाई जायगी।"

इसमें भी मैं एक सुझाव देना चाहता था कि जहां यह लिखा है कि एक नक्शा वह कलेक्टर के पास प्रस्तुत करेगा, उसके साथ ही यह बढ़ा दिया जाय कि उसकी एक प्रति तुरन्त राज्य सरकार के पास कलेक्टर पहुंचा देगा । राज्य सरकार को कभी-कभी, जब भी हमने केन सेस के बारे में सवाल किया, तो उसे बड़ी दिक्कत पड़ती है और यह उसकी तरफ से कहा जाता है कि कागज तैयार नहीं है। कहीं वसूल हुआ और कहीं वसूल नहीं हुआ, तो पता नहीं चलता। और मैं समझता हूं कि अगर हर जगह का नक्शा राज्य सरकार के कार्यालय में रहेगा तो अच्छा है। वह होना चाहिये। ६६ कुल फैक्टरियां हैं, जो कलेक्टर को नक्शा भेजती हैं, वह नक्शा सेक्रेटेरियट में भी रहे जिसमें जिस वक्त कोई जानना चाहे तो फौरन् मालम हो सके कि किस फैक्टरी के पास कितना पैसा बकाया है। यह अध्यासी के १३ वें अध्याय में ७० वां नियम जो है उस में यह लिखा है, "वह व्यक्ति जो 'फैक्टरी का अध्यासी' प्रख्यापित किया गया हो एक हजार रुपया नकद अथवा सरकारी सेक्योरिटियों में, जिसका बाजार मूल्य एक हजार रुपया हो, अथवा पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट जिसका वर्तमान भुजाने का मूल्य एक हजार रुपया हो, जमानत के रूप में जमा करेगा। ऐसी जमानत कलेक्टर के यहां जमा की जायगी और उस समय तक रखी जायगी जब तक वह व्यक्ति अध्यासी के रूप में कार्य करे।" यानी मतलब यह है कि वह जमानत जमा करेगा और वह १,००० रुपये की जमानत जमा करेगा। अध्यासी लोगों का मामला ऐसा है कि जिसमें लाखों रुपये का वारा-न्यारा होता है रोज, और इस जमानत से वह कोई कसूर करे तो उसका जुर्माना इसमें से काटा जाय, कोई पेनालिटी हो वह भी इसमें से निकाली जाय और उस १,००० रुपये में से वह कोई भी ख़राबी कर दे, तो उसका हर्जाना लिया जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई रकम नहीं है। साढ़े सात, सौ रुपया तक जुर्माना हो सकता है एक आदमी की कीमत बकाया रखने में। इस अधिनियम में यह है कि ७५० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तो २५० कुल जमानत का रह गया। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम ५,००० की जमानत रखी जाय। अब अभी एक बड़ा आदमी करोड़पति पकड़ा गया उसी हिसाब से उसकी जमानत मांगी गई। तो मैं यह सोचता हूं कि ५,००० की जमानत ठाकुर साहब मान लें तो अच्छा रहेगा और उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है।

एक इसमें लाइसेंस जारी करते समय ७६वें नियम में "ऐसे प्रार्थना पत्र के पाने पर कलेक्टर परिशिष्ट ३ के आकार पत्र ८ में लाइसेंस जारी कर सकता है।" यदि वह सन्तुष्ट हो.....। क्या-क्या चीज वह देखेगा और सब चीजों को तो वह देखेगा कि जिसका नैतिक पतन न हुआ हो किसी कम्पनी के ऐसोसियेशन में न हो। वह यह भी देखेगा कि किसी शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट १९३८ में सजा तो नहीं पा गया है, नाबालिग तो नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि खरीदारी एजेंट के लिये जो है, इसमें सब से पहले यह बढ़ा देना चाहिये कि अगर उसके जिम्मे कोई रकम गन्ने की कीमत की बकाया हो। अगर बकाया कीमत उसकी रखी है गन्ने की तो उसे किसी भी हालत में लाइसेंस न दिया जाय.....

श्री फूलसिंह—जरा रूल बता दें।

श्री गेंदासिंह—७६ वां नियम जिसमें कंडीशन लेड डाउन की गयी है पर्चेजिंग एजेन्ट की।

अब मैं जरा नियम ८० के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिसमें पर्चेजिंग सेन्टर की बात है। इसमें यह बन्धन कर दिया गया है कि दो आदमियों को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, एक जगह पर खरीदने के लिये। मैं विचार करने को कहता हूं मंत्री जी से। अगर दो आदमी खरीदते हैं तो जरा सा हम लोगों को मौका मिलता है कुछ उछल-कूद करने का, किसान जो है वह थोड़ा लाभ उठा सकता है कि भाई हम आपके यहां नहीं आवेंगे, दूसरे के यहां चले जायंगे, म रिजर्व एरिया के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो दो तरह के एरिया हैं वहां के किसान तो फैक्टरी के पास जायंगे ही, लेकिन जहां पर्चेजिंग सेन्टर होते हैं, वहीं ऐसा एरिया भी है

[श्री गेंदासिंह]

और किसान गन्ना आकर के बेचते हैं, दूर-दूर के लोग आ सकते हैं, किसी स्टेशन पर एक कांटा लगाया गया एक फैक्टरी का तो दूसरी फैक्टरी का अगर कांटा लग जाय तो क्या हर्ज है ? इससे किसानों को सौदाबाजी करने का मौका मिल जायगा। अगर एक फैक्ट्री वाला कहे कि हम १ ८० ७ आना० मन लेंगे और दूसरा कहे कि १ रु० ८ आ० मन ले लेंगे तो इससे काश्तकारों को मौका मिल सकता है अपना गन्ना ज्यादा दाम पर बेचने का। तो यहां यह शर्त लगा दी गयी है कि कलेक्टर जो है वह दूसरा लाइसेंस विपरीत प्रभाव जब तक पहले लाइसेंस पर यदि नहीं पड़ता है तब तक देगा। तो मैं समझता हूं कि विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही जैसा इस वक्त प्रचलित है। तो हम यह जरूर चाहते हैं कि रिजर्व एरिया के अलावा जहां स्टेशन पर कांटा लगाया जाता है और वहां पर दूर-दूर के लोग आकर गन्ना बेच सकते हैं तो वहां पर अगर दो कांटे लग सकें तो कोई हर्ज नहीं।

अब नियम ८३ में जो खरीदारी एजेन्ट के सम्बन्ध में है उस में यह लिखा हुआ है कि :

"खरीदारी एजेन्ट का लाइसेंस जारी करने वाले कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया जायगा, तो उसके लिये क्या-क्या देखता है कि "सम्बद्ध" फैक्टरी का अध्यासी उसके पास इस आशय का प्रार्थना-पत्र भेजे, यानी अध्यासी भेजे कि हमारा एजेन्ट जो है वह बर्खास्त कर दिया जाय। चार गाड़ी गन्ना है और किसी दूसरे के पास १०० गाड़ी है तो अगर ४ महीने फैक्टरी चलने वाली है तो एक न्याय संगत ढंग यह हुआ कि एक एक गाड़ी एक एक महीने में करके उसका गन्ना ले लिया जाय। एक गाड़ी एक महीने में, दूसरी गाड़ी दूसरे महीने में, तीसरी गाड़ी तीसरे महीने में, और चौथी गाड़ी चौथे महीने में, इस तरह से उसका गन्ना लिया जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह चौथी गाड़ी तो रह ही नहीं जाती है। जब तक चौथी गाड़ी लेने का वक्त आता है तब तक वह खत्म हो जाता है, सूख जाता है। अब वह तो यह समझता है कि जितनी जल्दी उस की गाड़ी ले ली जाय उतना ही अच्छा है क्योंकि उसी पर उस की मालगुजारी निर्भर करती है, और सब खर्च उसी पर निर्भर करता है, तो वह तो न्यायसंगत यह समझता है कि अगर उसके पास दो एक गाड़ी है तो उसकी वह गाड़ी जल्दी पहुंच जाय और मैं भी समझता हूं कि यही न्याय संगत है कि जिसके पास ४०० गाड़ियां हैं उस के लिये रोजाना का हिसाब लगा दिया जाय कि हर रोज वह कितनी गाड़ियां भेजेगा। यानी अध्यासी भेजे कि हमारा एजेंट बरखास्त कर दिया जाय कि और दूसरे वह यह कहता है कि खरीदारी एजेंट दिवालिया निर्णित कर दिया जाय। मैं यह कहता हूं कि यह बढ़ा दिया जाय इसी जगह पर कामा कर के गन्ना का मूल्य चुकाने में असमर्थ हो जाय। दिवालिया बनने में अध्यक्ष महोदय, बड़ी देर लगती है, वह तो कानूनी कार्यवाही है, सालों लग सकते हैं, वह लिख सकता है कि हम दिवालिया नहीं हैं, मुकदमा लड़ सकता है लेकिन इसमें तो वह दिवालिया उसी समय हो जाता है जिस समय कि गन्ने का मूल्य नहीं चुका पाता है। तो अगर अधिकारी संतुष्ट हो जाय कि यह गन्ने का मूल्य नहीं चुका पाया है तो वह उसको दिवालिया करार और उसका लाइसेंस रद्द कर दे, यह अधिकार उस अधिकारी को होना चाहिये। यह भी इसमें बढ़ा देना चाहिये। सूचनायें कुछ लगायी जायंगी जहां पर गन्ना तौला जायगा। उस जगह पर जहां गन्ना तौला जाय – यह नियम ६४ है— जो सूचना लगायी जायगी उस में कुछ चीजें बतायी गयी हैं कि एक बोर्ड लगा दिया जायगा फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर जिसमें यह लिख दिया जायगा मोटे-मोटे हरफों में – उस गन्ने का निम्नतम मूल्य क्या है और केन्द्र द्वारा गन्ने की खरीद की दर क्या है। यहां पर एक बात मैं सोचता हूं कि यह भी उस पर जरूर लिखवा दिया जाय कि इस फैक्ट्री के जिम्मे किसानों का कितना पैसा बाकी है। मैं समझता हूं जितना सरकार उस को कानून के द्वारा मजबूर करके नहीं कर पाती है उस से ज्यादा इस तरीके से मोटे-मोटे हरफों में लिख देने से ही हो जायगा कि उनके जिम्मे कितना किसानों का बकाया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और यह भी लिख दिया जाना चाहिये कि कितनी रकम उनके ऊपर बाकी है गन्ने के दाम की, और कितनी सेस की, यह दोनों बकाया वहां पर लिखा हुआ होना चाहिये अच्छा तो यह होता,

यद्यपि इस कानून से मजदूरों का सम्बन्ध नहीं है, मगर मजदूरों की मजदूरी कितनी बाकी है यह भी लिखा हुआ रहे। यह तीनों चीजें उस पर लिखी हुई रहें जिससे जो कोई भी वहां जाय उस की पहली नजर उस पर पड़े और उसे मालूम हो सके कि यह हालत इसकी है। आखीर में, गन्ना भेजने का यह जो हिस्सा गवर्नर साहब की इजाजत से निकला हुआ है यह इस नियम का अंग हम समझते हैं, हो रहा है। तो इसमें यह आप देखेंगे पन्ना ४० पर जरा ठाकुर साहब देखेंगे कि जहां पर पांचवा खंड है उसके चौथे उपखंड में यह लिखा हुआ है कि "गन्ने की खरीद पेराई के मौसम में न्याय संगत ढंग से की जायगी।" अब यह तो नियम है, लेकिन न्याय संगत ढंग क्या होगा इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये था यहां पर। न्याय संगत ढंग किसी दूसरे पर छोड़ दिया गया है, यह बड़ा झगड़ा है। अब न्याय संगत ढंग किसान कुछ समझता है, दूसरा कुछ समझता है। अगर किसान के पास यह न्याय संगत उसके लिये है तो यह बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिये। और इस नियम को बनाते समय, मैं समझता हूं कि यह पहले से लागू है, मैं आप से क्या कहूं सिर के बाल नोच लेते हैं लोग, अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा। हम गन्ने के इलाके के रहने वाले हैं, तो काश्तकार हमको खा लेते हैं। कहते हैं कि हमको पुर्जी नहीं मिली और उसके बदले में मैं क्या बतलाऊं, कुछ वसूली भी करते हैं। तो सारे दोष के भागी हम हो जाते हैं। क्योंकि ये कामदार और सुपरवाइजर लोग उनसे वसूल करते हैं। तो एक तरफ तो हम केन कोआपरेटिव को चाहते हैं कि वह शर्तें बनी रहें, उस की हिफाजत हो, वह बहुत मजबूत हो और उसी कोआपरेटिव के मेम्बर और डायरेक्टर हम हैं और उसी के मुलाजिम यह करते हैं कि चवन्नी, या एक रुपया, दो रुपया वसूल करते हैं काश्तकार से और तब पुर्जी देते हैं। तो इसकी सफाई होनी चाहिये। तो ठाकुर साहब अनुभवी आदमी हैं वह "न्याय संगत ढंग" का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री फूलसिंह——यह कौन सा नियम है ?

श्री गेंदासिंह——यह नियम चालीसवें पन्ने पर है, पांचवें खंड का चौथा उपखंड है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जरूर विचार किया जायगा।

अब कुछ हरूफ वगैरह के झगड़े हैं, तो मैं क्यों कहूं, उस के लिये तो डिपार्टमेंट ही काफी चतुर है, वह कर लेगा। लेकिन एक बात है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पर एक मुहाहिदा होगा फ़ैक्टरी और कोआपरेटिव के बीच में और काश्तकार और कोआपरेटिव के बीच में। आप ४५वें पन्ने पर पांचवां जो उपखंड है, उसको देखें ठाकुर साहब। उस में यह लिखा है "उस दिशा में जब कि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध के अनुसार गन्ना देने को तैयार हो और द्वितीय पक्ष गन्ना जान बूझ कर न ले, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को गन्ने के उन परिमाण का वास्तविक मूल्य देय होगा, जिसे यह न खरीदेगा, द्वितीय पक्ष के इस अनुबन्ध के अनुसार गन्ना खरीदने में जान बूझ कर असफल रहने की दशा से भिन्न स्थिति में उसे प्रथम पक्ष को गन्ने के उस परिमाण के लिये, जिसे द्वितीय पक्ष न खरीदे, ऐसी दर पर प्रतिकर देना होगा, जो दो आने प्रतिमन के हिसाब से अधिक न हो"।

यहां प्रथम पक्ष गन्ना बोने वाला और द्वितीय पक्ष फ़ैक्टरी है। तो यह "वास्तविक मूल्य" क्या होगा ? क्योंकि गन्ना तो खेत में खड़ा हुआ है, कोई तौल नहीं हुई है, और उनसे तौल करने की कोई व्यवस्था हो रही है। तो यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि वास्तविक मूल्य क्या होगा, यह जानकारी कैसे हो। एक एकड़ खड़ा हुआ है और १ रु० ७ आ० मन के हिसाब से उसे देना है तो उसका निर्णय कौन करेगा कि कितना खड़ा है। अगर काट दिया जाय तो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेरने की जगह नहीं है। तो इसका कोई न कोई उपाय डिपार्टमेंट को सोचना चाहिये और इसको स्पष्ट किया जाना चाहिये कि किस तरह से उसका मूल्य निकलेगा।

[श्री गेंदासिंह]

आखिर में यह लिखा हुआ है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पहली अप्रैल के बाद की अवधि के लिये निश्चित किश्तों के खरीद में जो भी कमी होगी उस के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को ऐसा प्रतिकर देय होगा जो चार आने प्रति मन के हिसाब से अधिक न हो।"

पहले तो कहा जाता है कि दो आना प्रति मन देय होगा द्वितीय पक्ष को अगर वह प्रथम पक्ष से गन्ना न खरीदे और पहली अप्रैल के बाद अगर गन्ना हमारे पास नहीं है तो हमें चार आने मन देय होगा। मैं मालूम नहीं, क्यों इसको समझ नहीं पाता हूं। ठाकुर साहब ही समझेंगे क्योंकि तरीका हमारा यह है, हिन्दुस्तान की सरकार यह कहती है कि पहली मई के बाद अगर तुम्हारा गन्ना खड़ा रहेगा और मिल वाले कहेंगे तो हम दाम कस कर देंगे, रिकवरी बेसिस पर का देंगे कि चीनी कम पड़ती है, सुक्रोज कंटेंट कम हो जाते हैं। यहां कहा जा रहा है कि दो आना मन किसान को मिलेगा अगर उसका गन्ना न खरीदा जाय और पहली अप्रैल के बाद अगर गन्ना न दे तो चार आने उसको देना पड़ेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इस पर जरा ठाकुर साहब गौर करेंगे और इत्तफाक से उद्योग मंत्री आ भी गये हैं। पर अफसोस यही है कि वह पूरी बात सुन नहीं पाये। तो सुने बगैर इस देश की भलाई हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष—आप बात को दोहराइये नहीं।

श्री गेंदासिंह—मैं दोहरा नहीं रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि वह इतने व्यस्त आदमी हैं....

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं कौंसिल में था, वहां बोल रहा था।

श्री गेंदासिंह—लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि आजकल गुप्ता जी से मिलना दुश्वार हो रहा है। बड़ा काम है बहुत बोझ है। उनको कम से कम इतना समय तो निकालना चाहिये कि जरूरी बात उन्हें मालूम हो जाया करे। इस विभाग से ५ करोड़ रुपये की आमदनी साल में वह पाते हैं। हिसाब तो मैं नहीं लगा पाता हूं लेकिन २ करोड़ ४४ लाख मन चीनी हमारे प्रदेश में पिछले साल पैदा हुई। उस पर ४ रु० २ आ० फी मन के हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने एक्साइज ड्यूटी ले ली और २५ करोड़ मन गन्ना पेरा गया जिस पर ३ आने के हिसाब से यू० पी० सरकार ने ले लिया फिर इन्कम टैक्स वगैरह और है। कोआपरेटिव का कमीशन तो, हम गरीब आदमी हैं, गरीबों को मिलना ही है। फिर २ करोड़ ४३ लाख मन चीनी का दाम ३० रुपया मन के हिसाब से कितनी बड़ी रकम हो जाती है। यह यू० पी० के किसानों, सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार के लिये बहुत बड़ी चीज है कि सारे देश में जितनी चीनी पैदा होती है उसका ५४ प्रतिशत हम पैदा करते हैं। हमने जो कुछ कहा है वह इस दृष्टिकोण से कहा है कि मौजूदा इन्तजाम पूंजीवादी इन्तजाम है। यानी सारी फैक्टरियां मुनाफे के लिये चलायी जाती हैं। देश की जरूरत के लिये नहीं चलायी जाती हैं। जब माननीय गुप्ता जी इस बात का इन्तजाम कर लेंगे कि देश की जरूरत और उसके फायदे के लिये फैक्टरियां चलने लगें तब तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त तो ऐसा हो जाय कि किसान भी बोझ के नीचे दब कर मरें नहीं और फैक्टरियां भी चलती रहें। मैंने समाजवादी दृष्टिकोण इसमें नहीं रखा है। वैसे गुप्ता जी के जमाने में देखना चाहता हूं कि ये फैक्टरियां नेशनलाइज हो जायं। जब हिन्दुस्तान के दो बड़े आदमियों में बातचीत हुई तो उस समय जयप्रकाश जी ने जवाहरलाल जी से कहा था कि पंडित जी इन चीनी मिलों को मिलमालिकों के हाथ में अब रहने दिया जाय इसमें कोई औचित्य नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इन फैक्टरियों को नेशनलाइज किया तो बहुत कम बोझ टैक्स पेयर पर पड़ेगा और मुआविजा भी बहुत कम देना

पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त तक वह न हो तो किसान जो करोड़ों की तादाद में बसते हैं, उनको अपने गन्ने की सप्लाई पर उचित कीमत न मिले फिर ऐसा गन्ना न पैदा कर पायें कि जो अच्छे किस्म का गन्ना हो उसमें ज्यादा चीनी न निकले तो हम इंडस्ट्री को कायम नहीं रख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमने यह सुझाव रखे हैं। और वैसे अगर उनको जल्दी हो तो वे इन रूल्स को पास कर दें। वे पास तो हो ही जायगें चूंकि उनकी इतनी जबर्दस्त मेजारिटी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हू कि अगर बोर्ड न बन सके तो कम से कम जैसी स्वामीनाथन इन्क्वायरी कमेटी सन् ५० में बनी थी जिसके ठाकुर साहब भी मेम्बर थे वैसी ही एक कमेटी बना दी जाय तो इसकी थारो स्टडी करे और बम्बई, मैसूर और दूसरे प्रदेशों का निरीक्षण करे और इस प्रकार की कोई व्यवस्था करे जिससे हमारी यह इंडस्ट्री दूसरे सूबों के मुकाबिले में पीछे न रहे। हम अपने किसानों को अच्छी से अच्छी कीमत दें सकें और फिर सारे हिन्दुस्तान में दूसरे सूबों के मुकाबिले में मंहगी कीमत पर हम चीनी न सप्लाई करें यह सब तभी हो सकता है जब इन सब बातों पर विचार किया जाय।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)--श्रीमन्, विद्रोही दल के नेता.....

श्री अध्यक्ष—आप अपने इस "विद्रोही" शब्द में परिवर्तन कर लें।

श्री फतेहसिंह राणा--अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता श्री गेंदासिंह जी ने बहुत अधिक समय लिया और किसानों के हित में उन्होंने बहुत ही अच्छी-अच्छी बाते कहीं लेकिन वह कुछ जगह ऐसी बातें कह गये जिन से मुझे उनकी राय से इत्तफाक नहीं है। शायद कौन्सिलों के बारे में उनको गलतफहमी है क्योंकि उन्होंने यह जाहिर किया कि उनके यहां जो डेवलपमेन्ट कौन्सिल्स है, वह गबन बहुत करती है। मुझे शुबहा है, शायद उन्होंने कन यूनियन और कौन्सिल्स में कोई अंतर नहीं किया है। जहां तक डेवलपमेन्ट कौन्सिल्स हैं, उनमें गबन मैं समझता कैसे हो सकता है। लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो वह शायद उनके यहां ही हुई है। मुझे तो अपने यहां के पश्चिमी जिलों का तजुर्बा है और वहां की जानकारी है और मैं कह सकता हूं कि जहां तक इन कौन्सिलों का संबंध है वहां कोई गबन की बात नहीं आती है।

हां, एक बात उन्होंने यह भी कही कि इसका इलाज यह है कि कमिश्नर साहब क जो अहकामात हैं, जो उनकी जांच करने वाले, आडिट करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में ज्यादा शक्ति दे दी जाय। मैं समझता हूं कि यह जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है। और इसका यह सचमुच इलाज भी नहीं है। इलाज इसका यह है कि गेंदासिंह जी जैसे कर्मठ और ईमानदार आदमी इन संस्थाओं में आयें और उनमें इन चीजों को करे तब न तो गबन हो सकता है और न गलती हो सकती है। अगर सरकारी आदमियों की जाँच से गबन रुक जाया करे तो सरकारी महकमों में गबन हुआ ही न करे। लेकिन देखने में यह आता है कि सरकारी खजाने तक में भी गबन हो जाता है। तो इसका इलाज है ही नहीं।

जनतंत्र प्रणाली के अनुसार यह है कि जहां तक तरीका आडिट का मामूली ढंग से है उसको निभायें और आगे चलकर गेंदासिंह जी ने खुद ही यह चीज कही है और मैं भी उनकी ताईद करूंगा कि यह कौंसिल या यूनियन ऐसे ढंग से काम करें कि उनके ऊपर ऐसी कोई चीज न हो जिससे यह साबित हो जाय कि वह अपने काम करने में स्वतंत्र नहीं हैं। जहां तक कौंसिल के काम करने का संबंध है, इसमें एक रूल्स १५ बना है, जो मैं समझता हूं कि हमारे अधिनियम का जो ध्येय है, उसके भी विरुद्ध है और यहां तो यह कर दिया है कि केन कमिश्नर को जो कौंसिल का प्रस्ताव होगा उनको रद्द करने का अखतियार होगा। लेकिन जहां तक अधिनियम का सम्बन्ध है उसमें

[श्री फतेहसिंह राणा]

केवल यह है कि वह जो धन से संबंधित, बजट से संबंधित बात होगी केवल उनके ऊपर कमिश्नर का अधिकार होगा । यहां उससे आगे बढ़ गये और यह कर दिया कि चाहे वह किसी किस्म का प्रस्ताव करे कौंसिल उसी को रद्द कर सकती है तो मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा.....

श्री अध्यक्ष—अब अपना भाषण आप बाद को जारी रखें ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३३६-३५० पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद (क्रमागत)

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि रूल्स १५ अधिनियम की मन्शा के बिलकुल विरुद्ध है । अधिनियम की धारा ६ में केवल कमिश्नर को जहां तक रुपये पैसे का सम्बन्ध है उसी के बारे में अधिकार दिया गया है । लेकिन इस रूल्स १५ में किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव कौंसिल का हो उसे रद्द करने का अधिकार दिया गया है । तो मैं समझता हूं कि ठाकुर साहब इसको ध्यान से देखेंगे और उचित समझेंगे तो इसको बिलकुल इससे से निकाल देंगे ।

रूल २२ गन्ने का रकबा मुकर्रर करने के लिये है। उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी है कि जब गन्ने का क्षेत्र मुकर्रर किया जाय तब कमिश्नर किन चीजों का ध्यान रखेगा। लेकिन जैसा अधिनियम में आया कि जहां पर क्षेत्र मुकर्रर किया जायगा उसका जितना गन्ना पैदा करने वाले हैं उनका सारा गन्ना फैक्टरी के मालिक को लेना होगा । इसके सम्बन्ध में न तो कमिश्नर को हिदायत की और न इस से रूल में कि वह इस बात का ध्यान रखेगा और न उसके सम्बन्ध में कोई रूल बनाया । मैं समझता हूं कि अगर कोई क्षेत्र इस तरह से बनाया जाता है कि उसका गन्ना फलां फैक्टरी को दिया जायगा तो जितना गन्ना उस क्षेत्र में पैदा होता है वह सारा का सारा जैसा हमारे अधिनियम में है, फैक्टरी को लेना होगा । जब तक यह निश्चय कमिश्नर नहीं करता तब तक क्षेत्र को मुस्तकिल करना बन्द रहना चाहिये, या परमानेन्ट क्षेत्र बनाना कि इसका सारा गन्ना एक अमुक फैक्टरी को दिया जायगा और वहां का सारा का सारा गन्ना फैक्टरी ले ले और कोई गन्ना बाकी नहीं रहेगा । इसलिए यह शर्त इस २२ में रूल के साथ लगानी अत्यावश्यक है । जितना गन्ना उस क्षेत्र में होता है वह सारा का सारा फैक्ट्री को लेना होगा ।

तोल के संबंध में श्रीमन्, चाहे उसे भ्रष्टाचार कहिए या ये कहिए कि सब से ज्यादा शिकायत अगर किसानों को है, तो तोल के ही संबंध में हैं । जैसा कि

माननीय गेंदासिंह जी ने फरमाया उन्होंने स्वयं देखा है । मैं समझता हूं कि जितने अधिकारी हैं, वे भी स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गन्ने की तौल में इतनी अधिक बेईमानी है, इतना अधिक किसानों से तोला जाता है जिसके बारें में कुछ कहा ही नहीं जा सकता । इसके लिये सरकार की ओर से काफी प्रयत्न भी किये गये हैं । सरकारी और गैर सरकारी इंसपेक्टर्स काफी मुकर्रर किये जा रहे हैं । इसके लिये मेरी समझ में यह बात आती है कि अगर इस किस्म की मशीनें जैसा कि हम रेलों पर देखते हैं कि वजन उनके ऊपर रक्खा और पर्ची अपने आप आ गयी, इस किस्म की मशीनें सारी फैक्ट्रियों में लगा दी जायं तो यह सारा का सारा भ्रष्टाचार एक-दम खत्म हो सकता है । इसके अतिरिक्त जहां तक हमारे अधिनियम और रूल्स का संबंध है हर फैक्ट्री को उसका प्रबंध करना ही चाहिये । अगर फैक्ट्री समझे कि उसमें बहुत ज्यादा व्यय होता है तो यह आसानी से किया जा सकता है कि जितना सरकारी स्टाफ उसकी देखरेख के लिये रक्खा जाता है उसका खर्चा इधर करके कम किया जा सकता है । इस योजना से खर्च में भी काफी कमी हो सकती है । इस प्रकार से जो किसानों की गांठ काट ली जाती है उसकी बचत भी बड़ी आसानी से हो सकती है । मैं प्रार्थना करूंगा कि ठाकुर साहब इस पर काफी गौर करेंगे और आखिर में यह निश्चित कर लेंगे कि इसमें इन्हें कोई आपत्ति नहीं है और इन रूल्स में ही ऐसी तब्दीली कर देंगे जिससे इस किस्म की मशीनों का लगाना हर फैक्टरी के लिये लाजिमी हो जाय । और इस किस्म की मशीनों के लगाने में जो खर्चा होगा वह सब फैक्टरी देगी । अगर उसमें खर्चा ज्यादा भी आता है तो अगर कुछ हिस्सा सरकार की ओर से भी दे दिया जाय तो कोई बेजा बात न होगी ।

रूल्स ४० में जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने फरमाया यह बहुत ठीक ही है कि गन्ना तौलने के लिये जो गाड़ियां जायेंगी उनके लिये पक्का फर्श होगा । लेकिन यह बात कागजात में तो जरूर होगी लेकिन पक्के फर्श देखने में तो आते नहीं है बल्कि उल्टा यह होता है कि बैल टांगों तक पानी के अन्दर खड़े रहते है और माह पूस के जाड़ों में खड़े रहते है । मैं समझता हूं कि सरकार को इसकी ओर तवज्जह अवश्य करनी चाहिये । रूल्स में उन्होंने रक्खा है कि पक्का फर्श बनेगा, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री पक्का फर्श नहीं बनाती तो उसके लिये क्या किया जायगा, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही जरूरी है कि जहां तक पक्के फर्श तथा अन्य सुविधा का संबंध है अगर कोई फैक्ट्री पूरा नहीं करती है जैसा कि कमिश्नर साहब का आदेश हो, उनके अनुसार वह फैक्टरियां अगर उनको पूरा नहीं करती है तो उनके लिये कोई इस तरह की चीज रूल्स में रखनी चाहिए कि उन से मनवाया जा सके ।

अध्याय ११ के सम्बन्ध में मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह इन रूल्स में क्यों है । जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात है, हमारे अधिनियम में है जो केन ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वह अधिनियम की धारा २ में यह है कि यह जो गन्ने की सहकारी समितियां होंगी वह सब केन्द्रीय सरकार के कोआपरेटिव ऐक्ट सन् १९१२ का जो है, और जो सन् १९०४ में बना था और सन १२ में संशोधित होकर लागू हुआ वह सब उसके अधीन रजिस्टर होंगी । तो उन पर वह कानून लागू हुआ । तो इससे गन्ने की खरीद-फरोख्त के कानून में उस कानून से बनी हुई सोसाइटियों का किस तरह से नियंत्रण होगा यह हमारी समझ में नहीं आया कि वह किस तरह से रूल्स में आ गया । मुझे विश्वास है कि ठाकुर साहब सहमत होंगे कि यह सारे का सारा अध्याय इस कानून से सम्बन्धित नहीं है । यह सरकार की नीत और प्रजातंत्र की प्रणाली का जो एक तकाजा है यह उसके बिलकुल विपरीत है । कहीं कोई सम्बन्ध नहीं आता । आप यह तो कहते हैं कि वह तो आटोनामस बाडी है और वह केन समितियां जैसे चाहेंगी काम करती रहेंगी और फिर आप यहां रूल्स

[श्री फतेहसिंह राणा]

ऐसे बनायें कि वह कुछ कर ही न सकें और उनके हर एक प्रस्ताव और कार्यवाही को कमिश्नर जब चाहे रद्द कर दे तो सरकार ने इस तरह से एक नंगी तलवार उन समितियों के ऊपर लटका दी कि वह कभी कुछ कर ही नहीं सकतीं। मैं समझता हूं इस को फौरन हटा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस चैप्टर के किसी भी रूल्स का हमारे ऐक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने भी पहले कहा था और माननीय गेंदासिंह जी ने भी कहा कि हमारी जितनी यह समितियां हैं उनमें से कुछ में खराबी भी हो सकती है लेकिन मैं निवेदन करूं कि खराबी है कहां नहीं। जहां तक खराबी, बेईमानी या भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, वह तो सारा हमारा वातावरण ही ऐसा है कि जिस में जहां भी देखा जायगा तो बेईमानी और ईमानदारी दोनों मिलेंगी। तो वह कहां नहीं है? हमारे माननीय गेंदासिंह जी आम तौर से अपने भाषणों में कहते हैं कि सरकार के फलां महकमे में भ्रष्टाचार है फलां जगह बेईमानी है और ज्यादती हो रही है। तो अगर हम इन समितियों को मौका न देंगे कि वह अपना काम खुद करें तो फिर वह कुछ सीखेंगी कब? इसलिये मैं ठाकुर साहब से जोरदार अपील करूंगा कि यह प्रजातन्त्र की प्रणाली के बिलकुल विरुद्ध है और संविधान के भी खिलाफ है और इसलिए इस सारे के सारे चेप्टर को आज ही निकाल दिया जाय इसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं है।

मैं माननीय गेंदासिंह जी की इस बात से भी सहमत हूं कि रूल ६४ में कलेक्टर को सेस को ऐसेस करने का अधिकार है बिलकुल गलत है। यह तो ड्राफ्टर ने कोई भूल की है। ऐसेस के माने यह होते हैं कि सरकार का कोई आदेश है कि कितने पर कितना लगे उसके बिना भी वह लगाये। यह तो रेवेन्यू है और ऐसा टैक्स है जिसका यहां से सीधा सम्बन्ध है और उसी के आदेश पर वह लगना चाहिये। यह हो सकता है कि यहां से कोई सिद्धान्त बना दें और उस सिद्धान्त के मुताबिक वह वहां उसको लगाये और वसूल करे। मैं समझता हूं कि यह कोई भूल है और उसे अवश्य दूर कर दिया जायगा।

अन्त में बहुत विस्तार की बातें तो माननीय गेंदासिंह जी कर चुके हैं और जो किसानों के फायदे की बात है वह बता दी है इसलिये मैं अब इससे अधिक समय नहीं लेना चाहता और समाप्त करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने के अधिनियम से संबंधित कुछ नियम हमारे सामने हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। विरोधी दल के नेता माननीय गेंदासिंह जी ने इस सम्बन्ध में किसानों की कठिनाइयों को सामने रखते हुये प्रस्तुत नियमों में कुछ सुझाव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे व्यक्तियों में से हूं जिसका सम्बन्ध गन्ना उत्पादकों, बेचने वालों और उनसे प्रतिनिधित्व करने वाले में से यह मेरा सौभाग्य रहा है। इस क्षेत्र में मुझे अवैतनिक निरीक्षक के रूप से कई वर्षों से गन्ने के बिक्री के मामले में बड़े कटु अनुभव हुये हैं। मुझे सरकार से बड़ी शिकायत यह है कि नियम चाहे यह हों चाहे इनमें सुधार करके वह सब सुझाव जो माननीय गेंदासिंह जी या माननीय राणा जी ने दिये हैं उन सब को मिल कर एक मोटी सी पुस्तक बना दी जाय परन्तु अलमारी में बन्द कर दी जाय और वह काम में न लायी जाय तो सभी परिश्रम बेकार होगा। हम आदर्शों की बात कहें, चाहे व्यावहारिकता की बात कहें। हमारे वह सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है, हमारे अनपढ़ और भोले भाले किसानों के माल की खरीदारी में भ्रष्टाचार को रोकने में निश्चेष्ट रहते हैं और किसानों की तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण तमाम नियम और अधिनियम बेकार हो जाते हैं। मेरा अब तक का ऐसा ही अनुभव है जैसा मैंने कहा। माननीय गेंदासिंह जी ने इन नियमों के बारे में विस्तृत रूप से अपनी राय रखी है और बताने की चेष्टा की है कि तमाम वह कठिनाइयां जो आज किसानों के रास्ते में आती हैं, दूर हो जायं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान

नियम २ के उपनियम (झ) की ओर दिलाऊंगा कि जिसमें कि वेब्रिज की परिभाषा दी हुयी है। "वेब्रिज का तात्पर्य किसी ऐसे यंत्र अथवा तराजू से है (इसके अन्तर्गत डंडे वाली तराजू भी है) जो गन्ना तौलने के काम में लायी जाती है।" मैं दो वर्ष पहले उस समय के केन कमिश्नर के सामने अपने जिले के बहुत से किसानों के साथ गया था और यह सुझाव रक्खा था कि मेहरबानी करके तौलने की जिम्मेदारी आप न लेकर सीधे हमारे ऊपर डाल दीजिये। आप केवल हर खरीदारी केन्द्र पर एक सीधी सादी तराजू का प्रबंध कर दीजिये जो कि पुराने जमाने से चली आती है जिसे डंडे वाली तराजू कहा गया है। जिससे हमारे अनपढ़ किसान भी अपने संतोष के लिये अपने गन्ने को स्वयं तोल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि केन कमिश्नर महोदय ने या हमारी गवर्नमेंट के अधिकारियों ने इसमें क्या कठिनाई पायी है या राज्य सरकार के सामने ऐसी क्या परेशानी रही जिसकी वजह से वह सुझाव कार्य रूप में आज तक परिणित नहीं हो सका। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वेब्रिज का उपयोग आज खरीदारी केन्द्रों पर किया जाता है उसके बारे में इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उस पर अंक व चिन्ह केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। उसके तौलने का ढंग भी अनोखा है जिससे मामूली आदमी जब तक उसकी विशेष शिक्षा न ले, तौल नहीं सकता। अतः खास तौर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तभी लोग तौलना सीख पाते हैं। हमारा वह किसान जो पीढ़ियों से अनपढ़ है और हिन्दी के अंकों तक से परिचित नहीं है से यह आशा की जाय कि वह अपने को उन लोगों से बचा सकेगा जो इस के द्वारा उसका खून पीते हैं, अथवा शोषण करते हैं मुझे इसमें शक नहीं चाहे जितने आदर्श नियम बना दिये जायं, कितने ही निरीक्षक रख दिये जायं उन गरीब किसानों का शोषण होता ही रहेगा। और वह शोषण उस समय तक बन्द नहीं हो सकता जब तक कि यह तराजू न बदली जाय। इसलिये मेरी माननीय उप मंत्री जी से आप के द्वारा यह प्रार्थना है कि यदि वे चाहते हैं कि किसानों को संतोष मिले अथवा उन को सरकार की ओर से इस प्रकार का आश्वासन हो जाय कि सरकार उनके हितों की रक्षा मिल मालिकों और किसानों के बीच में पड़ कर करने वाली है तो उनके लिये सीधा सादा कांटा वहां पर रख दिया जाय ताकि जो किसान चाहे वह अपने गन्ने को अपने तरीके पर तौल कर संतोष कर ले।

दूसरी बात अध्याय ४ में गन्ना विकास परिषद् की कही गयी है। इस सम्बन्ध में कुछ नियम आये हैं। जहां तक गबन की बात है जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा मेरे जिले में इस तरह की शिकायत अभी तक तो नहीं है, लेकिन हां इतनी प्रार्थना माननीय मंत्री महोदय से अवश्य करूंगा कि कम से कम इस गन्ना विकास परिषद् में ऐसे लोगों की नामजदगी न हो जिनकी जिन्दगी का तजुर्बा यह हो कि वे सीधा सादा लाभ अपने लिये उठाते हों या अपने से बचता है तो अपने कुटुम्बियों तक सीमित रहता हो। मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि लोगों को जिनके बारे में राज्य सरकार को यह संदेह हो कि वे पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं कम से कम उन्हें किसानों के नाम पर राज्य सरकार की ओर से बार-बार मौका नहीं मिलना चाहिये। और परिषद् की नामजदगी का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें किसानों के ऐसे नुमाइंदे, जो सही मानों में किसान के बीच में काम करते हैं, नामजद किये जायें। मैंने बहुत कोशिश की इस पूरे अध्याय से संबंधित नियमों को पढ़ने की। उसमें जहां और बातें हैं पूरा अधिकार केन कमिश्नर को है, अथवा वह चाहे परिषद् की कार्यवाही को स्वीकार करें या अस्वीकार करें वहां उसमें इस प्रकार का कोई नियम नहीं मिला कि अगर कोई आदमी परिषद् का सदस्य होने के बाद कोई लाभ अपने लिये उठाता है तो उसको वहां से हटाया जाय।

अब मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अध्याय ५ के नियम १९ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध निरीक्षण से है। इस नियम के द्वारा माल बोर्ड के सभी सदस्य भूमि व्यवस्था कमिश्नर, नियोजन कमिश्नर, तथा विकास कमिश्नर, गन्ना कमिश्नर, चीनी कमिश्नर, समस्त राज्य के लिये पदेन निरीक्षक होंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, परगना अधिकारी, डिप्टी केन कमिश्नर, व्यवस्था नियोजक इत्यादि जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, उन सब को पदेन निरीक्षक माना गया है।

[श्री महीलाल]

मैं माननीय उप मंत्री महोदय से यह जानने की धृष्टता करूंगा कि कितने जिलों में कलेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने गन्ने के सीजन में कहीं एक सेंटर की भी चेकिंग की हो। मैं यह आशा करता हूं कि शायद कोई ही जिलाधीश महोदय हों जिन्होंने सीजन में किसी सेंटर में जाकर यह देखा हो कि किसान का गन्ना ठीक तुल रहा है या नहीं अथवा उन तमाम नियमों और विधान का जो सदन के द्वारा बना है कहीं भी पालन हो रहा है या नहीं मुझे इसमें संदेह है। सेंटरों से शिकायतें आती हैं। किसान के साथ ज्यादतियां होती हैं। किसान चीखता हुआ आता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मेरी उनसे यह प्रार्थना थी कि यदि वह उचित समझें तो इन जन प्रतिनिधियों जैसे विधान मंडल, लोकसभा, राज्य सभा के माननीय सदस्यों को भी पदेन निरीक्षक बनाने की व्यवस्था नियमों में कर दें। मुझे इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमारी सरकार इन लोगों के बारे में जो जन प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बड़ा उत्तरदायित्व रखते हैं गैर जिम्मेदारी की बात नहीं सोच सकती। लेकिन मैं नहीं जानता कि किस कारणवश उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। उप मंत्री महोदय की तरफ से यह कहा जा सकता है कि पदेन निरीक्षकों के अतिरिक्त कुछ अवैतनिक निरीक्षक केन कमिश्नर की ओर से नियुक्त किये जाते हैं जिन की नियुक्ति प्रति वर्ष होती है। यह ठीक है। लेकिन यह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मालूम होता कि विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों की नियुक्ति जिलाधीश महोदय करें अथवा किसान की तोल का चेकिंग करने के लिये उन की तरफ से नाम आयें तब तोल को चेक करने का अधिकार मिले। यदि उनकी तरफ से न आये, अगर किसी वजह से जिलाधीश महोदय नाराज हों तो उन्हें अधिकार ही नहीं है। किसान अपने प्रतिनिधियों से यह उम्मीद रखता है कि वे उसकी हर परेशानी व दिक्कत में मदद करेंगे। लेकिन उन्हें अधिकार नहीं है कि वे जाकर खरीदारी सेंटर को अच्छी तरह से देख सकें, अथवा दखल दे सकें। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि माननीय उप मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और इस आशा से ध्यान देंगे कि इन सब प्रतिनिधियों को हो सब से ज्यादा इस बात का ख्याल रहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के कष्टों को दूर कर सकें और यदि दूर भी न कर सकें तो कम से कम उनके प्रति सहानुभूति ही प्रगट कर सकें। मैं नियम २० कह गया, यह १९ के अन्तर्गत आता है।

अब मैं माननीय उप मंत्री जी का ध्यान अध्याय ७ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके नियम २१–गन्ने की शुद्ध तौल–में कहा गया है कि गन्ने की शुद्ध तौल में मन के आठवें भाग तक ठीक तरह से दर्ज की जायगी। मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। वह पांच सेर ही ज्यादा ले लें लेकिन वहां मनों का हिसाब चलता है। पांच सेर ज्यादा तौलने की आज्ञा दे ही दी है। मैं इस पांच सेर के स्थान पर, जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा दो सेर के पक्ष में हूं। दो सेर से कम हो तो वह छोड़ दिया जाय और दो सेर से ज्यादा हो तो उसको पांच सेर माना जाय।

इसके अतिरिक्त नियम ३२ में, जिसमें कि "फैक्टरी का अध्यासी अथवा खरीदारी एजेन्ट गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के प्रतिनिधियों को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जिसे गन्ना कमिश्नर इसके लिये विधिवत् अधिकृत करे, अनुमति देगा कि वह तौल, वेब्रिज और बांटों पर निगाह रखें अथवा उनकी जांच करें और उन परचों का निरीक्षण करें जिनमें गन्ने की तोल तथा मूल्य दर्ज किया जाता है।" मैं इसमें भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को अथारिटीज दी जाये जिन्होंने पिछले वर्ष में कोई चेकिंग की हो अथवा किसी स्थान पर गये हों। अब ऐसे लोगों को नामजद किया जाता है कि जो तीन-तीन साल तक चेकिंग करने किसी भी स्थान पर नहीं जाते। इसके अतिरिक्त नियम ३३ में यह बताया गया है कि जो तराजू और बांट हैं, वह अगर अशुद्ध होंगे तो वह नहीं रखे जायेंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वे एक प्रतिशत अशुद्ध होंगे तो तौल का कार्य रोका न जाय, और बाद में है कि उसको छूट दे दी जायगी।

इसके सम्बन्ध में मैं माननीय उप मंत्री जी को अपने यहां का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वे ब्रिज का मामला एक ऐसा अनोखा मामला है, बल्कि वह बिलकुल चूं चूं का मुरब्बा है, जिसमें जो उसका विशेषज्ञ है, वही उसकी खराबियों को समझ सकता है। मेरे एक मित्र ने मुझे एक वेब्रिज को ले जाकर दिखाया। उसमें एक जगह एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा तौलते समय लगा दीजिये बड़ी आसानी से ५ मन का फर्क पड़ जायगा। और यह काम अधिकारियों या सेठ जी की सलाह से किया जाता है और गरीब किसानों का माल मारा जाता है। इतना ही नहीं अगर एक छोटा सा धांगा वेब्रिज के पीछे बांध कर तोलते समय थोड़ा सा खींच लिया जाय तो उससे ४, ५ मन का फर्क पड़ जाता है। यह मामूली बातें हैं जिनसे कि दिन रात किसानों का शोषण होता है और हमारे यह अधिकारी, जिन पर किसानों की रक्त की जिम्मेदारी रखी गयी है आंख बन्द किये पड़े रहते हैं। अब मैं माननीय उप मंत्री जी का ध्यान नियम ४० (क) की ओर दिलाना चाहता हूं, बल्कि पूरे ४० की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि मिल मालिक किसानों को क्या-क्या सुविधायें देंगे। जिसमें सड़क बनवाने और उसको ठीक व्यवस्था में रखने का जिक्र है, तौल की प्रतीक्षा में खड़ी बैलगाड़ियों के लिये पक्के ट्रैक और छाजन का जिक्र है। फैक्टरी क्षेत्र में तथा जहां गन्ना खरीदा जाता है वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था का भी जिक्र है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एक शुगर फैक्टरी है जिसकी स्थापना हुए अगर मैं नहीं भूला हूं करीब १० साल से ज्यादा हो चुके हैं। श्रीमन्, उस स्थानको जहां पर बैलगाड़ियों खड़ी होती हैं, पक्का नहीं कराया गया। और छाजन का जहां तक सम्बन्ध है कोई प्रबन्ध फैक्टरी की तरफ से अब तक नहीं हुआ है, जिससे किसानों के बैल ओले, बारिश, सर्दी और गर्मी से बच सके और उस सूरत में बच सकें जब कि गाड़ियों फैक्टरी में ३६, ३६ घंटे खड़ी रहती हैं। गत सीजन में मैंने माननीय उप मंत्री को लिख कर दिया, हाउस में कहा कि इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और मैं यह भी जानता हूं कि फैक्टरी में केन कमिश्नर भी जाते हैं, उनके नीचे के अधिकारी भी जाते हैं लेकिन इनमें से किसी को कोई गर्ज नहीं कि यह जाकर देखें कि किसान के लिये कोई सुविधा दी गयी है या नहीं। इस वर्ष मुझे जाड़े के मौसम में रात को ९ बजे फैक्टरी में जाने का इत्तफाक हुआ। चूंकि मुझे यह शिकायत मिली कि ३६, ३६ घंटे से गाड़ियां खड़ी थीं। मैंने अपने इंस्पेक्शन नोट में लिखा कि बिजली तड़क रही है, बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है और कम से कम घुटने-घुटने कीचड़ है जिसमें बैल खड़े हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि इस सरकार की तरफ से मिल मालिकों को कोई चेतावनी भी दी गयी है या नहीं। अभी तो बनवाना दूर रहा कम से कम अगले १० साल में ही पूरा करा दिया जाय तो भी सरकार धन्यवाद की पात्र हो जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि वे मुझसे ज्यादा किसानों के हित की बात सोचते हैं और उनके हृदय में मुझसे कहीं ज्यादा किसानों के लिये स्थान है, वह कम से कम नियत ४० को हर फैक्टरी में कार्य रूप में परिणित करावें और इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। बारिश, सरदी और बिजली तड़पते समय गाड़ियों का ३६, ३६ घंटे खड़ा रहना कहां तक उचित है। यदि ऐसे समय बदकिस्मती से ओले भी पड़ जायं तो कहीं किसान का तो सर्वस्व नष्ट हो जाय क्योंकि बैल ही उसके सब कुछ हैं। किसान अपने को गाड़ी के नीचे छुप कर बचा सकता है मगर बैल मर सकते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? यह भी विचारणीय प्रश्न है। किसान पर नहीं हो सकती।

अब मैं उपमंत्री जी का ध्यान ११ के नियम ५४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें सहकारी समितियों के स्थायी अथवा अस्थायी सचिवों, लेखा परीक्षकों इत्यादि की नियुक्तियों तथा छुट्टियों के बारे में जिक्र है। मैं इस बात में माननीय गेंदासिंह जी से बिलकुल सहमत हूं कि जहां तक लेखा परीक्षकों का प्रश्न है, वे सीधे-सीधे एकाउन्टेन्ट जनरल के मातहत होने चाहिये। उनका केन कमिश्नर के दफ्तर के मातहत होने के माने यह हैं कि वे कोई काम अपना स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इसका नतीजा मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि ठीक तो नहीं कह सकता कि कितनी तादाद थी, मेरे यहां की गन्ना सहयोग समिति की करीब १७ बोरियां चीनी की चींटी खा गयीं और पता नहीं लगा।

[श्री महीलाल]

१७ बोरी चीनी चींटी खा जायें और उसका पता न लग सके यह दशा है। और इतना ही नहीं बल्कि बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जहां तक सहयोग समितियों के चुनाव का सम्बन्ध है, ये कर्मचारी उनको भी ठीक स्वतंत्र रूप से नहीं होने देते। विभाग के कर्मचारी चुनाव में भी सीधा हस्तक्षेप करते हैं। गांवों में जाते हैं और जो उनके अपने मन का आदमी होता है उसको डेलीगेट और उसके जरिये दूसरे आदमी को, जो उनकी हां में हां मिलाने वाला होता है उसको डाइरेक्टर चुनवाते हैं और आपको उसी का यह नतीजा भी देखने को मिलेगा कि एलेक्शन के अनेक एलेक्शन पेटीशन होते हैं और शिकायतें आती हैं। परन्तु खेद है कि उन पर कभी कोई गौर होता है अभी बिलकुल नहीं होता। मैं इसके बारे में माननीय उप मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि नियमों में इसके लिये भी एक सख्त व्यवस्था होनी चाहिये जिससे यह कर्मचारी हस्तक्षेप न कर सकें। जहां तक अध्याय १२ में नियम ६४ है, जिसकी ओर माननीय गेंदा सिंह जी ने और श्री राणा जी ने भी ध्यान दिलाया है, उस विषय में मैं माननीय उप मंत्री जी से ज्यादा न कहकर इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया है कि वह अपने यहां की गन्ने की मिल पर जैसा उचित समझे सेस लगाये और साथ ही साथ वसूल करने का भी अधिकार उसी को हो, उचित नहीं है। नियम ६६ में यह कहा गया है कि फैक्टरी का अध्यासी प्रत्येक महीने की १५वीं तारीख के पूर्व उसके पहले महीने में निर्दिष्ट क्षेत्र में लाये जाने वाले गन्ने पर देय अबवाब की धनराशि को कोषागार में जमा कर देगा। पिछली बार इसी सदन में मैंने एक प्रश्न अपने जिले की फैक्टरियों के बारे में पूंछा था तो यदि मैं भूल नहीं करता तो फैक्टरी वालों ने तीन-तीन साल तक का अबवाब जमा नहीं किया था जबकि नियम में यह व्यवस्था है कि अगले महीने की १५ के अन्दर वह जमा कर देगा। मिल मालिक इस तरह रुपया अपने पास रखे, उसका इस्तेमाल करे और उससे किसी प्रकार का सूद न लिया जाय, मैं नहीं जानता कि यह कहां तक उचित है। कितने ही आदर्श नियम यह सदन या सरकार बनाये, अगर उन पर सख्ती के साथ अमल नहीं होता तो वे सब बेकार हैं। और यही नहीं मुझे तो यह कहने में भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि जितना शोषण फैक्टरीज के मालिक करते हैं उसमें बहुत कुछ मदद हमारे राज्य अधिकारियों की रहती है। उनकी सुस्ती की वजह से किसान को वक्त पर रुपया नहीं मिलता। साल-साल और डेढ़-डेढ़ साल तक उसका रुपया पड़ा रहता है, और किसान को नहीं मिल पाता। और फैक्टरीज के मालिक कहते हैं कि हम नुकसान में चल रहे हैं। उस दिन श्री कृष्णशरण आर्य ने रामपुर की रजा फैक्टरी के बारे में बताया कि उस फैक्टरी में जो धन लगा, वह २० लाख के करीब था। और अब उनके पास जो सुरक्षित फंड है, वह ४० लाख का है। वह भी सरकार से यह कहते हैं कि नुकसान हो रहा है। मेरे जिले में अमरोहा फैक्टरी का भी यही हाल है। उस के मालिक डेढ़-डेढ़ साल तक किसान का रुपया नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी एक दूसरी फैक्टरी बुलन्दशहर में लगा ली और उसे चला रहे हैं। तो यह उनकी हालत है। एक तरफ तो उनकी आमदनी दुगुनी-चौगुनी होती जा रही है और दूसरी तरफ वह यह बतलाते फिरते हैं कि उनको नुकसान हो रहा है। यह सब किसान के पैसे पर होता है, उसके बल पर आनन्द लूटे जाते हैं, उसके पैसे और सरकारी पैसे को रोक कर यह कमाई होती है और यह सब राज्य के अधिकारियों की आड़ व मदद से होती है। वह सही तरीके से उन नियमों का पालन नहीं करते जो इस राज्य या सदन से स्वीकृत होकर जाते हैं। अध्याय १५ के नियम ८७ व ८८ में, लाइसेंस के बारे में कहा गया है इसका भी एक अनोखा किस्सा है।माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नहीं जानता कि मुकदमा सही है या गलत, मेरे यहां के राजा का सहसपुर फैक्टरी का एक मुकदमा अदालत में चल रहा है। उस सिलसिले में उनके कुछ तौल क्लार्क वगैरा भी पकड़े गये उनके लाइसेंस जब्त हुये, कोई लाइसेंस नहीं है और पिछले साल उन्हीं क्लर्कों ने बड़े आनन्द से बिना लाइसेंस के तौलों पर काम किया। कोई देखने व पूछने वाला नहीं है। यह नियम रखा गया है, ठीक है और शायद इसकी फीस भी एक ही रुपया है, जैसा मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं चाहता यह हूं कि जो नियम बने हैं, उनकी सख्ती के साथ पाबन्दी होनी चाहिये। नियम ८९

में कर्मचारियों की जमानत के बारे में कहा गया है, "धारा ८८ के अधीन लाइसेन्स के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर परिशिष्ट ३ के आकार-पत्र २ में लाइसेंस जारी कर सकता है। इस नियम के अधीन लाइसेंस देने के पूर्व, लाइसेंस की शर्तों का ठीक से पालन कराने के लिये कलेक्टर अधिक से अधिक सौ रुपये तक की नकद अथवा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांग सकता है।" यह सभी कर्मचारियों के लिये है कि एक सी जमानत मांगी जाय, चाहे कोई पर्ची काटने वाला हो, चपरासी हो या तौल करने वाला क्लर्क हो या पर्चियां जोड़ने वाला कोई दूसरा क्लर्क हो। सब से एक प्रकार की जमानत होगी। मैं इसमें कुछ अन्तर रखने का सुझाव दूंगा और साथ ही उपमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो आदमी तौल पर बैठे कम से कम उसको पांच सौ रुपये की जमानत होनी चाहिये और वह इसलिये कि जो कुछ भ्रष्टाचार होता है वह चाहे किसी के इशारे पर होता हो, चाहे उसमें कितने ही हिस्सेदार हों, लेकिन सीधा सम्बन्ध उस तौलने वाले क्लर्क से ही है। यही नहीं, जो लोग पकड़े गये हैं, मुझे भी इत्तफाक हुआ एक दो केसों में इस तरह के ज्यादा तौलने के मामलों को पकड़ने का, उन मुकदमों का अदालत में जाकर कामयाब होना बड़ा मुश्किल होता है। आफिस चालान करने में देरी करता है और कहीं चालान होता है तो उसमें दस कानूनी दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं जिस से वह केस छूट जाते हैं। मैं माननीय उपमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस नियम में सख्ती आनी चाहिये, उन लोगों के लिये जो तौल पर बैठें, और उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार समझ कर उनकी ज्यादा से ज्यादा जमानत होनी चाहिये। उनके हाथों क्या-क्या होता है? उदाहरण के तौर पर सन् १९५२ में मुझे मुरादाबाद स्टेशन पर एक केस पकड़ने का मौका मिला। उपाध्यक्ष महोदय, एक गाड़ी की परची में दो गाड़ी तौली गयीं और दोनों में १३ मन, २० सेर किसान का गन्ना कम तोला गया। इतना भ्रष्टाचार, इतनी ज्यादती किसान के साथ होती है और उन तौलने वालों के हाथ होती है जिनकी जमानत इतनी कम है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इस नियम को पुनः देखें और कम से कम तौलने वालों की जमानत ज्यादा-ज्यादा होनी चाहिये जिस से अगर उनको अदालत में जाकर दंड न मिले तो एक विभागीय कार्यवाही में अधिक दंड दिया जा सके।

अब मैं अध्याय १७ के नियम ९६ (२) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि तोल होते ही खानापुरी करना आवश्यक होगा। जिस वक्त गाड़ी तुल जाय उस वक्त उसकी खानापुरी हो जानी चाहिये और पर्ची किसान के हाथ में पहुंच जानी चाहिये जो शायद किसी स्टेशन पर कहीं होता हो। गाड़ी तुल जाती है, गन्ना उतर जाता है और उसके बाद जब खाली गाड़ी तुल जाती है तब पूरा वजन चढ़ाया जाता है। तो इस बारे में मैं माननीय उपमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये सख्त नियम बनने चाहिये, जिससे कि जो यह एक करप्शन का सहारा है जो निरीक्षकों की पकड़ में नहीं आता वह कम से कम पकड़ा जा सके।

अब मैं अध्याय २० के नियम १२१ की ओर आता हूं, जिसमें दंड की व्यवस्था की गयी है। उसमें लिखा है, "इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन कोई अधिकारी किसी अपराध की उपेक्षा न करेगा जबतक कि अपराध किये जाने की बतलाई गयी तारीख के एक वर्ष के भीतर प्रतिवाद न प्रस्तुत किया जाय।" एक वर्ष का समय आफिस को दिया जा रहा है मुकदमा अदालत में भेजने के लिये। मैं समझता हूं कि यह अवधि बहुत ज्यादा है। माननीय उपमंत्री जी गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार कर लें। और अब ज्यादा न कह कर चूंकि मैंने बहुत समय सदन का ले लिया यह आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में कम से कम उन नियमों की पाबन्दी सख्ती के साथ करायेगी जिनका सम्बन्ध सीधा हमारे किसानों से है, जैसे विशेषरूप से मैं नियम ४० की ओर ध्यान दिलाता हूं जिस पर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी काफी जोर दिया। जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है शायद अभी इस सूबे में आज ऐसी मिलें हैं जिन्होंने नियम ४० का किसी अंश में भी पालन नहीं किया है जो कि इसी सत्र में एक प्रश्न

[श्री महीलाल]

के उत्तर में मुझे बताया। अन्त में मैं यह अपील करते हुये कि उन्हें भविष्य में किसानों के हितों का संरक्षण करना है और संरक्षण के लिये इन नियमों का कठोरता के साथ पालन करना है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इक्षु दंड विनियमन का जितना सिंहावलोकन हुआ है वह बहुत मूल्यवान है। हमारे माननीय साथी श्री गेंदासिंह ने किसानों की जिन दैनिक कठिनाइयों की ओर संकेत किया है वह बहुत ही मूल्यवान है। उसमें पूर्ति की है हमारे माननीय महीलाल जी ने। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उधर उनको ध्यान देना चाहिये। किसानों के दैनिक जीवन में यें कठिनाइयां आती हैं। हमारे राणा साहब ने भी इधर बहुत प्रयत्न किया है जिससे किसानों का दुःख दूर हो सके। पर इन सब बातों के होते हुये भी मैं एक बात नहीं समझ सका। यह जो भ्रष्टाचार का शब्द हमारे कर्ण कुहरों को बेधित करता है यह केवल नियमों में परिवर्तन हो जाने से दूर होगा या नहीं इसमें सन्देह है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो नियम वर्तमान में हैं वे पर्याप्त हैं जिनके द्वारा हम किसानों की भलाई कर सकते हैं। उनमें थोड़ा सा परिवर्तन मात्र से कोई विशेष परिवर्तन ऐसा नहीं हो जायगा जिससे यह भ्रष्टाचार मिट सके। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस अर्थ संचालित संसार में जब लक्ष्मी पुत्र बनने की लालसा सर्वत्र ही दिखलायी पड़ती है तो इन नियमों में परिवर्तन कर देने से यह कैसे हो जायगा। ये फ़ैक्टरियों के स्वामी, इन लक्ष्मी पुत्रों के सामने हमारे कार्यकर्ता ठहर नहीं पाते। जिस समय यह मुद्रा की मार देते हैं और जैसी हमारे समाज की व्यवस्था है और जैसा समाज का ढांचा बना हुआ है उस पर हमारा यह आशा करना कि हमारे समाज से यह भ्रष्टाचार निर्मूल हो जायगा तो यह नितान्त हमारी भूल है। इसके अतिरिक्त हमें दूसरी ओर ध्यान देना चाहिये। यदि मैं कह सकूं तो अत्यन्त जोरदार शब्दों में कहूंगा कि यह जो वर्तमान इंगित संसार है इसके पीछे एक दर्शन है, उसको आप चाहे ईश्वर कहिये, चाहे महाशक्ति कहिये, चाहे जो कुछ कहिये आप समाज का ध्यान इधर लायें, और इस ओर संकेत करते हुये नैतिकता के अन्दर इसको बांधे तो भ्रष्टाचार में कमी होगी। अभी तो आर्थिक नैतिकता के आधार नहीं बने हैं। और अभी हमारे समाज की रचना बहुत ही चंचल गति में है और मैं इन बातों की ओर संकेत न कर के माननीय सदस्यों का ध्यान इधर ले जाना चाहता हूं कि अब तक भ्रष्टाचार निर्मूल हो जाय, यदि हममें से हर एक व्यक्ति मन लगा कर परिश्रम से कार्य करे तो जो वर्तमान नियम हैं वह पर्याप्त हैं और इनसे ही हम बहुत अधिक कृषकों का कल्याण कर सकते हैं। अब समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिये मैं इस इक्षु दण्ड विनियमन का समर्थन करता हूं और मेरा विश्वास है हमारे माननीय सदस्यों ने जो इसका सिंहावलोकन किया है वह बहुत ही पर्याप्त है। अब मैं आदरणीय सदन का अधिक समय न ले कर यहीं समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से जो सदन में भाषण हुये हैं, उनको सुना है और विशेष कर माननीय राणा साहब का, जिनका नाम मैं इस समय भूल रहा हूं, श्री फतेहसिंह राणा, के भाषण ने मुझे कुछ आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण के आरम्भ में ही श्री गेंदासिंह जी को जिस शब्द से विभूषित किया वह शब्द विद्रोही था और मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले लोग विरोधी को विद्रोही ही समझते हैं और यह उनकी समझदारी की बात है। उन्होंने अपने भाषण में श्री गेंदासिंह जी के तर्कों को एप्रीशियेट किया है, दाद दी है और उनका समर्थन किया है इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस रूल की ओर जो इस बहस से संबंधित है, दिलाना चाहूंगा। श्रीमन्, गन्ने की जो व्यवस्था अपने प्रान्त में है, खरीद की और तौल की और

जो परेशानी किसानों को है, वह इन नये रूल्स जो बनकर आये हैं, कुछ कम होने वाली नहीं है, क्योंकि सब से बड़ी परेशानी जो किसानों को होती है वह तब होती है जब गन्ना काट कर वे मिल को ले जाते हैं तो वहां उनको इंतजार करना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, कम तौला जाता है और जो व्यवस्था होती है उस से किसानों को बड़ी परेशानी होती है और इस रूल के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उससे मैंने जहां तक समझा है वह यह है कि इससे किसानों को कुछ राहत मिलने वाली नहीं है।

श्रीमन, मैं आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान खंड ७ के २२ की तरफ ले जाना चाहूंगा जिसमें क्षेत्र की बात कही गयी है। क्षेत्र के संबंध में जो आज देहात में धांधली चल रही है उसके लिये ध्यान आकर्षित करूंगा। वह देखेंगे कि इसमें लिखा है कि कितना गन्ना पैदा और कितनी गन्ना पेरने की सामर्थ है फैक्टरी में तब वह क्षेत्र का फैक्टरी को एलाटमेंट करेंगे। जो लोग देहात में रहते हैं उनको जानकारी है कि कामदारों को यह आदेश है कि किसी काश्तकार को जो लिमिट दी गयी है उससे अधिक गन्ना न लिखो। और इसमें सब से बड़ी परेशानी उन काश्तकारों को होती है, जहां कारखाने टूट गये हैं और बन्द हो गये हैं। वहां पर मिल मालिकों की वजह से उन किसानों को गन्ना देने में बहुत परेशानी होती है। हम लोगों ने अपने जिले से भटनी क्षेत्र को देवरिया जिले में लाने की कोशिश की। लिखा पढ़ी भी की गयी। और इस सम्बन्ध में केन यूनियन देवरिया ने भी प्रस्ताव पास किया और सरकार को लिखा लेकिन अभी तक वह परेशानी दूर नहीं हुई है। भटनी में कांटा लगा और दूसरी फैक्टरी को यहां का गन्ना दिया गया जिससे धांधली करने वाले लोगों को मौका मिला। सब से पहले इस क्षेत्र की बात को तय करना चाहिये। यह सोचना चाहिये कि उस क्षेत्र का किसान गन्ना ले जाने में कहां पर सुविधा का अनुभव करता है, सब से ज्यादा इस बात पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम २७ की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर यह व्यवस्था की गयी है कि अगर एक किसान मिल के उस रजिस्टर को देखना चाहता है जिसमें उसके गन्ने का इन्दराज है और उसकी कापी लेना चाहता है तो उसको ४ आना उसके लिये देना पड़ेगा। मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह अनुचित नहीं ह कि लाखों किसानों की कमाई से करोड़ों की सम्पत्ति जो यह मिल मालिक पैदा करते हैं वह उन गरीब किसानों से चार आने इसके लिये वसूल करें। महज यह जानने के लिये कि हमारा गन्ना का कितना इन्दराज है उसके लिये चार आने देने का जो नियम बनाया जा रहा है इसको निकाल देना चाहिये। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि मिल मालिक करोड़ों रुपया उस किसान से पैदा करता है तो इस पैसे वाली व्यवस्था को निकाल देना चाहिये क्योंकि किसान और मिल मालिक के बीच बड़ा सीधा और शुद्ध सदा हुआ सम्बन्ध होना चाहिये। इससे कटुता पैदा हो सकती ह। किसानों को मिल मालिकों के खिलाफ़ इन चार आने की वजह से सोचने का मौक़ा मिलता है इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस खंड २७ को निकाल देना चाहिये।

अब ३१ नियम को आप देखे उसमें यह दिया हुआ है कि "गन्ने की शुद्ध तौल मन के आठवें भाग तक ठीक से दर्ज की जायगी"। आठवें भाग तक यानी ५ सेर तक तौल आती है तो वह दर्ज की जायगी। लेकिन उससे कम यानी ४ सेर अगर है तो वह कागज में दर्ज नहीं की जायगी। यह व्यवस्था इस ३१ नियम के अन्दर की गयी है कि ५ सेर से कम तौल दर्ज नहीं की जायगी। उसका जो फर्क है वह दर्ज नहीं किया जायगा। चार सेर वैसे चीज तो बहुत ज्यादा नहीं मालूम होती है लेकिन एक मिल के कांटे पर हजार बारह सौ गाड़ियां रोजाना आती हैं। हर एक गाड़ी पर अगर ४ सेर कम किया जाय तो अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग १०० मन हुआ जिसकी कीमत करीब २०० रुपया होती है। अगर इस कटौती का हिसाब महीने भर का लगाया जाय तो उनको इससे बहुत फायदा होता है। यानी महीने भर का हिसाब लगाया जाय तो उनको ६ हजार रुपये की बचत होती है और तीन महीने के करीब १८ हजार

[श्री रामेश्वर लाल]

रुपये की उनको प्राप्ति इस तरह से होती है। तो इसके लिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि यह इस तरह की जितनी भी कटौती होती है उस सब की जांच की जाय और इसकी व्यवस्था सरकार के रूल में होनी चाहिये। इसके बाद वह पैसा जो बचता है वह उस क्षेत्र के सामाजिक काम में, किसानों की सेवा के काम में और सार्वजनिक काम में व्यय होना चाहिये। ऐसी व्यवस्था इस नियम के अन्दर नहीं है। मुझे कोई एतराज न होता अगर वह १ सेर या २ सेर की बात होती लेकिन ३, ४ सेर की तो बड़ी रकम हो जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जो प्रविन्शियल फेडरेशन का है।

उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है वह इस प्रकार है---

"Letter from Shri B. S. Seth, I.C.S., Cane Commissioner Uttar Pradesh, addressed to the Secretary, Indian Sugar Mills Association, Netaji Subhas Road, Calcutta.

I have the honour to forward herewith a copy of resolution no. 7, dated 7th June, 1955 passed by the Provincial Committee of Cane Unions Federation Ltd., Lucknow (U. P.), regarding fixation of automatic weigh bridges at the cane purchasing centres of Sugar Factories in Uttar Pradesh.

I shall feel grateful if the resolution referred to above could receive your immediate attention and the factories may please be advised to accede to the suggestion of the Provincial Committee of the Federation and arrange automatic weighbridges at their gate and out centres during the ensuing crushing season of 1955-56."

श्रीमन्, यह प्रस्ताव प्राविन्शियल फेडरेशन की ओर से सर्वसम्मति से पास हुआ है और ऐसा केन कमिश्नर महोदय ने भी लिखा है। मैं इस अवसर पर इस रेज्योलूशन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहूंगा कि आटोमोटिक वे ब्रिजेज सब जगह लगाने की जरूरत है। श्रीमन्, यह चार्ज लागये जाने की हिम्मत तो हमारी नहीं पड़ती कि हर कांटे पर कम तोल होती है, यह तो हमारे निरीक्षक लोग हैं वही बता सकते हैं लेकिन श्रीमन्, किसान और केन ग्रोवर होने के नाते में जो तकलीफ होती है उससे मैं समझता हूं कि कांटों पर स्पेशलिस्ट्स रक्खे जाते हैं, कांटों को बनाने के लिये और तोलने के लिये। उन स्पेशिलिस्ट्स का कहना है कि मामूली हेर फेर के बाद ही १०-१५ मन आसानी से कटौती हो सकती है। हर गाड़ी में एक डेढ़ मन कम तौला जा सकता है। देवरिया में हमें एक टांटे के संबंध में मालूम हुआ और वहाँ हम माननीय गेंदा सिंह जी को लेकर गये। इनफारमेशन प्राप्त की और काफी परेशानी भी उठायी और एक गाड़ी में एक मन की कमी होती थी ऐसा कांटा मौके पर पकड़ा। लेकिन यह मौके पर साबित होने के बाद भी हमें आज तक यह मालूम नहीं हुआ कि उस जांच का क्या हुआ। इस लिये इस तौल के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव के अनुसार ओटोमेटिक वे ब्रिजेज का प्रयोग एक हर फैक्ट्री में अनिवार्य कर दिया जाय।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि तौल का जो आठवां अध्याय है उसमें ३९ के नीचे जो स्पष्टीकरण है, उसमें यह है--

"कोई भी गाड़ी अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा करती हुई नहीं मानी जायगी यदि गन्ना पूर्ति कर्ता गन्ना भेजने के संबंध में लिखित अनुदेश पाने पर कि अमुक दिन गन्ना भेजा जाय,

ऐसे अनुदेशों की अवहेलना करता है अथवा जहां लिखित अनुदेश देने की परिपाटी है बिना ऐसे अनुदेश के गन्ना लाता है ।"

इसका मतलब यह है कि जहां पर पर्ची सिस्टम है वहां उस आदेश का पालन न करते हुए कोई गन्ना ले जाता है तो वह यह समझा जायगा कि वह अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा नहीं कर रहा है । उसमें यह समझा जाता है कि १० घंटे से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन गाड़ियों के बारे में क्या है जिनको पर्चियां मिल जाती है और केन ग्रोवर वक्त से गन्ना लेकर है लेकिन रास्ते में कोई ऐक्सीडेन्ट हो जाता है, गाड़ी टूट जाती है, बारिश हो जाती है तो उसके लिये आपके यहां क्या व्यवस्था है क्या क्या वह गन्ना फेंक कर घर चला जाय (श्री फूल सिंह के यह कहने पर कि उसका गन्ना ले लिया जाता है) लेकिन उसके साथ ब्लेकमार्केटिंग होती है । लेने कथा का तरीका है । जहां पर क्षेत्र निर्धारित हैं वहां पर उन क्षेत्रों के बाहर का भी गन्ना आता है । देवरिया में बिहार का भी गन्ना आता है तो इधर उधर जो केन यूनियन्स को ६ पाई फी मन कमीशन मिलता है वह केन यूनियन्स को घाटा हो जाता है । जो गाड़ियां आकस्मिक कारणों से देर में पहुंचती हैं उससे किसान का भी नुकसान है और केन यूनियन को भी घाटा है । लेकिन फैक्टरी वालों को लाभ होता है । सबसे पहले वे लोग तुला लेते हैं जो उस क्षेत्र के उत्पादक नहीं होते हैं और बिहार वाले जो पर्चियां ले जाते हैं उस से केन यूनियनों को नुकसान हो जाता है । तो ऐसे मौके पर यह व्यवस्था होनी चाहिए और स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वह गाड़ियां जो दुर्घटना के कारण देर से पहुंच पाती हैं उनका लेना अनिवार्य होगा । इस तरह के स्पष्टीकरण की बहुत आवश्यकता है । आप देखेंगे कि तौल वाले अध्याय में व्यवस्था नहीं है । धारा ४७ में आप देखें यह प्रतिबन्ध है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के बकायों की वसूली गन्ने के मूल्य की देय धनराशि से की जाती जा सकती है ।" वसूली होती है इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस वसूली में पूरे गन्ने की कीमत ले ली जाती है और अगर वह किसी की गाड़ी को या बैलों को भाड़ा देकर लाया है तो उसके पास बैलों के खिलाने, अपने खाने या गाड़ी का भाड़ा तक देने के लिए पैसे नहीं रह जाते हैं और इसमें उसको बहुत परेशानी होती है । जब वह भाड़े के पैसे नहीं दे पाता है तो उसका फल यह होता है कि अगली बार अगर वह किसी से भाड़े की गाड़ी लेना चाहता है तो उसको वह नहीं मिलती । इस लिए प्रतिबन्धात्मक वाक्य में इस तरह की व्यवस्था की जाय कि रुपया तो बाकी का काटा जाय लेकिन जो उसके ये जरूरी खर्च हैं और परिव्यय हैं वह उतना अवश्य छोड़ा जाय । मंत्री जी को भी अनुभव होगा, हम लोग केन ग्रोवर हैं हमको अनुभव है कि यह फैक्टरी वाले ज्यादातर बाहर के लोग हैं और वह बाहर के ही लोग अपने यहां नौकर रखते हैं । अगर पंजाबी मालिक है तो वह पंजाबी नौकर रखते हैं, अगर सिंधी मालिक है तो वह अपनी फैक्टरी में सिन्धी ही नौकर रख लेते हैं और अगर मारवाड़ी है तो तो वह अपने ही आदमी रखते हैं और उनको केन ग्रोवर्स के साथ कोई हमदर्दी नहीं होती और वह उनका खुद दर्द नहीं जानते । अगर किसी का ५० रुपया का गन्ना होता है तो वह उस का सारा पैसा काट लेते हैं और उसके पास गाड़ी का भाड़ा या बैलों के खिलाने तक के पैसा नहीं रह जाता है । इस लिए कटौती जो की जाय वह भाड़ा आदि को छोड़ने के बाद की जाय, ऐसा प्रतिबन्ध इसमें होना चाहिए ।

तौल के बारे में रात और दिन की जो बात है कि सूर्यास्त से आधा घंटे बाद यदि रोशनी होगी तो तौल आरम्भ हो सकती है । तो मैं कहूंगा कि सर्यास्त से पहले या बाद में किसी भी समय भंयकर अधेरा भी हो सकता है, बादल होते हैं तो दिन में ही अंधेरा हो जाता है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी की बात तो ठीक ही है कि तौल अंधेरा होने के बाद न हो और जब रोशनी हो जाय तभी आरम्भ हो, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाय कि सर्यास्त के बाद हो तो बहुत अच्छा ।

[श्री रामेश्वरलाल]

श्रीमन्, मैं आपका का ध्यान अब कुछ खास बातों की ओर ले जाना चाहूंगा। सब से पहले मैं यह कहूंगा कि जो कीमत मिलवाले किसानों को देते हैं उसमें बहुत धांधली होती है। मुझे मालूम है कि जहां हजारों का पेमेंट होता है वहां यह मिल के मालिक केवल एक दो खिड़की खोल देते हैं और किसानों को उससे बहुत तकलीफ होती है और कभी कभी ४ आना पर्ची भुगतान का रेट तक लग जाता है, इसका प्रमाण हमने तो दिया भी है लेकिन इसका प्रमाण देना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां एक दिन में २० हजार रुपया बंटना है वहां भुगतान का उचित प्रबन्ध होना जरूरी है वर्ना किसानों को पेमेंट लेने में बहुत दिक्कत होती है। २५ हजार केन का दाम बांटना है लेकिन २-२ हजार की २ खिड़कियां हैं और उन पर १२ सौ १४ सौ किसान की परचियां पहले दिन वाली भी और उस दिन वाली भी आती हैं। जब किसान परेशान होता है तब चपरासी से मामला होता और चार आने, आठ आने और रुपये में मामला तय हो जाता है। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि इस लूट को बन्द कीजिये। इस सारे प्रांत के मिलों में लूट के बाद यहां बाबुओं की लूट मची हुई है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमन्, इसके बाद इस अधिनियम में यह है कि मिल वाले पानी की व्यवस्था करेंगे छज्जे की व्यवस्था करेंगे लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। वेब्रिज पर तो जब तोला जायगा तब के लिये तो व्यवस्था है लेकिन जहां गाड़ियां होती हैं वहां रूल्स में लाइट के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि पर्याप्त रोशनी वहां रहे। उसके न रहने के कारण किसान जब खाना बनाता है तो आधा पत्ता और आधा पानी उस सब में मिलता रहता है और उसको पता नहीं चलता और इस बड़ी परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त वहां पाकेटमारों की बात भी है वह मिलों में चक्कर लगाते हैं और अंधेरे में जो सीधा सादा किसान है उसका पैसा मार लेते हैं। रोज देखा जाता है कि किसानों के पैसे कटने की खबरें आती हैं। इसलिये आस पास के रास्तों पर और फाटकों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। श्रीमन्, पैसे के संबंध में इसी सदन की बात है। एक सवाल मैंने किया था कि पिछले सीजन में देवरिया की मिलों के पास कितना रूपया किसानों का बाकी रह गया है। जवाब मिला था ८ लाख रुपये। दूसरे सवाल के जबाव में हमसे में कहा गया कि मिलवालों तथा केन यूनियन वालों का कहना है कि हम तो किसानों को बुलाते हैं लेकिन वह आते नहीं है और पैसा नहीं लेजाते हैं। तो श्रीमन्, मैं इस जवाब के बाद देवरिया गया। वहां मुझे एक नोटिस मिली जिस पर कोई तारीख नहीं है और जो किसानों में बांटा गया था। मेरा तो यह निश्चित विश्वास है कि जब यह सवाल पूछा गया था और वहां क्वेयरी की गयी थी तब मिलों के मालिकों ने और केन यूनियनों के सेक्रेटरियों ने दोनों ने मिल कर बिना तारीख का नोटिस निकलवा दिया कि किसान आ जायं और पैसा ले जायं और इधर जबाव में कहलवा दिया कि हम किसानों को बुलाते हैं और आते नहीं हैं। इसके अलावा एक लाल नोटिस भी इसी प्रकार की मेरे पास है जिसे मैंने संभाल कर रखा है न उसमें तारीख है और न प्रेस का नाम है पता नहीं कहां पछी है। तो इस तरह की नोटिस निकाल कल बांट दिया गया और जबाव ने दिया गया कि हम तो नोटिस निकालते रहते हैं किसान आते नहीं है लेकिन जब किसान आते हैं हजारों की संख्या में तो फिर वही तो वो खिड़कियां। खजांची कहता है कि हम कितना बांटें। तो यह सब मिल वालों और केन यूनियन वालों की मिली जुली भक्ति है। मैं कहता हूं कि इस तरह का समय आवे तो केन यूनियन के सेक्रेटरी को तुरन्त ट्रांसफर करना चाहिये वरना किसानों को बहुत बड़ा घाटा है क्योंकि केन यूनियन किसानों के हितों के संरक्षण के लिये हैं और मिल वालों का यदि वह हित करता है तो यह उचित नहीं है। श्रीमन्, यह नोटिस देखेंगे इसमें मिल के मैनेजर के भी दस्तखत भी हैं जो सेक्रेटरी केन यूनियन हैं उसके भी हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे अवसर पर जब केन यूनियन के अधिकारी और मिल के अधिकारी मिली जुली भक्ति दिखावें तो उस वक्त उनको अवश्य कंट्रोल किया जावे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो किसानों के हितों का बलिदान होगा। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि, मिलें जो हैं वे किसानों के हित के

जो भी काम हैं उनमें बांधा पहुंचाने के अतिरिक्त कोई सार्वजनिक हित का काम करने को तैयार नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सूबे में रोड डेवलपमेंट के नाम से पैसा कटता है किसानों से। पचासियों मर्तबा लिखा गया यूनियन के डायरेक्टर होने के नाते क्योंकि मैं भी उसमें हूं कि तुम्हारे पास क्या एकाउंट है रोड डेवलप मेंट का लेकिन श्रीमन् सवाल का जबाव आज तक उचित नहीं मिला। दो महीने सवाल किये हो गये इस सम्बन्ध में इस सदन में भी एक धारा ३२ है, बड़ा व्यापक उसका अर्थ है। एक सवाल का हुबहू उसमें जवाब मिलता है लेकिन दूसरा सवाल किया गया तो कुछ जबाव ही नहीं है। ३२ की पावर है श्रीमन्, हमें क्या एतराज हो सकता है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ बड़ी ज्यादती होती है और ये जो मिल वाले हैं वे किसानों की रकम को नाजायज तौर से हड़पे हुए हैं। पूरे सूबे का पैसा रोड डेवलपमेंट के नाम से जो कटौती होती है वह मिल मालिकों के जिम्मे है। कितना रुपया खर्च किया और किस तरह खर्च किया यह ज्ञात नहीं। होता यह है कि एक दो कुली लगा दिये और ४ दिखा दिये और ४ आदमी रख दिये तो १० का बिल बना दिया और पैसे काट लिये। लाखों रुपये रोड डेवलपमेंट के नाम पर काटे जाते हैं, लेकिन मिल वाले कोई काम नहीं कराते सिवा इसके कि कोई मैनिजिंग डायरेक्टर अच्छा हो गया तो उसके घर तक सड़क बन गई। ऐसा मैंने अपने जिले में देखा है। सबसे जरूरी यह है कि पैसा जो मिल वालों के जिम्मे है जनता की कटौती का पैसा उसके सम्बन्ध में मिल वालों से पूछा जाना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात और होती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर विशेष तौर से दिलाना चाहूंगा। जिन किसानों को बगैर पैसा लिये दो वर्ष हो जाते हैं उनकी पर्चियों का भुगतान नहीं होता। कायदे के मुताबिक सुविधा है कि पैसे लिये जायं लेकिन जब पैसे लेने के लिये गत साल का इस साल किसान आता है तो नोटिस नहीं लिया जाता और वह वापस चला जाता है। तीन चार वर्ष बाद वह पैसा लैप्स हो जाता है। इस तरह से लैप्स हुआ रुपया देवरिया में ६ हजार जमा है लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है कि किसकी पाकेट में वह जाना चाहिये। ऐसा पैसा जो मिल मालिकों ने ज्यादती करके लेप्स किया है और जो किसानों का पैसा है उस पैसे को किसानों के हित में, सार्वजनिक कार्य में खर्च किया जाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह सार्वजनिक पैसा जो मिल वालों के पास जमा है उसकी भी जांच की जाय विस्तृत रूप से। स्कूलों के लिये पैसा कटता है। केन कमिश्नर महोदय को अधिकार है कि उनकी रिकमेंडेशन के बाद स्कूलों के लिये पैसा मिल वाले काट सकते हैं। देखने में आया है कि केन यूनियन ने तीन स्कूलों के लिये रेकमेंड किया और यह इसमें कटौती होनी चाहिये, लेकिन केन कमिश्नर महोदय ने सैंक्शन किया एक स्कूल का नाम और दो को काट दिये। मैं पूछता हूं कि अगर केन यूनियन और वहां के किसान चाहते हैं कि किसी संस्था को चलाना उसके लिये वे अपने रुपये में से कटौती चाहते हैं तो केन कमिश्नर को क्या हक है कि वह कटौती न होने दें। या तो फिर सरकार पूरी जिम्मेदारी ले स्कूल बनाने की, सारी सड़कें बनाने की या मिल वाले सारी जिम्मेदारी इसके लिये लें और उसके लिये मिल का फंड काटा जाय और उनसे कहा जाय कि इन कामों पर रुपया खर्च करें या अगर केन ग्रोवर्स किसी संस्था के लिये कटौती करना चाहते हैं तो केन कमिश्नर को क्या हक है कि उसे अस्वीकार कर दें। मैं चाहता हूं कि केन यूनियन के ऐसे प्रस्तावों को जो कि किसी इंस्टीट्यूशन के लिये कटौती के सम्बन्ध में हों उनको बाध्य किया जाना चाहिये कि उसे स्वीकार करें।

श्रीमन्, जो प्रश्न हमारे सामने है वह गन्ने की पैदावार से किसानों के मुनाफे के सम्बन्ध में है। केन यूनियनें जो बनी हुई हैं उनका एक विकास बोर्ड है और एक मार्केटिंग है। विकास बोर्ड विकास का काम करता है और मार्केटिंग खरीद और बिक्री का काम करती है। मार्केटिंग के जिम्मे बोआई बगैरह का भी काम है। लेकिन मैं आज माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह विकास बोर्ड की सारी रिपोर्टें जो दी जाती हैं उन्हें वह सही समझते हैं। श्रीमन्,

[श्री रामेश्वरलाल]

केन यूनियन के एक सालाना जलसे में देवरिया जिले में १२ सौ खाद के गढ्ढे बनाने के लिये रिपोर्ट दी गयी। उस रिपोर्ट में सात आठ कुएं ऐसे थे जो हमारे गांव के पास थे। कुछ नाइट स्कूल चलाने की भी बात कही गयी जो हमारे क्षेत्र में ही हैं। मेरा यह दावा है कि न वह गड्ढे बने न नाइट स्कूल चले। लेकिन सालाना रिपोर्ट में बता दिया गया कि विकास बोर्ड ने इतने गड्ढे खोदे। सारा फर्जी काम होता है। इसलिये या तो मार्केटिंग रहे या विकास बोर्ड। दोनों में से एक को खत्म कर दिया जाय। ये दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, विकास के नाम पर जनता को भ्रम में डाल कर कुछ काम करने पर अमादा होते हैं, और खरीद और बिक्री के नाम पर भ्रम फैलाते हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि कोआपरेटिव बेसिस पर इस तरह का संगठन नहीं होना चाहिये लेकिन मैं इसका विरोधी हूं कि विकास के नाम पर कोई धोखा दे, ४२० करे। तो ऐसी संस्था को कभी पनपने नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि विकास बोर्ड ने इस सूबे में कहीं अच्छा काम किया हो, लेकिन जहां तक हमने देखा है विकास बोर्ड सब फर्जी काम करते हैं। गड्ढे बनाने का काम फर्जी, पेड़ लगाना फर्जी, मेरा दावा है कि एक भी विकास बोर्ड का सुपरवाइजर किसानों के खेत में जाकर गन्ना बोने के वक्त उनको यह नहीं बतलाता कि इस तरह से गन्ना बोना चाहिए। कागज भरना, कोरम भरना, आर्डर की तामील करना गड्ढे पटवा देना, कर्जा देना और वसूल करना, यह सब विकास बोर्ड का काम है। लेकिन यह काम मार्केटिंग कर सकती है और इससे पहले मार्केटिंग ही करती थी। तो मैं कहता हूं कि दोनों में एक को सचमुच खत्म कर देना चाहिये। श्रीमन्, एक बहुत बड़ी धांधली होती है किसानों का पैसा बांटने के संबंध में। यदि केन यूनियन चाहे कि गन्ने का दाम वह स्वयं दे तो कानून के हक में फैसला होने के बाद भी मिल वाले केन यूनियन को दाम नहीं देना चाहते हैं। देवरिया की एक केन यूनियन ने कई बार लिखा-पढ़ी की सरकार से और मिल वालों से कि कीमत बांटने का अधिकार हमको दे दो। तुम पैसा दे दो हम सीधे बांटेंगे लेकिन, पंजाबी शुगर फैक्टरी देवरिया ने दो तीन वर्षों के लगा तार प्रयत्न के बाद आज तक केन यूनियन को पैसा बांटने को नहीं दिया। अधिकतर केन यूनियनें चाहती हैं कि उनका किसानों से सीधा संबंध हो, मिल वालों से पैसा प्राप्त करके किसानों को स्वयं दें। लेकिन दिया नहीं जाता। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कम से कम केन यूनियनें पैसा बांटने की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं और उसका प्रबन्ध कर सकती हैं निःसंकोच उन केन यूनियनों को यह अधिकार दें कि वह अपने किसानों को पैसा गन्ने का स्वयं दे। मिल वालों पर ही निर्भर न करें।

इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, हमारे बहुत से साथी अपने सुझाव देंगे इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जो उचित सुझाव हों उन सुझावों पर माननीय मंत्री जी को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए।

नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये प्रार्थना

*माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय उपध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करना चाहता था कि यह जो विवाद हो रहा है शुगर ऐक्ट के रूल्स पर, इसके बाद ही जो आइटम चढ़ा हुआ है वह यह है कि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। अगर आपकी इजाजत हो और मेरे जो दोस्त उधर बैठे हैं उनको कोई आपत्ति न हो तो यह बिल्कुल फार्मलस ला मोशन है, इसको मैं बीच में ही कर दूं और उसके बाद यह डिसकशन शाम को पांच बजे तक चल।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---हमें इस पर कोई एतराज नहीं है अगर हमारा जो जनरल डिस्कशन का राइट है वह रहे और जब यह सेलेक्ट कमेटी से आये तो हम उस पर जनरल डिस्कशन कर सकें ।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---इस सदन में पहले यह नजीर हो चुकी है, करीब दो साल पहले जब कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिधेयक आये थे और सरकार को इस बात की जल्दी थी कि वह सेलेक्ट कमेटी में भेज दिये जायं, तो उस समय हमने यह शर्त रखी थी कि जनरल डिस्कशन का राइट बाद में होगा और एक साधारण प्रस्ताव से इसको वह सेलेक्ट कमेटी में भेज दें । वरना अगर यह न होगा तो सेलेक्ट कमेटी में भेजने के वक्त काफी डिस्कशन का मौका होना जरूरी है और सरकार को जब दो ढाई बरस इसको बनाने में लगे तो इस पर जनरल डिस्कशन तो चार पांच रोज होना ही चाहिये । तो अगर माननीय मंत्री जी हमारे डिस्कशन राइट को प्रिजर्व रखें और वैसी सूरत में अगर वह इसको मूव करना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मैं अपने माननीय दोस्तों का जो विवाद करने का अधिकार है उसको छीनना नहीं चाहता, न मैं उसको किसी प्रकार समाप्त करना चाहता हूं । ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है । मैं समझता हूं कि आज न सही, यह विवाद समाप्त हो जाय जो चल रहा है, उसके बाद ही सही और जो माननीय मित्र जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं वह हो जाय पूरी तरह से । यानी मतलब यह है कि अगले रोज जब एसेम्बली की बैठक होगी तब मैं इसको पेश कर दूंगा ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---जब माननीय मंत्री जी ने सुझाव रखा था और जब इसको प्रवर समिति में भेजना ही है, और जो संशोधन गन्ना संबंधी नियमावली में चल रहे हैं वह मैं समझता हूं कि काफी है, तो इसलिये सुभीते की बात तो यही है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह हमारे प्रस्ताव पर विचार कर लें कि अभी आप उसको पेश कर दीजिये । जनरल डिस्कशन जब होगा उस समय, समय का ध्यान तो रखा ही जायगा ।

श्री चरणसिंह---इसमें मुझे कोई सुभीता नहीं दीख रहा है इसलिये मैं अपनी दरख्वास्त को वापस लेता हूं ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---मुझे भी इस संबंध में कुछ कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष---जब माननीय मंत्री जी इसको लेना ही नहीं चाहते तो कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ।

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद (विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद (क्रमागत)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, इस सदन में पास हुआ था, उस समय मैंने यह कहा था कि उसमें केन कमिश्नर को इतने अधिकार दिये गये हैं कि उस विधेयक का नाम अगर केन कमिश्नर विधेयक रख दिया जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी और इन नियमों को देखने के बाद मुझे फिर वही चीज याद आती है कि इनमें इतने बेलगाम अधिकार केन कमिश्नर को दिये गये हैं कि अगर माननीय मंत्री जी एक यही नियम बना देते कि केन कमिश्नर जो मुनासिब समझेगा, करेगा तो मैं समझता हूं कि उन्हें ये १५४ नियम बनाने की आवश्यकता न पड़ती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

और इन सब की पूर्ति हो जाती। यह काम वह बड़ी आसानी से कर सकते थे। मुझे आशा थी कि सरकार इन नियमों को बनाते समय जरूर बड़ी-बड़ी गल्तियों का सुधार करेगी। मैं आपकी आज्ञा से भारतीय संविधान की धारा २७७ को पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है:—

"277. Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any State or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the State, munnicipality, district or other local area may not withstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the Union List, continue to be levies and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by Parliament by law."

उपाध्यक्ष महोदय इसमें यह कहा गया कि जिस कारण या जिस काम के लिये कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी किस्म की ड्यूटी वगैरह लगावे उसको उसी काम के लिये खर्च करना चाहिये।

हमारी प्रदेशीय सरकार ने यह घोषणा की है कि सेस जो लाया गया है वह गन्ना के विकास के लिये लगाया गया है, लेकिन आज तक इस संविधान की धारा का लगातार सरकार की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है कि आज भी सेस जो हमारे प्रदेश में वसूल किया जाता है, जनरल बजट में उसकी रकम मिला दी जाती है और अनियमितता बरती जाती है। संविधान की धारा का, हमें आशा थी कि नियमों के वक्त, ख्याल रखा जायगा और सेस धन बिलकुल अलग कर दिया जायगा, लेकिन हमें निराशा हुई है कि वह नियम में नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, नियम १५० से ज्यादा हैं कुल मिलाकर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आज कल किसानों को हो रही है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। पुर्जियां किस तरह बांटी जायं, किसको प्राथमिकता दी जाय, यही असल में जगह है जहां पर काफी भ्रष्टाचार होता है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो नियम पेश किये, उनमें यह लिख दिया कि इसका प्रबन्ध न्यायसंगत ढंग से होगा और न्यायसंगत ढंग कैसे होगा, कौन तय करेगा, उसमें केन कमिश्नर अधिकारी होगा कि न्यायसंगत ढंग कौन सा है नियत करे। उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम बन रहे हैं और जब नियम बन रहे हैं तो बिलकुल स्पष्ट होने चाहिये और काफी तफसील में नियम सदन के सामने रखे जाने चाहिये कि पुर्जियों का कौन सा इन्तजाम होगा। आज बड़ी धांधली है और उसमें सिर्फ न्यायसंगत शब्द से सरकार काम लेना चाहती है। अब भी समय है माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और पुर्जियों के बांटन में जो भ्रष्टाचार होता है उस स्थान पर ऐसी व्यवस्था होना चाहिये। जिससे किसान की परेशानी कम हो।

आडिट के बारे में भी उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कहा गया अभी पंचायत राज विभाग, कोआपरेटिव सोसाइटीज वगैरह ने इस बात की व्यवस्था की है बिलकुल स्वतंत्र आडिट का इन्तजाम किया गया, हमारे प्रदेश में भी १०० से ऊपर केन कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं लेकिन इस नियम में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई। कम से कम मैं यह चाहता हूं कि सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिये कि स्वतंत्र आडिट होना चाहिये, केन कमिश्नर के मातहत चीफ आडिटर नहीं होना चाहिये। हो सकता है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई आडीटर अलग न रखा जा सके। मगर इसमें कोई कानूनी दिक्कत हो नहीं सकती जो पंचायत विभाग या कोआपरेटिव सोसाइटीज ने अपना एक चीफ आडीटर रखा है सूबे का उसी को काम दिया जाय। केन कोआपरेटिव सोसाइटीज की जांच का तो सरकार को ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और काम भी आसानी से चल सकेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस नियम में कोई व्यवस्था करेंगे या तो इस सदन में ही घोषणा कर दें कि हां हम ऐसा सुधार कर ले रहे हैं और अगर ऐसा न कर सकें तो ऐसी व्यवस्था अवश्य करें कि पंचायत राज विभाग और कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो आडिट के लिये स्वतंत्र व्यवस्था है उसी तरह की केन कमिश्नर के मातहत न होकर स्वतंत्र रूप से चीफ आडिटर हो या उनके विभाग को दे दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय हमारे यहां सहकारिता के लिये बड़ी कोशिश हो रही है और यह एक ऐसा विषय है जिसमें दोनों तरफ से एक मत उस पर है कि इसका विकास होना चाहिये। आज उपाध्यक्ष महोदय ऐसा हो गया है कि केन कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐसी जगह काम करती हैं और उसी जगह दूसरी सोआपरेटिव होसाइटीज भी काम कर रही हैं और केन कोआपरेटिव सोसाइटीज गन्ना खरीदती हैं और गन्ने से सरकार को इस मौजूदा कानून के मुताबिक तीन पैसा प्रति मन के हिसाब से कमीशन मिलता है। ऐसी सूरत में मेरा यह सुझाव है कि मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि जहां कोई सहकारी समिति हो, कोआपरेटिव सोसाइटीज हो, वहां केन कोआपरेटिव सोसाइटी को कांट्रेक्ट न दिया जाय गन्ना वगैरह खरीदने का और उससे जो लाभ हो सके वह सहकारी समितियों को हो इससे प्रगति होगी, उनको जो आर्थिक कठिनाइयां होती हैं वे दूर होंगी और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस तरफ ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं नियम ६९ से लेकर ७१ तक। सदन की आसानी के लिये उन नियमों को मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। अध्याय १३ में इसका हेडिंग है "अध्यासी का अवधारण"।

"६९–धारा २१ के अधीन "फैक्ट्री के अध्यासी" के रूप में किसी व्यक्ति के नामांकन (nomination) की नोटिस, गन्ना कमिश्नर तथा कलेक्टर को परिशिष्ट ३ के आकारपत्र ५ में, दी जायगी।

"७०–वह व्यक्ति जो "फैक्ट्री का अध्यासी" प्रख्यापित किया गया हो एक हजार रुपया नकद अथवा सरकारी सिक्योरिटियों, में, जिसका बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) एक हजार हो, अथवा पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट जिसका वर्तमान भंजाने का मूल्य एक हजार रुपया हो, जमानत के रूप में जमा करेगा। ऐसी जमानत कलेक्टर के यहां जमा की जायगी और उस समय तक रखी जायगी जब तक वह व्यक्ति अध्यासी के रूप में कार्य करे।"

इसमें आक्युपायर आफ दी फैक्ट्री जो ऐक्चुअली मिल ओनर होता है यह गन्ना खरीदने और पेराई का जो काम करे उसके लिये सरकार एक जमानत जमा कराना चाहती है और वह सिर्फ एक हजार रुपये की। जब हमारी तरफ से वह दलील दी जाती है कि पूंजीपतियों के साथ सरकार खास रियायत करती है क्योंकि उनसे उसको मोटी मोटी थैली चन्दे के रूप में मिलती है तो माननीय मंत्री लोग बौखला जाया करते हैं लेकिन इससे और क्या साबित होता है? आज माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि लाखों रुपये सेस और किसानों के गन्ने का दाम जो मिल मालिक बकाया रखते हैं उसके लिये १ हजार रुपये की जमानत वह रखें। दो लाख रुपया इंश्योरेंस कम्पनीज के लिये रखा गया है कि इतना रुपया जमा करने के बाद तब वह कम्पनी स्टार्ट करें। लेकिन यहां १ लाख या ५० हजार रुपया भी सिक्योरिटी न रखी जाय तो फिर क्या फर्क रह जाता है? एक मिल मालिक और एक मामूली एजेंट में पर्चेजिंग एजेंट के लिये भी १ हजार रुपये की ही जमानत रखी गयी है। मेरे ख्याल में १ लाख या ५० हजार से कम इनकी जमानत नहीं होनी चाहिये। यह लोग कोई न कोई दिक्कत डालकर ऐसी पोजीशन पैदा कर दिया करते हैं कि जिससे किसान को गन्ने का दाम नहीं मिल पाता। तो उसमें अगर एक भारी भरकम रकम उनकी सिक्योरिटी रहेगी तो कुछ थोड़ी सी आसानी होगी और किसान को कुछ सहूलियत मिल सकती है। अब जरा मैं स्पष्टीकरण के लिये नियम ७४ से मुकाबिला कर देना चाहता हूं। ७४ (१) में यह दिया हुआ है "प्रार्थी जमानत के रूप में दो हजार रुपया नकद अथवा गवर्नमेंट सिक्योरिटियों में, जिसका बाजार मूल्य (मारकेट वैल्यू) दो हजार रुपया हो, अथवा पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट, जिसका वर्तमान भंजाने का मूल्य दो हजार रुपया हो, जमानत के रूप में जमा करेगा, ऐसी जमानत उस कलेक्टर के पास जायगी जिसके यहां लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है। ऐसी जमानत जब तक खरीदारी एजेंट का काम करता रहे और उसके बाद ६ महीना तक जमा रखी जायगी।"

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जरा विरोध देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री आकुपायर के लिये १ हजार रुपया और वह आदमी जो परचेजिंग एजेंट है उसके लिये दो हजार रुपया जमानत, तो अगर हम सरकार के ऊपर यह आक्षेप लगायें कि बड़ा नर्म स्थान है पूंजीपतियों के लिये उसके दिल में तो क्या जवाब है उसका माननीय मंत्री जी के पास ? इससे जाहिर है कि सरकार क्या चाहती है। अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम १२६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। बड़ा ही विचित्र नियम है, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखेंगे। अध्याय २२, 'नियमों से मुक्त करने का अधिकार'- "१२६--राज्य सरकार आज्ञा देकर किसी व्यक्ति को समस्त नियमों अथवा इनमें से किसी नियम की प्रवृत्ति से मुक्त कर सकती है।"

राज्य सरकार को अधिकार है कि किसी आदमी को इसमें से एक नियम से या सारे नियमों से मुक्ति दे दे। मैं समझता हूं कि इस तरह का व्यापक अधिकार देना प्रजातंत्र के जमाने में किसी तरह भी ठीक नहीं है। कौन से कारण हैं कि सारे नियमों से छूट उसको राज्य सरकार दे देगी। एक दो नियमों से छूट देने की बात तो कुछ समझ में आ भी सकती है, लेकिन सारे नियमों से सारे कानून से किसी को छूट दे दी जाय यह मेरी समझ में नहीं आयी। यह तो सारे नियमों की मंशा को ही खत्म कर देता है। तो मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और इसको तो बिलकुल निकाल ही देना चाहिये। एक बात जरूर मुझे इसमें पसन्द आयी और वह यह है कि बजट वर्ष की परिभाषा में यह दिया है कि बजट वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होगा और जून में खत्म होगा।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

असल में हिन्दुस्तान के लिये बजट वर्ष जुलाई से जून तक का ही उचित है और इसके लिये सरकार के पास मांग भी आयी है बजट वर्ष यही कर दिया जाय। तो यह जो इसमें रखा गया है इससे काफी समय हमको मिल जायगा, क्योंकि वर्षा से पहले अगर बजट पास हो जाता है तो जून तक हमें काम करने का मौका मिल जाता है। तो यह चीज मुझे जरूर पसन्द आयी कि बजट वर्ष जुलाई से शुरू होकर जून में खत्म होगा।

अब नियम ५ की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें बोर्ड की बैठक के बारे में है और इसमें लिखा हुआ है, "बोर्ड की बैठक की लिखित नोटिस बैठक के निश्चित दिनांक से कम से कम १४ दिन पूर्व बोर्ड के सचिव द्वारा समस्त सदस्यों के पास भेज दी जायगी। किन्तु अत्यावश्यक मामलों पर पत्र और तार दोनों के द्वारा बैठक के कम से कम तीन दिन पूर्व भेजी जा सकती है।" असल में, अध्यक्ष महोदय, तीन दिन का समय यों शहर में रहने वालों के लिये सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग देहात में भी रहते हैं और ऐसी हालत में अगर तार से भी खबर दी जाय तो उसके पहुंचने में देर हो सकती है। इसलिये बजाय तीन दिन के ५ दिन इसमें माननीय मंत्री जी रख दें। क्योंकि अगर किसी भी सदस्य को सूचना न होने से बोर्ड की बैठक हुई तो अनियमित हो जायगी। नियम ९ में, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है कि "परिषद गन्ना कमिश्नर की स्वीकृति से अपने सदस्यों में से सचिव को सहायता देने के लिये एक संयुक्त सचिव नियुक्त कर सकती है।" यह भी एक परेशानी की चीज है कि केन कमिश्नर की आज्ञा से अगर एक संयुक्त सचिव नियुक्त कर सकती है तो वह संयुक्त सचिव अवैतनिक होगा या वैतनिक ? मैं समझता हूं कि संयुक्त सचिव को वैतनिक होना चाहिये और अगर वह वैतनिक है तो उसको मेम्बरों में से नहीं होना चाहिये। इससे काफी कठिनाई पड़ सकती है। तो ऐसे लोग रखे जायं जो वैतनिक हों और नान मेम्बर हों। अगर मेम्बरों में से किसी को विशेष सुविधा दी जायगी और कुछ सैकड़ा रुपया महीना उसके लिये व्यय कर दिया जायगा तो वह दिक्कत तलब होगा।

नियम १५, मेरा खयाल है कि निकाल दिया जाय। वह इस प्रकार है, "गन्ना कमिश्नर परिषद के किसी प्रस्ताव अथवा निर्णय को, कारण बतलाते हुये अपने विशेषाधिकार से अस्वीकार कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है।" अध्यक्ष महोदय, यह बात प्रजातंत्र या

किसी संस्था के आत्म सम्मान के खिलाफ है। यदि कोई यह कारण भी दे दे कि यह नियम अनुकूल नहीं है या इस ऐक्ट की धाराओं के खिलाफ होता है, और ऐसे प्रस्तावों को गन्ना कमिश्नर रद्द कर देगा तो वह तो एक लाजमी चीज है कि प्रस्ताव गन्ना परिषद का उसके सामने आ गया, विकास परिषद से और वह रद्द कर दिया गया, लेकिन इस तरह के तानाशाही के अख्तियार दे देना कि जो चाहे रद्द कर देगा, चाहे उसमें कारण भी लिख दे, यह उचित नहीं है। उसमें यह भी बढ़ाना चाहिये कि जो ऐक्ट के, नियमों के प्रतिकूल पड़ता हो। ऐसे प्रस्ताव को अगर गन्ना कमिश्नर रद्द कर दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक तरह से सर्वग्राही अख्तियार दे देना, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है।

अब मैं नियम १८(२) की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १८(२) में लिखा हुआ है कि "बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी, जिसे कलेक्टर निश्चित करे।" अध्यक्ष महोदय, यह एक नामुनासिब सी बात मालूम होती है। हो सकता है कि किसी बैठक का चेयरमैन कलेक्टर न हो, दूसरा हो। वह उसका सेक्रेटरी क्या चाहता है या चेयरमैन क्या चाहता है, कलेक्टर की सुविधा के अनुसार उसकी बैठक भी हो, मैं समझता हूं कि यह नामुनासिब है। प्रेसीडेंट और सेक्रेट्री की आपस की सलाह से बैठक हो। तो हर मामले में कलेक्टर को आप रखना चाहते हैं। मैं सरकार की दिक्कत को समझता हूं कि कोई भी शासन का काम पूरा नहीं हो सकता जब तक कलेक्टर उसमें पूर्णाहुति न कर दें और हमारी तरफ से बराबर मांग की जाती है कि औरों पर भी भरोसा कीजिये। आखिर विकास परिषद के लोग हिन्दुस्तान के ही रहने वाले हैं जिनके आचरण पर शक आपको नहीं होना चाहिये। कानून की पाबन्दी का शिकन्जा उनके सामने है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था गलती करती है तो सुधार हो सकता है। यदि हर मामले में कलेक्टर को शामिल कर दिया गया तो काम चलना मुश्किल हो जायगा। ऐसे व्यापक अधिकार कलेक्टर को दिये गये हैं इसलिये यह नियम १८(२) तो बिलकुल निकाल दिया जाय। सेक्रेट्री और प्रेसीडेंट की राय के मुताबिक आपसी सलाह से जो चीज तय हो जाय वह कर देनी चाहिये।

नियम ३१ में, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है कि "गन्ने की शुद्ध तौल मन के आठवें भाग तक ठीक से दर्ज की जायगी" तो मन का आठवां भाग ५ सेर होता है। तो अगर किसी की १०–२० गाड़ियां हों तो २–३ मन गन्ना तो इसी तरह से किसान का निकल जायगा।

इसके बाद में नियम ४१ की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि गन्ने का वजन सूर्यास्त से आध घंटे बाद तक होगा। कहीं-कहीं समुचित रूप से रात भर गन्ने की तौलाई की व्यवस्था की गई है। ऐसी हालत में अनुभव यह है कि रात में जब गन्ने की तौलाई होती है उस समय काफी गुंजाइश भ्रष्टाचार की रहती है। तो सूर्यास्त से आध घंटे बाद तक रखने की क्या जरूरत है? सूर्यास्त के समय ही अगर गन्ने की तौलाई रोक दी जाय तो क्या दिक्कत पड़ेगी? इसलिये मैं समझता हूं कि यह आध घंटे बाद वाले शब्द निकाल दिये जायं।

इसके बाद नियम ४८ है। इसमें यह है कि जो कोई गन्ना बोने के लिये मिल मालिक से कुछ पेशगी ले तो उसको सवा छः रुपये सैकड़ा के हिसाब से सूद देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह सवा छः रुपये की दर बहुत ज्यादा है। यह प्रतिशत केवल ३ रुपये होनी चाहिये।

इसके बाद नियम ४९ की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें है "फैक्टरी या अध्यासी खरीदे गये गन्ने ९ पाई प्रति मन के हिसाब से कमीशन देगा।" मैं यहां माननीय गेंदासिंह जी से सहमति प्रकट करना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष परचेजिंग एजेंट है तो उसको तो चाहे आप एक ही आना दें लेकिन गन्ना सहकारी समितियों को २ आना प्रति मन के हिसाब से कमीशन मिलना चाहिये और इस सुझाव के पीछे काफी आधार है और वह यह कि मिल मालिकों को गन्ने की कीमत के सिलसिले में काफी सुविधायें केन्द्रीय सरकार के जरिये से दी गयीं। जब गन्ने का भाव १ रु० १२ आ० मन था तो उस समय

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

७ आने और ९ आने सेर चीनी बिकती थी। लेकिन अब गन्ने का भाव कम हो गया है उसके बावजूद भी मिलमालिक चीनी मंहगी बेंचते हैं। तो ऐसी हालत में अगर कमीशन ती ₹पैसे के बजाय २ आने संस्थाओं को और १ आना किसी व्यक्ति को जो परचेंजिग एजेंट हो दे दिया जाय तो मैं नहीं समझ सकता कि इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है।

इसके बाद नियम ५० की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें है, "किसी क्षेत्र की परिषद और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को कमीशन में से भुगतान किस अनुपात से दिया जाय इसका अवधारण करने में राज्य सरकार, परिषद और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के वित्तीय साधनों और कार्य सम्पादन की आवश्यकताओं पर विचार कर सकती है।" इसमें राज्य सरकार ने अपने हाथ में अख्तियार ले रखा है कि विकास परिषद को कितना रुपया मिलेगा, और केन सहकारी समितियों को कितना रुपया मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह अनर्थ का कारण हो सकता है। इसमें एक निश्चित प्रतिशत होना चाहिये। अगरचे इसमें है कि ५० प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें निश्चित होना चाहिये वरना इसका दुरुपयोग किया जायगा एलेक्शन के मौके पर या किसी दूसरे मौके पर। किसी भी विकास परिषद को या किसी भी सहकारी समिति को यदि अपने हाथ में लेना है तो उसके लिये सरकार प्रतिशत बढ़ा देगी। लेकिन अगर प्रतिशत निश्चित हो जायगा तो इसमें मनमुटाव भी नहीं होगा और सरकार सर दर्द से भी बच जायगी वरना मंत्री जी को बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि लोग सैकड़ों की तादाद में उनके पास पहुंचेंगे कि हमारे यहां की समिति का प्रतिशत २५ फीसदी के बजाय ४० प्रतिशत बढ़ा दिया जाय। ऐसे मामलों से मंत्री जी की झंझट खत्म हो जायगी अगर निश्चित प्रतिशत रख दिया जाय।

श्रीमन्, नियम ५४ इस प्रकार है कि—

"गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के स्थायी अथवा अस्थायी सचिवों और लेखा, परीक्षकों को नियुक्त करने, अनुपस्थित रहने की छुट्टी मंजूर करने, दंड देने, काम से हटाने स्थानान्तरण करने और नियंत्रण करने का अधिकार का प्रयोग फेडरेशन द्वारा गन्ना कमिश्नर के सामान्य नियंत्रण के अधीन जो फेडरेशन की किसी आज्ञा को परिष्कृत अथवा निरस्त कर सकता है, किया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गन्ना कमिश्नर आकस्मिक संकटकाल (इमर्जेंसी) में ऐसे किसी भी अधिकार को स्वयं प्रयोग में ला सकता है"

श्रीमन्, मेरी राय इसमें यह है कि जो सहकारी समितियां हैं या विकास परिषद हैं उनको कर्मचारी रखने की छूट दी जाय और निकालने के लिये वह नियम बना सकते हैं। अगर इसके बाद आवश्यक हो तो केन फेडरेशन को मौका मिलना चाहिये, लेकिन यहां पर केन कमिश्नर को सर्वोपरि पावर्स देना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। अपीलें की जा सकती हैं, लेकिन उन पर भरोसा किया जा सकता है। माननीय शिवनारायण जी सिर हिला रहे हैं, उनका तो सिवाय सरकार के और किसी पर विश्वास नहीं है। विकास परिषद वाले लायक नहीं है, सहकारी समिति वाले लायक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसका मूल आधार नीति संबंधी है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको मौका दिया जाना चाहिये। अगर यह थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी करते हैं तो इनको अधिकार होना चाहिये; क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, यह १००–२०० रुपये की गड़बड़ी कर सकते हैं लेकिन हमारी सरकार तो लाखों करोड़ों की गड़बड़ी करती है लेकिन हम बरदाश्त करते हैं, क्योंकि जनतंत्र में चुनी हुई संस्था को कार्य करने का मौका देना चाहिये। इसलिये जब तक उन्हें सीखने का मौका नहीं देंगे तब तक जिम्मेदारी कैसे आयगी? पंचायत राज्य के बारे में लोग परेशान हैं कि पंचायतें गड़बड़ी करती हैं इनको हटा दिया जाय और सरकार की कैबिनेट तक में मतभेद है। लेकिन मैं तो इस राय का हूं कि हर संस्था को पूरा मौका दिया जाय कार्य करने का और सीखने का। जब कैबिनेट लेविल पर लाखों और करोड़ों भूलें हो सकती हैं

तो फिर यह छोटी-छोटी संस्थायें कुछ रुपयों की गड़बड़ी कर दें तो उनको मौका देना चाहिये काम करने का लेकिन नियमों से इनको बांध देना चाहिये। इनको अपने यहां शासन करने का पूरा अधिकार होना चाहिये।

अब मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं और मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं। अन्त में मैं तीन चार बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो यह कि केन सेस के लिए गन्ना विकास के लिये नियम बनाया जाय। दूसरे यह कि सरकार को आडिट के लिये पृथक इन्तजाम करना चाहिये। लेकिन यदि सरकार अलग से विभाग न खोलना चाहे तो सहकारी समितियों के लिये जो चीफ आडीटर रख दिया गया है, उसको आप यह काम दे सकते हैं। यह काम केन कमिश्नर से अलग होना चाहिये। जो सब से जरूरी बात है वह यह है कि फैक्ट्री इम्प्लायर के लिये इसमें जो केवल एक हजार की जमानत की व्यवस्था है, मंत्री जी चाहें तो इसमें ५०,००० से कम की जमानत जरूर रखी जाय वरना मेरी राय यह है कि एक लाख रुपये की जमानत रखी जाय। इससे उनको भी सुविधा होगी और सरकार को भी सुविधा होगी।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस समय प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह जो हमारे सामने नियम हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रदेश के किसानों के एक बहुत बड़े हिस्से से संबंध रखते हैं। यह नियम इसके ऐक्ट से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मूल ऐक्ट के अन्दर भी वह विधान नहीं किया गया है जो कि इन नियमों में किया गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन नियमों के महत्व को देखते हुये माननीय सदस्य अभी इस प्रकार का निश्चय न करें और अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो मुझे स्वयं अधिकार है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय नारायणदत्त जी जो यह चाहते हैं कि इन नियमों के ऊपर काफी और समय तक विवाद होता रहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तरन्तु मैं यह चाहूंगा कि इसका विवाद १० तारीख को न हो क्योंकि मैं उस तारीख को यहां पर नहीं रहूंगा। और कोई दिन इन नियमों के विवाद के लिये रख दिया जाय परन्तु वह दिन ऐसा होना चाहिये जिस दिन में यहां उपस्थित रहूं।

श्री अध्यक्ष—आपकी सुविधानुसार उसके लिये समय निश्चित कर दिया जायगा।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्तुत नियम हैं जिनको "उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४, कहते हैं इनको डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी.....

श्री अध्यक्ष—आप यह प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। जब वह कमेटी बनी नहीं है तो उसको वह रेफर नहीं हो सकते हैं। अभी तो आप अपना भाषण दें उसमें आप अपनी बातें कह सकते हैं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिपाटी बन गयी है कि जो ऐक्ट हो उसकी भावना के विपरीत नियमों में विधान कर दिया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में २,३ मिसाल उदाहरण के तौर पर आपकी सेवा में और इस सदन की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप देखें पेज २५ पर अध्याय २२ में नियम १२६ है जिसमें नियम से मुक्त करने का अधिकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उसमें लिखा है कि "राज्य सरकार आज्ञा देकर किसी व्यक्ति को समस्त नियमों अथवा उनमें से किसी नियम की प्रवृत्ति से मुक्त कर सकती है" अब श्रीमन्, यह देखें कि इस नियम में कितनी कमजोरी है। केवल वैधानिक ही नहीं बल्कि हमारा जो अधिनियम है और जिस तरह से वह बना है उसके भी विपरीत है। मूल अधिनियम की धारा २८ के अनुसार यह नियम बने हुये हैं। उसके बाद जो उपखंड (२) है उसमें यह बताया गया है कि सरकार किस-किस सम्बन्ध में नियम बना सकती है; अन्त में यह लिखा हुआ है—

"(३) इस धारा के अनुसार बने नियम राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से लागू होंगे।

(४) लागू होने के तुरन्त पश्चात् ही होने वाले विधान मंडल के अधिवेशन में उपर्युक्त सभी नियम प्रस्तुत किये जायेंगे और किसी नियम अथवा नियमों के विधान मंडल द्वारा अस्वीकृत संशोधित अथवा बढ़ाये जाने पर लागू नियमावली को तदनुसार संशोधित कर दिया जायगा।"

इस धारा २८ में सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नियम बना सकती है, लेकिन उसके अनुसार उसको यह अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं है कि किसी नियम से अथवा सभी नियमों से किसी व्यक्ति को वह एक्जेम्प्ट कर दे और कर भी कैसे सकती है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का आर्टिकल १४ इस प्रकार से है—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

यानी कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने बराबर दृष्टि से देखे जाने से वंचित नहीं कर सकती है। कानून की बराबरी की छाया सारे भारतवासियों के लिये होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो नियमों में सरकार ने अधिकार लिये हैं वे अधिनियम और संविधान दोनों के ही विरुद्ध हैं और सरकार को कुछ या सारे नियमों से किसी व्यक्ति को एक्जेम्प्ट करने की ताकत देती है जो कि इस सदन की मंशा कभी नहीं थी। जब सन् ५३ में हमने यह विधेयक पास किया था उस समय यह मंशा हमारी न थी कि राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि वह किसी व्यक्ति को किसी समय से प्रवृत्त करे।

दूसरी मिसाल पेज २४ पर आप देखें। अध्याय २० पेनेल्टीज का है। उसके १२१ नियम को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा। उसमें यह लिखा हुआ है—

"इस अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन कोई अदालत किसी अपराध की अवेक्षा न करेगी, जब तक कि अपराध किये जाने की बतलायी गयी तारीख के एक वर्ष के भीतर परिवाद न प्रस्तुत किया जाय" अब आप देखेंगे कि इसमें अधिनियम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगर अंग्रेजी में जो १२१ धारा है उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें 'नो कोर्ट' शब्द का इस्तेमाल हुआ है और बताया गया है कि जिस दिन शिकायत प्राप्त हुयी है उसके १ साल के भीतर यदि शिकायत कोर्ट में नहीं की गयी तो फिर कोई भी अदालत इस प्रकार की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी। अब आप, श्रीमन्, अधिनियम को देखें उसमें पेनेल्टी के बारे में धारा २२,२३ और २४ में जिक्र है। इसको मैं पढ़े देता हूं। उसमें इस प्रकार से है—

"यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास के दंड का जो ६ महीने तक हो सकता है अथवा अर्थदंड का जो ५,००० रुपये से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिये जब जब उल्लंघन करे वह ऐसे अधिक अर्थदंड का भागी होगा जो १,००० रुपया से अधिक न होगा।"

यह बताया गया है कि यदि कोई शिकायत होती है तो उसकी पेनेल्टी हो सकती है ६ महीने की सजा और ५ हजार तक जुर्माना और अगर ज्यादा दिन हो जायं तो एक हजार

रुपया भी जुर्माना हो सकता है। तो आप आगे देखें जो धारा २३ है उसमें लिखा है कि "इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद किये बिना कोई अभियोग निवेशित नहीं किया जायगा।"

यानी इन अधिकारों के अधीन पहले कमिश्नर और जिला मैजिस्ट्रेट से शिकायत होगी। एक तो यह प्रतिबन्ध है और दूसरा यह है कि "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर गन्ना कमिश्नर अथवा गन्ना कमिश्नर की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट ऐसा प्रशमन शुल्क लेकर जो उस पर ऐसे अपराध के लिये लगाये जा सकने वाले अर्थदंड से अधिक न होगा किसी भी स्तर पर उक्त अपराध का प्रशमन कर सकता है।" यह कम्पाउन्ड करने का है। तीसरा है "कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न हो, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध किसी अपराध का विचार न कर सकेगा।"

यह लिमिटेशन ऐक्ट में है कि सेकिंड क्लास से कम का मैजिस्ट्रेट न हो और साथ ही धारा २४ में यह स्पष्ट है कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को केवल ५,००० रु० जुर्माने तक का अधिकार है और वह भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार जुर्माना न कर सकेगा, यह भी धारा में साफ है। फिर आप देखें कि जबकि अधिनियम में कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां ऐक्ट को भी शामिल किया गया है जब कि ऐक्ट की ऐसी मन्शा नहीं है और उसकी मन्शा दूसरी है। इसलिये, श्रीमन्, यह मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि यह नियमावली ऐक्ट की मन्शा के विरुद्ध है और इस का मुख्यांश जो केन प्रोड्यूसर्स से संबंधित है, और जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है उनके भी हित में नहीं है। तीसरी मिसाल अध्याय १९ में है जहां मध्यस्थ निर्णय के बारे में कहा गया है और बोर्ड आफ आर्बिट्रेशन की व्यवस्था की गयी है। उसमें भी लिखा है, नियम ११४ है, "अकेले मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के बोर्ड के पंच निर्णय से दोनों पक्ष बाध्य होंगे और उस पर किसी दीवानी अथवा माल अदालत में प्रश्न न उठाया जायगा।" आप देखेंगे कि जो व्यवस्था नियमावली में की गयी है वह ऐक्ट में नहीं है। वहां तो है कि कमिश्नर के यहां अपील हो सकती है और यहां यह है कि कहीं दीवानी या माल अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगर कभी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी बनेगी तो वहां पर विचार होगा। मैं मंत्री जी से स्वयं पूछता हूं कि क्या यह सदन की परम्परा के अनुकूल है। मैं, श्रीमन्, यह आप पर छोड़ता हूं आप स्वयं इस पर विचार करें और सारी नियमावली को न देख सकें तो कम से कम इसके जो अंश मूल ऐक्ट के विरुद्ध हैं उनको आप स्वयं ही अवैधानिक करार दे दें या नेता सदन की राय ले कर आप नियमावली को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के पास भेज दें। इसके और भी उदाहरण हैं लेकिन अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं उस कमेटी के सामने और भी विचार रख सकूंगा और स्वयं वहां बातचीत कर सकूंगा।

अब देखना यह है कि यह जो रूल्स हैं क्या वह गन्ना प्रोड्यूसर्स की दिक्कतें गन्ने की पूर्ति तथा विनियम के बारे में हैं उन सब की पूर्ति यह करते हैं या नहीं। मैं क्या कहूं! इन नियमों के पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह इतने अधूरे हैं....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय में जहां तक वैधानिक आपत्ति का सम्बन्ध है अगर माननीय मंत्री जी यहां बीच में ही कुछ वैधानिकता के बारे में कहना चाहें तो इस विषय में मैं उनको बीच में ही कहने का मौका दे सकता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जितनी बातें उठाई गयी हैं उनका उत्तर जब मैं अपना उत्तर दूंगा तब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—अगर आप बीच में भी बोलना चाहें तो अभी एक दफा बोलने की इजाजत मैं और आपको दे सकता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो, श्रीमन्, हम लोगों की दिक्कत यह है कि नियम जो है वह किसी सेलेक्ट कमेटी के सामने नहीं जा सकते हैं। इसी अधिनियम के बनते समय जब अधिनियम सेलेक्ट कमेटी में था आपकी कृपा से मैं भी उस सेलेक्ट कमेटी में था और उसके सामने जो सुझाव आये वह केवल उसी के सम्बन्ध में ही नहीं था, बल्कि नियमों के बारे में भी था। लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि हमारी नियमावली में भी कोई हमें ऐसा अधिकार नहीं है कि हम उस सेलेक्ट कमेटी में नियमों पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष—नियम तो अधिनियम बनने के बाद बने होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जब अधिनियम बनने के बाद नियम आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नियम भी दो प्रकार से सदन के सामने आते हैं। एक तो वह नियम जो कि एफरमोटिव प्रोसीजर के होते हैं और दूसरे निगेटिव प्रोसीजर के होते हैं वह आते हैं। कुछ रूल्स तो हमारे सामने रखे जाते हैं, लेकिन उन पर बहस नहीं होती जब तक आप की आज्ञा से और सरकार के परामर्श से उन पर बहस करने की अनुमति हमें न मिल जाय। कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनके लिये विधेयक में लिखा होता है कि इस पर सदन में विवाद होगा और उन पर विवाद होता है। तो यह ऐसे नियम हैं जिन पर अधिनियम के अनुसार विचार होना आवश्यक है। तो कोई ऐसी परिपाटी सदन में निकालनी चाहिये जिससे सदन का समय बचे और सेलेक्ट कमेटी में उन नियमों पर विचार हो सके। श्रीमन्, आज इतने सुझाव आये हैं कि अगर संशोधन उनके स्वीकार किये जायं तो कम से कम सौ संशोधन तो होंगे। अब इस सम्बन्ध में ६ साल पहले एक स्वामीनाथन कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से इन सभी नियमों पर विचार किया था और अपनी सिफारिशें भी की थीं और वह आज भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देखें कि बहुत से नियम उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किये गये हैं, लेकिन फिर भी यह नियम बहुत माने में अधूरे हैं। जैसे मैं कुछ मिसालें देना चाहूंगा। आप देखें कि अधिनियम में केन कोआपरेटिव फेडरेशन, यू०पी० के संगठन के बारे में नियम बनाये जायेंगे ऐसा लिखा हुआ है अब इस नियम में ढूंढा कि कहीं केन कोआपरेटिव फेडरेशन के संगठन के बारे में कुछ मिले, लेकिन नहीं हैं। पुराने नियम समाप्त हो चुके, नये नियम लागू हो गये, फेडरेशन काम कर रहे हैं और इस ऐक्ट के मातहत काम कर रहे हैं। नियम २८ (६) अगर आप देखें तो उसमें है :—

"गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां, परिषदों तथा यू० पी० केन यूनियन्स फेडरेशन के संगठन, संचालन, प्रबंध, पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा तथा ऐसी संस्थाओं तथा उनके संघों की इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता की शर्तें, नियम तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण।"

अब नियमावली में देखें तो उसमें इनके संचालन और प्रबंध के बारे में तो हैं, लेकिन पर्यवेक्षण के बारे में कुछ नहीं है। यह या तो यह कह दें कि केन फेडरेशन्स कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अनुसार काम कर रही है, यदि यह है तो कहा जाय कि हमसे मतलब नहीं है और अधिनियम में स्पष्ट कर दिया जाय, लेकिन अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और या यह कह दिया कि इसके नियम अलग से होंगे। लेकिन जब अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि नियमों में व्यवस्था की जायगी तो कारण समझ में नहीं आता कि किन नियमों के अनुसार फेडरेशन काम कर रहा है। वे कौन से नियम हैं और कब लागू हुये और किस अधिनियम के मातहत बनाये गये और कब वे सदन के सामने लाये गये और उनके लाने की मंशा है भी या नहीं? सन् ५४ में यह संशोधन किया गया था कि एक साल के बाद नयी नियमावली आनी चाहिये। लेकिन वह भी नहीं हुआ। इस फेडरेशन के अलावा आडिट का सवाल है। लेखा परीक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है लेकिन

कोई नियम हमारे सामने नहीं है कि लेखा परीक्षक (आडिटर्स) कौन होंगे, उन पर किस का कंट्रोल होगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के बारे में है। बहुत मिल मालिक आप जानते हैं जब गन्ना मिलों को जाता है बहुधा बहुत बार ऐसा होता है कि मिल मालिक इस बात की व्यवस्था करते हैं कि वे अलग-अलग पर्चेजिंग सेंटर्स से अपनी गाड़ियों द्वारा गन्ना मंगवाते हैं। बहुधा ऐसा देखा गया है कि ऐसे मामलों में फैक्टरी वालों और किसानों के बीच विवाद हो जाता है। किसान कहता है कि वह दो आने मील देगा और फैक्टरी वाला कहता है कि वह ४ आने चार्ज करेगा। इस तरह से बहुत विवाद होता है। पहले नियमों में इस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था की गयी थी, ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में। अगर कोई मिल मालिक और किसान के बीच में झगड़ा हुआ तो क्या किया जायगा? मैं इस सम्बन्ध में उन पुराने नियमों को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पुराने नियमों में इस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था की गयी थी कि ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स के सम्बन्ध में कितने डिडक्शन्स होने चाहिये, कितनी कटौती होनी चाहिये और कटौती किस प्रकार होगी। इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था वर्तमान नियमों में नहीं है।

इसी प्रकार सेस के मामले को आप लें। सेस आखिर हम किसी खास निश्चित उद्देश्य के लिये वसूल करते हैं कि हम इसका खर्चा किसी विकास के कार्य में करेंगे जो गन्ने से संबंधित होगा। सेस और टैक्स का मामला अलग-अलग होता है। दोनों में फर्क होता है। टैक्स कंसालिडेटेड फंड आफ रेवेन्यू में जमा हो जाता है और वह किसी भी खर्चे में इस्तेमाल हो सकता है लेकिन सेस एक खास तरीके से उसी सम्बन्ध में खर्च होता है उसी चीज में इस्तेमाल होता है जिस चीज से वह वसूल किया जाता है। जैसे कपड़े का सेस वसूल होता है। उस सेस से जो फंड इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल काटेज इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिये किया जाता है, कर्घा उद्योग बढ़ाया जाय इससे खर्च किया जाता है यानी कपड़े के व्यवसाय से संबंधित, कपड़े के उद्योग से संबंधित मद में वह खर्च किया गया। जहां भी सेस आज तक वसूल किया गया है वहां सब में यही तरीका रक्खा गया है कि जिस चीज से वह वसूल हो उसी में वह खर्च हो। इसमें आप देखेंगे कि सेस वसूल करने के सम्बन्ध में तो काफी निवेदन किया गया है कि वसूली किस प्रकार होगी और उसकी प्रणाली भी निर्धारित की गयी है, लेकिन वह खर्च किस प्रकार किया जायगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं। अधिनियम के किसी भी अंग में इसकी मुमानियत नहीं है कि इसकी व्यवस्था न हो और इस सम्बन्ध में नियम न बनाये जायं। इसी के साथ जहां तक सेस का सवाल है कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे सहारनपुर या कुछ ऐसे ही और हिस्से जहां से उत्तर प्रदेश से बाहर की फैक्टरियों को भी गन्ना जाता है कोई ऐसा इसमें प्रतिबन्ध नहीं है कि उन फैक्टरियों से सेस कैसे इकट्ठा होगा। स्वामीनाथन् कमेटी और विभाग ने सुझाव दिया था सरकार को कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिये। लेकिन ऐसा कोई भी इसमें सुझाव नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर की फैक्टरियां हैं, उनसे कैसे सेस इकट्ठा होगा, कहां जमा होगा, इसका कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। इसी प्रकार नियमों में आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश गन्ना बोर्ड है, उसका अगर कभी विघटन हो तो उसका पुनस्संगठन कैसे हो इसकी व्यवस्था होनी आवश्यक था। लेकिन जहां गन्ना बोर्ड के सम्बन्ध में नियम बने हैं इनमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह पता चले कि अगर सरकार कभी बोर्ड को भंग कर दे तो फिर कैसे बनेगा। आप यह देखेंगे कि इस अधिनियम में गन्ना बोर्ड को भंग किये जाने की व्यवस्था है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, आज उनको अगर किसी गन्ना बोर्ड को भंग करने की जरूरत पड़े तो दोबारा बनाने के लिये नियम कहां हैं। नियम नदारद हैं।

इसी प्रकार इंस्पेक्टर्स के लिये इसमें विधान किया गया है कि निरीक्षक कौन होंगे। निरीक्षकों की लिस्ट देखिये इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, एस०डी०ओ० जितने एक्जिक्यूटिव साइड के आफिसर्स हैं, सब मौजूद हैं। जिनको कभी पर्चेजिंग सेंटर पर जाने की फुरसत नहीं मिलती, इन सबका नाम इसमें लिखा हुआ है। मैं केन विभाग के अधिकारियों को नहीं कहता। लेकिन तीन साल से मुझे भी सरकार की ओर से आनरेरी इंस्पेक्टर नामजद किया गया और जहां-जहां केन सेंटर्स पर मुझे घूमने का मौका मिला वहां सरकारी अधिकारी जो एक्जिक्यूटिव साइड

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के हैं जैसे तहसीलदार, एस० डी० ओ०, जिला मैजिस्ट्रेट जिनको अधिकार हैं पिछले तीन सालों में कभी भी उन्होंने मुआयना नहीं किया। अधिकार तो सबसे बड़ा उनको मिला हुआ है मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि क्या कमी है विधान सभा के सदस्यों में, उनको क्यों नहीं अधिकार निरीक्षण करने का दिया जाता। सभी विधान सभा के माननीय सदस्य घूमते हैं अपने क्षेत्रों में। कम से कम उस क्षेत्र में विधान सभा के सदस्य को तो अवश्य इस बात का अधिकार मिलना चाहिये कि अपने उस क्षेत्र के अन्दर जितने पर्चेजिंग सेंटर्स हैं उनका निरीक्षण कर सकें। अब तक क्या होता रहा है ? केन कमिश्नर साहब की अगर मर्जी हुयी तो शायद किसी एम० एल० ए० को नामजद कर दिया। वैसे यह हो सकता है कि एम० एल० एज० अपने रोब से या इस प्रकार से पहुंच जांय और कहें कि हम निरीक्षण करेंगे और वह मना न करें तो दूसरी बात है। लेकिन नियम यह है कि जब तक अथारिटी कार्ड केन कमिश्नर का न हो तब तक हमको जांच करने का अधिकार नहीं है। वह कह सकते हैं कि आप कौन हैं, कार्ड दिखलाइये तो जांचने देंगे वर्ना नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि विधान सभा के प्रत्येक उस क्षेत्र के सदस्य को कांटा की तोल की जांच का अधिकार होना चाहिये और वह होना चाहिये जो कि आमतौर पर निरीक्षक को होता है।

जिला प्लानिंग आफिसर जो कि केन डेवलपमेंट काउन्सिल का मेम्बर है। पहले ऐक्ट में वह नहीं था। १९५३ में संशोधन करके उनका नाम रखा गया। लेकिन निरीक्षकों में उनका नाम नहीं है।

*नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)---रूल २० है इंस्पेक्टर्स का। इसका जो क्लाज (एच) है वह इस प्रकार है---

"issue from time to time such instructions as may be necessary to ensure equitable purchase of cane."

(के) इस प्रकार है---

"take into his possession and remove from the premises of a factory or purchasing centre such records, registers, documents, statements and returns, maintained or caused to be maintained by the occupier of a factory or a purchasing agent as he may require for the purpose of any enquiry or examination."

मैं यह कह रहा था कि एक्स-आफिशल इंस्पेक्टर को यह अधिकार है। अगर उन अधिकारों को आप कहते हैं कि नान-आफिशियल एक्सरसाइज करें तो कोई कठिनाई पड़ने वाली नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैंने तो यह कहा था कि जिला प्लानिंग अफसर इंस्पेक्टर नहीं है। एम० एल० एज० को पहले कह चुका था। जिला प्लानिंग अफसर की बात कह रहा था। उसको सरकार मानती है कि वह इंस्पेक्टर नहीं है। क्या ऐसा है ? इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिये।

श्री फूल सिंह---बाद में दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने जिसका उत्तर नहीं मांगा था उसका उत्तर आप दे रहे थे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिला प्लानिंग अफसर जो कि गन्ना विकास परिषद् का सदस्य है और जो पी० सी० एस० होता है आम तौर पर हर जिले में, तो उसके लिये माननीय मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि वह इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है। एम० एल० एज के बारे में मैं जवाब दे दूं, चूंकि आप ने मौका दिया है, अध्यक्ष महोदय, कि आप इस सब-क्लाज के नीचे अलग से लिख दें, नियम बना दें कि उनके अधिकार इतने होंगे। आनरेरी इंस्पेक्टर जिसको आप कहते हैं उनके लिये कहीं इसमें प्राविजन नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फूल सिंह---है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्राविजन इतना ही है कि केन कमिश्नर जिसको नामजद कर दे, लेकिन आनरेरी इंस्पेक्टर के नियम कहीं नहीं हैं। अगर हैं तो आप बतायें।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत बार बार नहीं दूंगा। वह जवाब देंगे तो बतायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह कह रहे हैं कि हैं, इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने एक बार इसका तजुर्बा कर लिया। बार बार मैं इस प्रकार की बात नहीं होने दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसमें यह है कि केन कमिश्नर किसी पर्सनल को अथराइज कर सकता है और नाम उनका आनरेरी इंस्पेक्टर होगा, जिसकी इतनी बड़ी किताब छपी है और हमारे पास हर साल पहुंचती है। तो आपको नियमों में उनको स्थान देना चाहिये था और यह लिखना चाहिये था कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या वह कर सकते हैं, आया वह रेफर कर सकते हैं या नहीं, यह सब बातें नियमों में स्पष्ट होनी चाहिये थीं और नियमों में उनका समावेश होना चाहिये था। तो इसके साथ ही साथ स्वामीनाथन कमेटी ने एक और अधिकार इंस्पेक्टर को देने की बात कही थी और पुराने नियमों में उस बात की व्यवस्था थी कि इंस्पेक्टर को यह भी अधिकार होगा कि वह देखे कि आया वह अपने मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं या नहीं। आप देखेंगे पुरानी नियमावली के नियम ५ के उपखंड एच एच में,

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह देखें कि आया जो मजदूर हैं उनको मजदूरी मिल रही है या नहीं। पर्चेजिंग सेन्टर को भी वह देख सकते हैं, क्योंकि जहां भी गड़बड़ घुटाला होता है क्योंकि किसान की सबसे ज्यादा लूट परचेजिंग सेन्टर में होती है और वहीं कांटे में झुकाव करना, पर्ची बनाने में धांधली करना आदि सब काम वहीं होता है और इसलिये इंस्पेक्टर और आनरेरी इंस्पेक्टर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है गन्ने के मामले में। अगर उनको मजदूरी ठीक समय पर नहीं मिलती है तो उसका नतीजा यह भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार में वृद्धि हो, इसलिये कि उस समय उनकी ज्यादा रुपया बनाने की ओर मनोवृत्ति रहती है। तो इस प्रकार की शंकायें हो सकती हैं। आपको चाहिये था कि पुराने नियमों को संशोधित करते, उनमें कुछ परिवर्तन करते, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को, जहां तक मुझे सूचना है, इस डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया है और यह भी स्वीकार कर लिया है कि वह बोनस के रजिस्टर की भी जांच कर सकता है। लेकिन हमारे नियम बनाने वाले महानुभाव ने उसको डिलीट कर दिया और इसमें उस बात का कोई स्थान नहीं है। अब मैं कहां तक गिनाऊं ? आप देखिये अध्याय ७ में ग्रोअर्स रजिस्टर का जिक्र किया गया है। गन्ना उत्पादकों का रजिस्टर होगा। अब आप पुराने नियमों को देखें, ऐक्ट को देखें और वर्तमान अधिनियम की मंशा को देखें। इसमें सर्वे का कोई नियम नहीं बनाया गया है कि केन कमिश्नर या उनके अधिकार प्राप्त डी० सी० ओ० या कोई भी साहब होते, वह सर्वे भी करा सकते हैं। तो रजिस्टर किस चीज का बनेगा ? पुराने नियमों में सर्वे का अधिकार था कि केन कमिश्नर या सम्बन्धित अधिकारी खेती का सर्वे कर सकता है और इसके लिये कुछ धन की भी व्यवस्था थी, लेकिन इस अधिनियम में सर्वे का कोई प्रबन्ध इस नियमावली में नहीं है। आप देखेंगे कि २४, २५, २६, २७ जो नियम हैं उनमें रजिस्टर में जो लिखा जायगा वह सही है या गलत है इसकी कैसे जांच होगी जब तक सर्वे न हो। इसलिये पहले सर्वे की व्यवस्था थी वह इस नियमावली में नहीं है, वह होनी चाहिये।

ऐसे ही किस प्रकार की तौल तराजू होगी इसके सम्बन्ध में अध्याय ८ बनाया गया। अब आप इसमें यह देखें कि तमाम इसमें नई नई बातें बढ़ाई गई हैं। कुछ अच्छी बढ़ाई गई हैं कि फ़ैक्ट्री जो है उस के लिये बाध्य है कि सड़कों वगैरह की दुरुस्ती करे और भी प्रबन्ध करे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इससे सम्बन्धित, पहले यह नहीं था, अब बढ़ा दिया गया, यह सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ यह स्पष्ट नहीं है कि, जैसा स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी, एक मत से की थी, जिसमें शायद डिप्टी कमिश्नर साहब भी शायद थे, यह सिफारिश की थी कि अगर कोई मिल-मालिक यार्ड को पक्का नहीं करता है और बैलगाड़ियों को ठहरने का प्रबन्ध ठीक नहीं करता तो फिर केन कमिश्नर यह आज्ञा दे सकता है कि केन सोसाइटी उस यार्ड को पक्का करेगी अपने खर्चे से और सारी व्यवस्था करेगी और वह खर्चा फैक्ट्री से वसूल कर लिया जायगा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मालगुजारी वसूल की जाती है। लेकिन जैसा माननीय महीलाल जी ने कहा है, यह तो कागजी है, नियम में लिख दिया कागज में पक्की होना चाहिये लेकिन होती नहीं। तो यह नियम कागजी न रहे। इसीलिये स्वामी-नाथन कमेटी ने एकमत से सिफारिश की थी अगर मिल मालिक ऐसा नहीं करता तो मिल मालिक के खर्चे से सोसायटी उस यार्ड को पक्का करवाये तथा और सुविधायें दे। वह मुख्य सिफारिश स्वामीनाथन कमेटी की मन्जूर नहीं की गयी है और उसको इन नियमों में कोई स्थान नहीं दिया गया है। नतीजा क्या होगा नियम तो बड़े सुन्दर बने लेकिन उनको लागू करना उतना ही सुन्दर होगा। इसी प्रकार इसमें यह व्यवस्था कर दी गयी कि अन्तिम तौल कै बजे तक होगी, आध घंटा शाम पहले और बाद तक होगी लेकिन तौल कब शुरू होगी इसका पता नहीं। अब तौल शुरू न होने की व्यवस्था, शायद विभाग का भी ध्यान इस ओर गया था और यह सिफारिश की गयी थी कि सूर्य उदय होने के १ घंटे बाद से तौल शुरू होगी अगर इमर्जेंसी पड़ी। तो यानी इसका मतलब यह हुआ जब जिसकी तबीयत आये उस समय तौल शुरू कर दे।

इसी प्रकार अब अध्याय ६ को लें तो यह पेमेन्ट्स के बारे में है कि किस प्रकार भुगतान होगा अब भुगतान में आप यह देखें कि पुर्जी के पेमेन्ट के सम्बन्ध मे कोई बहस होती है तो यह कहा गया कि एस० डी० ओ० इस प्रकार के झगड़े का निपटारा करेगा। अब आज कल एस० डी० ओ० को कितना काम है, मौके पर वह जा नहीं सकता, अदालत के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। होना यह चाहिये था कि बजाय एस० डी० ओ० के अगर कोई ....

श्री अध्यक्ष—अभी तो आप और भाषण देंगे, दूसरे दिन जारी रखियेगा। मैं समझता हूं कि दो, एक सूचना सदन को दे दूं तो ज्यादा अच्छा हो।

प्राक्कलन समिति के उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—प्राक्कलन समिति के तो स्थान रिक्त थे। उसके लिये नामजदगी का समय कल तक था और सूक्ष्म परीक्षा का आज था। तो उसमें इन लोगों की नामजदगी हुई है :—

१—श्री अब्दुल मुईज खां
२—श्री कमला सिंह
३—श्री चिरंजीलाल जाटव
४—श्री जयपाल सिंह
५—श्री प्रेमकृष्ण खन्ना
६—श्री मलखान सिंह
७—श्री मोहनलाल गौतम
८—श्री रामकुमार शास्त्री
९—श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना
१०—श्री होतीलाल दास।

यह सब नाम सूक्ष्म परीक्षा में ठीक पाये गये। नाम वापस लेने की तिथि १० अक्तूबर, १९५५ को तीन बजे तक है। यदि इनमें से आठ सदस्यों ने अपने नाम वापस न लिए तो फिर चुनाव होगा और अगर आठ ने नाम वापस ले लिये तो दो सदस्य जो रह जायंगे वे निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे। यदि इसके लिये निर्वाचन करने की आवश्यकता पड़ी तो उसकी तिथि मैं बाद में निश्चित कर दूंगा।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४, पर भावी विवादार्थ तिथि निर्धारण

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसके लिये विवाद के लिये कौन सी तारीख उनके लिये सुविधाजनक होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं चाहूंगा कि १०, ११, १२ को न रहे। उसके बाद चाहे जब रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो जो कार्य चलता होगा १०, ११, १२ को वह समाप्त होने के बाद १३ या १४ को रख दिया जायगा। १० की कार्य सूची में यह नहीं रहेगा और ११, १२ में भी नहीं रहेगा। उसके बाद की तिथि में मैं रख दूंगा।

अब हम उठते हैं और सोमवार तारीख १० अक्तूबर, १९५५, को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १० अक्तूबर, १९५५, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२९ सितम्बर, १९५५।

नत्थी किया

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

जिला			व्यक्तियों की संख्या	पेन्शन की राशि		
				रु०	आ०	पा०
मेरठ	..	देहरादून	६	२२५	०	०
		सहारनपुर	१२	२७०	०	०
		मुजफ्फरनगर	६	१५०	८	०
		मेरठ	२१	५११	०	०
		बुलन्दशहर	१५	३६०	०	०
		योग	६३	१५२७	८	०
आगरा	..	अलीगढ़	१४	४०५	०	०
		मथुरा	३१	९०३	०	०
		आगरा	३४	७८६	०	०
		मैनपुरी	१९	४६१	०	०
		एटा	६	१६०	८	०
		योग	१०४	२७२१	८	०
रोहेलखंड	..	बरेली	१४	२९५	०	०
		बिजनौर	६	१४१	८	०
		बदायूं	५	९४	८	०
		मुरादाबाद	१०	२५५	०	०
		शाहजहांपुर	१०	३८५	८	०
		पीलीभीत	८	१५६	०	०
		योग	५३	१३३७	८	०
इलाहाबाद	..	फरूखाबाद	२७	५७६	०	०
		इटावा	२४	६०६	०	०
		कानपुर	२६	७२१	०	०
		फतेहपुर	६	१२६	०	०
		इलाहाबाद	७३	१,८६१	०	०
		योग	१५६	३९०१	०	०

जिला		व्यक्तियों की संख्या	पेन्शन की राशि		
			रु०	आ०	पा०
झांसी	झांसी	३०	८५५	०	०
	जालौन	९	२०८	८	०
	हमीरपुर	१४	२३८	८	०
	बांदा	८	१९८	०	०
	योग	६१	१५००	०	०
बनारस	बनारस	६४	१५२१	०	०
	मिरजापुर	८	,१८३	०	०
	जौनपुर	३४	७७२	८	०
	गाजीपुर	३६	७८६	०	०
	बलिया	९५	२,१८०	०	०
	योग	२३७	५,४४२	८	०
गोरखपुर	गोरखपुर	२७	६५४	०	०
	बस्ती	३६	७५७	८	०
	आजमगढ़	२७	६७५	०	०
	देवरिया	८६	१,७८०	८	०
	योग	१७६	३,८६७	०	०
कुमायूं	नैनीताल	२२	४७६	०	०
	अल्मोड़ा	८४	१९६२	०	०
	गढ़वाल	१२	२५२	०	०
	टेहरी-गढ़वाल	२	५०	०	०
	योग	१२०	६६०७	०	०
लखनऊ	लखनऊ	५४	१,८९४	८	०
	उन्नाव	१०	३२८	८	०
	रायबरेली	१७	४७१	०	०
	सीतापुर	१०	३०३	०	०
	हरदोई	१९	४४८	८	०
	खेरी	७	२२८	०	०
	योग	११७	३६७३	८	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला		व्यक्तियों की संख्या	पेन्शन की राशि		
			रु०	आ०	पा०
फैजाबाद	फैजाबाद	११	३८८	८	०
	गोंडा	६	१००	८	०
	बहराइच	१	५१	०	०
	सुल्तानपुर	१७	४३०	८	०
	प्रतापगढ़	१४	२९८	८	०
	बाराबंकी	५	१०३	८	०
	योग	५४	१३७२	८	०
	कुल योग	११४१	२८,०८५	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

डाकुओं के पास से बरामद हथियार व सामग्री की सूचना

१	कान्सटेबिल नोने जू ..	एक टार्च, एक बल्लम, एक कुल्हाडी तथा १२ बोर के ५ कारतूस।
२	बलदेव प्रसाद ..	एक एस० बी० एम० एल० बन्दूक, एक पाव देशी बारूद थोड़ी सी अंग्रेजी बारूद, २ छंटाक छर्रे। टोपी १० तथा थोड़ा कागज।
३	भूरा प्रसाद	एक एस० बी० बी० एल० पिस्तौल तथा १२ बोर के ५ कारतूस।
४	रसूल खां	एक एस० बी० बी एल० पिस्तौल, १२ बोर के ८ कारतूस तथा एक टार्च।
५	गया प्रसाद	४ रेलवे टिकट बांदा से जमुना दक्षिणी किनारा।
६	जहूर	कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

सूची

१—देवबन्द
२—हापुड़
३—खुर्जा
४—हाथरस
५—फिरोजाबाद
६—शिकोहाबाद
७—कासगंज
८—जलेसर
९—बिसौली
१०—सहसवान
११—अमरोहा
१२—ठाकुर द्वारा
१३—डेरापुर
१४—अकबरपुर
१५—चन्दौसी
१६—तराई व भावर
१७—पुरवा
१८—नानपारा
१९—अमेठी
२०—फतेहपुर

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

विधेयक निवासों के फर्नीचर की सूची जिसका गत वर्षों में नीलाम किया गया

फर्नीचर का ब्यौरा		नीलाम किया गया फर्नीचर		
	१-१-१९५३	१२-१२-१९५३	१४-३-१९५४	
१	वगैर हत्ते की कुर्सी	११	३८	३०
२	हत्ते वाली कुर्सी	११	३०	४७
३	पलंग	१२	६	..
४	हाथ धोने की मेजें	२२	५	२५
५	चाय की मेजें	७	१२	६४
६	मँढक कुर्सी	२	४	१२
७	लम्बी नीची कुर्सियां	..	११	५
८	तौलिया स्टैन्ड	१७	१०	४६
९	दरियां	१	२०	..
१०	पीकदान	१६	९	..
११	फोल्डिंग कुर्सियां	..	१	..
१२	सादी मेज	..	१	..
१३	लिखने की कुर्सियां	२	१	६५
१४	टबें	..	९	..
१५	सोफासेट	१	२	..
१६	स्नान करने की चौकी	१०५	४	..
१७	जग	१२	९०	..
१८	मग	..	७२	..
१९	ताले	..	११२	..
२०	बाल्टी	१५	४२	२५
२१	चिलमची	१४	२९	..
२२	ब्रैकेट्स और पर्दे	..	१६८	..
२३	पर्दे के डंडे	..	८२	..
२४	परदे	..	११४१	५३
२५	चटाइयां	१३२	२३४	१५२
२६	खूंटी	..	२६	५३
२७	चिकें	एक ढेर	एक ढेर	तीन ढेर
२८	खस की टट्टी	..	तीन ढेर	..
२९	बांस की टटेर	एक ढेर	एक ढेर	..
३०	फोल्डिंग कुर्सियां	..	२	..
३१	होज पाइप	..	३५० फीट	..
३२	पलंग का फ्रेम	..	१३	..
३३	पत्थर की चौकी	..	२५	..
३४	चटाइयां	..	एक ढेर	..
३५	टिन के पाइप	..	४९ टुकड़े	..

फर्नीचर का ब्योरा	नीलाम किया गया फर्नीचर					
	१–१–१९५३		१२–१२–१९५३		१४–३–१९५४	
३६ सीढ़ियां			२		..	
३७ कमोड, चौकी आदि	५६		५३ टुकड़े		..	
३८ टाट के पर्दे	..		४५		..	
३९ सोफा कुशन	..		३		..	
४० निवाड	..		६ मन १८ सेर १० छटाक		..	
४१ पेग रेल्स	१२		..		..	
४२ पाखाने की चौकी	२		..		..	
४३ दो दराजवाली मेजे	१		..		..	
४४ फिनायल के टिन	एक ढेर		..		..	
४५ टेबिल लैम्प	१		..		..	
४६ डाइनिंग टेबिल	५		..		..	
४७ ड्रेसिंग टेबिल के शीशे के फ्रेम	२		..		..	
४८ स्टैन्ड पर लगे शीशे	१		..		..	
४९ पेशाब दान	१३		..		..	
५० गरम पानी के फिल्टर	२		..		..	
५१ मीट सेफ	१		..		..	
५२ टूटे फूटे बर्तन	..		..		एकढेर	
५३ चादरें तथा तकिये	..		..		१०	
५४ स्टूल्स	..		..		१	
५५ ब्रिज टेबिल	..		..		१	
५६ ड्रेसिंग टेबिल	..		..		२	
५७ पाम स्टेंड	..		..		४	
५८ कीपर टाप टेबिल	..		..			
५९ टायर तथा ट्यूब	एक सेट		..			
	रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०
फरनीचर की नीलाम की हुई कीमत	२५२	८	१२८६	१४	१३९९	१३

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर)

सूची

उन गजटेड पदाधिकारियों के नाम जो १ जूलाई, १९५५ को पुनः नियुक्ति के बाद काम कर रहे थे:—

	नाम	पद
१	श्री राम नगीना सिंह	जुडीशल मेम्बर, बोर्ड आफ रेवेन्यू यू० पी०,
२	श्री मुहम्मद सुल्तान हसन खां	रीजनल असिस्टेंट कम्पेन्सेशन कमिश्नर, आगरा ।
३	श्री प्रेम बिहारी लाल श्रीवास्तव	एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जुडीशल) मुजफ्फरनगर ।
४	श्री के० एस० गोयल	अन्डर सेक्रेटरी, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट
५	श्री बृज नाथ जुत्सी	स्पेशल जज, लखनऊ ।
६	श्री रघुनन्दन प्रसाद मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर, आगरा ।
७	श्री उमेश्वर सिंह रावत	डिप्टी कलेक्टर, अल्मोड़ा ।
८	श्री रामधारी राय	डिस्ट्रिक्ट लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, बनारस ।
९	श्री जगराम सिंह	लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट लखनऊ ।
१०	श्री एस० करीम हैदर	लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर डेवेलपमेन्ट बोर्ड, कानपुर ।
११	श्री मुहम्मद मुनव्वर	सेटेलमेन्ट आफसर (कंसालिडेशन) जौनपुर ।
१२	श्री क्षत्रपाल सिंह द्वितीय	स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर, कानपुर ।
१३	श्री मुहम्मद अब्बास जैदी	स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर, मुरादाबाद ।
१४	श्री महाबीर प्रसाद निगम	तहसीलदार, कानपुर ।
१५	श्री चरन सिंह	कंसालिडेशन आफिसर, सहारनपुर
१६	श्री मुहम्मद इब्राहीम खां	,, ,, मुजफ्फरनगर
१७	श्री मुंशी लाल	,, ,, मेरठ
१८	श्री अब्दुल हक	,, ,, बुलन्दशहर
१९	श्री सीताराम अंगीरास	,, ,, बुलन्दशहर
२०	श्री देवी प्रसाद मिश्रा	,, ,, बुलन्दशहर
२१	श्री मुहम्मद यामीन	,, ,, अलीगढ़
२२	श्री इतरसेन जैन	,, ,, बरेली
२३	श्री अब्दुल रहीम खां	,, ,, बरेली
२४	श्री मैकूलाल शुक्ला	,, ,, मुरादाबाद
२५	श्री नारायन सिंह भार्गव	,, ,, फर्रूखाबाद
२६	श्री अब्दुल रज्जाक	,, ,, ,,
२७	श्री फिदा हुसैन	,, ,, जौनपुर
२८	श्री मुहम्मद अब्बास खां	,, ,, बस्ती
२९	श्री भजराम सिंह'	,, ,, ,,

	नाम	पद
३०	श्री इफ्तिखार अहमद	कंसालीडेशन आफिसर लखनऊ ।
३१	श्री फैय्याज अली कादरी.	,, ,, उन्नाव ।
३२	श्री राज नारायन निगम	,, ,, फैजाबाद ।
३३	श्री प्रेम नरायन शुक्ला	,, ,, सुल्तानपुर ।
३४	श्री जे० आर० सिंह	कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स वेस्टर्न सर्किल, यू० पी० ।
३५	श्री एन० के० त्रिपाठी	डिवीजनल फारेस्ट आफिसर वेस्ट अलमोड़ा डिवीजन ।
३६	श्री पी० एल० शर्मा	फाइनेंशल ऐडवाजर टु कमिश्नर, रेलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, यू० पी० ।
३७	श्री जे० पी० मिश्रा	सेल आफिसर, इवाकुयी प्रापर्टी
३८	श्री रघुराज बहादुर	एडीशनल कस्टोडियन इवाकुयी प्रापर्टी यू० पी० ।
३९	श्री भगवती प्रसाद	असिस्टेंट कस्टोडियन, इवाकुयी प्रापर्टी यू० पी० ।
४०	श्री शिव नरायन सक्सेना	असिस्टेन्ट कस्टोडियन इवाकुयी प्रापर्टी, यू० पी०।
४१	श्री चन्द्र मोहन लाल	,, ,, ,,
४२	श्री वी० सेन	डाइरेक्टर, फ्रूट युटिलाइजेशन, यू० पी०
४३	डा० बी० ए० अग्निहोत्री	अस्थायी संचालक जेल उद्योग तथा सचिव, जेल उद्योग जांच समिति
४४	श्री बी० आर० वर्मा	जज (रिवीजन) सेल्स टैक्स
४५	श्री विजयपाल सिंह	मेम्बर जज स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रीइब्युनल, यू० पी० ।
४६	श्री राम चरन वर्मा	,, ,, ,,
४७	श्री दलेल सिंह चौधरी	उप संचालक, एग्रीकल्चरल इंटेलीजेंस ऐंड पब्लिसिटी यू० पी० ।
४८	श्री शम्भू दयाल	आफिसर आन स्पेशल डयूटी, कार्यालय, संचालक कृषि विभाग ।
४९	डा० ए० के० मित्रा	एकनामिक बोटानिस्ट, उत्तर प्रदेशीय सरकार
५०	सरदार उदम सिंह	आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, कार्यालय, संचालक एनिमल हस्बेंड्री विभाग।
५१	श्री परमानन्द	सचिव, युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी
५२	श्री गजाधर लाल	रीजनल मार्केटिंग आफिसर, कानपुर ।
५३	श्री के० सी० गुप्ता	जनरल मैनेजर, कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन।
५४	श्री के० के० बोस	एकाउन्ट्स आफिसर, कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन ।
५५	श्री दया किसन पंत	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ।
५६	श्री ए० सी० मित्रा	चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ।
५७	श्री बी० पी० सक्सेना	एडीशनल चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ।

	नाम	पद
५८	श्री आर० सी० सहाय	ऐडीशनल चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ।
५९	श्री एन० आर० गुप्ता	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर
६०	श्री सी० के० शर्मा	असिस्टेन्ट इंजीनियर ।
६१	श्री रूप नरायन कपूर	" "
६२	डा० सी० बी० सिंह	प्रोफेसर आफ सर्जरी, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा ।
६३	डा० आर० एस० दीक्षित	सिविल सर्जन, कानपुर ।
६४	डा० आर० एस० लाल	सुपरिन्टेडेन्ट, मेन्टल हास्पिटल, आगरा ।
६५	डा० (कुमारी) ए० मंडल	मेडिकल सुपरिन्टेडेन्ट, डफरिन हास्पिटल, इलाहाबाद ।
६६	श्रीमती यू० लाल प्रेनेस	मेट्रन, बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ ।
६७	डा० बी० पी० गुप्ता	डिप्टी डाइरेक्टर, मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज, फर्स्ट रेंज ।
६८	डा० आर० डी० भार्गव	म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, बरेली ।
६९	डा० जे० एस० आनन्द	" " " नैनीताल ।
७०	डा० एच० एन० शिवपुरी	उप संचालक, इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस
७१	डा० एम० एन० अगरवाल	म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, हरद्वार ।
७२	डा० एम० आर० अगरवाल	" " चंदौसी ।
७३	डा० आर० के० सिंह	" " गाजीपुर ।
७४	डा० एस० एस० गंगवार	" " कासगंज ।
७५	डा० मंगल सेन	आसिस्टेन्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, देहरादून ।
७६	डा० मित सिंह	मेडिकल आफिसर इंचार्ज, सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो, लखनऊ ।
७७	डा० पशौरा सिंह	म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, सिकन्दराबाद ।
७८	डा० छोटे लाल गुप्ता	" " "बुलन्दशहर ।
७९	डा० बी० एस० गुप्ता	स्कूल हैल्थ आफिसर, गोरखपूर ।
८०	डा० आत्माराम	असिस्टेन्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, आगरा ।
८१	डा० बी० के० दुबे	म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, हापुड़ ।
८२	डा० बी० पी० शुक्ला	" " फिरोजाबाद ।
८३	डा० छोटेलाल सक्सेना	" " संडीला ।
८४	श्री सी० एस० गौन	पर्सनल असिस्टेन्ट, इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स, यू० पी० ।
८५	श्री इमदाद अली अंसारी	जेलर ।
८६	श्री बी० पी० माथुर	डिप्टी डाइरेक्टर आन स्पेशल ड्यूटी, सूचना विभाग ।

उन गजटेड पदाधिकारियों के नाम जो १ जुलाई, १९५५ को एक्सटेन्शन पर काम कर रहे थे

	नाम	पद
१	श्री पी० एल० सोंधी	डिप्टी सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज ब्रांच ।
२	श्री राज नरायन ककड़	डिप्टी कलेक्टर, एटा ।
३	मेजर एच एस० तड़ागी	सेक्रेटरी यू० पी० सोल्जर्स, सेलर्स एंड ऐयरमेन्स बोर्ड ।
४	श्री एस० एस० नेगी	कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स लैन्ड मैनेजमेन्ट सर्किल, यू० पी० ।
५	श्री पी० एल० शर्मा	डिप्टी डाईरेक्टर एनिमल, हस्बेन्ड्री
६	श्री पी० एन० जोशी	डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर, अल्मोड़ा
७	श्री श्रीराम सिंह	प्रांविंशियल मार्केटिंग आफिसर
८	श्री पी० एम० तलाती	चार्ज इंजीनियर, कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन ।
९	श्री पी० पोंच खनवाल	असिस्टेन्ट रेजीडेन्ट इंजीनियर, कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिट्रेशन ।
१०	श्री मुनेश्वर लाल	असिस्टेन्ट इंजीनियर
११	श्री रोमेन्द्र नाथ मुकर्जी	सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर
१२	श्री डी० ए० कुलकर्नी	डिप्टी डाईरेक्टर आफ मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज (आयुवद) ।
१३	श्री रमेश चन्द्र	निजी सहायक, शिक्षा मंत्री ।
१४	डा० बंसीधर	असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर राशनलाइजेशन ।

नत्थी 'च'

सूची

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

बिजनौर जिले में पिछले चार वर्षों में निम्नलिखित चार मार्गों के नाम जिलाधीशों के नाम पर रक्खे गये :—

	मार्ग का नाम	गांव
१	बृजलालचक मार्ग	भोगी
२	छेदी लाल मार्ग	शालू
३	छेदीलाल मार्ग	मोगलपुरा
४	छेदी लाल मार्ग	रफीपुर मोहन

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २९४ पर)

जौनसार बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक १९५५

देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना में राज्य और कृषक के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने तथा वहां भौमिक सुधारों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना में राज्य और कृषक के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार (rights) आगम (title) और स्वत्व (interest) अर्जित किये जायं और वहां भौमिक सुधारों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ।

१—(१) यह अधिनियम जौनसार बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के समस्त जौनसार बावर परगना में होगा ।

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रचलित हो जायगा । शेष अध्याय ऐसे दिनांक या दिनांकों से प्रचलित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एतदर्थ निश्चित करे। इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न अध्यायों के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "कलेक्टर" का तात्पर्य देहरादून जिले के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर भी है, जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के समस्त अथवा किन्हीं कृत्यों के सम्पादन का विशेष रूप से अधिकार दिया हो ;

(ख) "कमिश्नर" का तात्पर्य मेरठ डिवीजन के कमिश्नर से है और इसके अन्तर्गत मेरठ डिवीजन का अतिरिक्त कमिश्नर भी है ;

(ग) "प्रचलित बन्दोबस्त" का तात्पर्य मालगुजारी के उस बन्दोबस्त से है, जो इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उक्त परगना में प्रवृत्ति हो;

(घ) "गैर मौरूसी काश्तकार" का वही अर्थ होगा जो उक्त परगना के दस्तूर–उल–अमल में उसे (ghair-maurusi cultivator) दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसी भूमि में काश्त करता हो, जिसके लिये वह जमींदार को लगान देता हो, में? जिसका वह, किसी संविदा या अनुबंध

(contract or agreement) के न होने की स्थिति में, उसे देनदार होता;

स्पष्टीकरण—इस खंड (clause) के प्रयोजनों के लिये ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास सेवा भौमिक अधिकार (service tenure) के आधार पर कोई भूमि हो, लगान का देनदार समझा जायगा ।

(ङ) "मध्यवर्ती" (Intermediary) का किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमि के जमींदार से तात्पर्य है यदि वह भूमि किसी गैर मौरूसी काश्तकार की काश्त में हो, किन्तु इसके अन्तर्गत धारा ३२ में निर्दिष्ट किसी भूमि का जमींदार नहीं है;

(च) "खाग" का तात्पर्य किसी खात के कोई उपखंड (sub-division) से है ;

(छ) "खात"का तात्पर्य गांवों के एक ऐसे समूह से है, जिसे माल-गुजारी के निर्धारण के लिये प्रचलित बन्दोबस्त में एक एकक (unit) माना गया हो और बन्दोबस्त अभिलेखों (settlement records) में इसी रूप में दर्ज किया गया हो;

(ज) "विधि" (Law) के अन्तर्गत कोई ऐसा अध्यादेश, आज्ञा उपविधि, नियम, विनियम, विज्ञप्ति, रीत या रिवाज (ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage) है, जिसका इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उक्त परगनों में विधि के रूप में प्रभाव हो;

(झ) "मौरूसी काश्तकार" का वही अर्थ होगा जो दस्तूर-उल-अमल में उसे (*maurusi* cultivator) को दिया गया है;

(ञ) "परगना" का तात्पर्य देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना से है;

(ट) "नियत" (Prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ठ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से ह;

(ड) शब्द और पद "भूमि", "पट्टा", "स्वामी", "गांव" और "गांव सभा" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि –व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) में प्रयुक्त हुये हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ; उ० प्र० का अधिनियम सं० १, १९५१ ।

(ढ) शब्द और पद "बाग", "खाता" "लगान" और "सायर" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो यू०पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में प्रयुक्त हुये हैं; वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "grove", "holding," "rent" और "sayar" का है;

(ण) शब्द और पद "मालगुजारी", "बोर्ड" और "तहसीलदार" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में प्रयुक्त हुये हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "Revenue", "Board" और "Tahsildar" का है; और

(त) "ज़मींदार" का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमि के या उसके किसी भाग के स्वामी से है।

अध्याय २
बन्दोबस्त

बन्दोबस्त के सम्बन्ध में विज्ञप्ति।

३—राज्य सरकार इस अध्याय के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा कर सकती है कि उक्त परगना या उसका कोई स्थानीय क्षेत्र, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाय, बन्दोबस्त कार्यों के अन्तर्गत लाया जाता है और तत्पश्चात् उसे बन्दोबस्त के अन्तर्गत रखा जायगा और तब तक वह इसी रूप में रहेगा जब तक कि राज्य सरकार यह घोषित करते हुये कोई दूसरी विज्ञप्ति न जारी करे कि बन्दोबस्त बन्द कर दिया गया है।

बन्दोबस्त अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार।

४—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यथास्थिति उक्त परगनों के अथवा उसमें स्थित किसी स्थानीय क्षेत्र के बन्दोबस्त के अध्यक्ष (in charge) के रूप में एक अधिकारी का, जिसे आगे बन्दोबस्त अधिकारी (Settlement Officer) कहा गया है तथा उतने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (Assistant Settlement Officer) जितने आवश्यक समझे जायं, नियुक्त कर सकती है।

अभिलेखों का तैयार किया जाना तथा उनका निरीक्षण।

५—यदि इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र को बन्दोबस्त कार्यों के अन्तर्गत लाये जाने की घोषणा की जाय, तो बन्दोबस्त अधिकारी या यदि बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे निर्देश दे तो सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे क्षेत्र के प्रत्येक गांव का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक खाते के सम्बन्ध में अभिलेख तैयार करेगा, जिसमें निम्नांकित दिखाये जायेंगे :—

(१) प्रत्येक खाते का क्षेत्रफल,

(२) खाते के ज़मींदार का नाम,

(३) खाते के काश्तकार का नाम,

(४) खाते में सम्मिलित भूमि धारा ३२ में में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत आती है या नहीं और

(५) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

ज़मींदारों से संबद्ध विवरणों का रजिस्टर।

६—धारा ५ में उल्लिखित अभिलेख तैयार हो जाने पर, बन्दोबस्त अधिकारी ऐसा रजिस्टर तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक ज़मींदार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :—

(१) नाम,

(२) ज़मींदार के स्वामित्व में खाते का कुल क्षेत्रफल,

(३) उन खातों का क्षेत्रफल जो गैर मौरूसी काश्तकारों के कब्जे में हों, और

(४) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

प्रत्येक जमींदार की मालगुजारी का निर्धारण ।

७—बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक खाते के सम्बन्ध में निर्धारित मालगुजारी को उस खाते के जमींदारों में उनके स्वामित्व में रहने वाले क्षेत्रफल के अनुपात में नियत रीति से विभाजित करेगा ।

मालगुजारी निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तावों का प्रकाशन ।

८—धारा ७ के अधीन मालगुजारी का विभाजन हो जाने पर, बन्दोबस्त अधिकारी प्रस्तावों को नियत रीति से प्रकाशित करेगा और आपत्तियों पर, जो प्रस्तुत की जायं, विचार करके उन प्रस्तावों को आपत्तियों, यदि कोई हों, तथा ऐसी आज्ञाओं के सहित, जो उसने उनके सम्बन्ध में दी हों, कमिश्नर को प्रस्तुत करेगा जो उनका अनुमोदन या परिष्कार (approve or modify) करेगा । और वह दिनांक भी निश्चित करेगा जब से वे प्रस्ताव कार्यान्वित किये जायं ।

प्रत्येक जमींदार द्वारा देय माल-गुजरी की घोषणा ।

९—बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक जमींदार द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि, जैसी कि धारा ८ के अधीन अनुमोदित या परिष्कृत हुयी हो, नियत रीत से घोषित करेगा और किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी धनराशि प्रत्येक जमींदार द्वारा राज्य सरकार को देय होगी ।

लगान का नगदी में परिवर्तन ।

१०—(१) यदि किसी खाते के सम्बन्ध में कोई लगान न दिया जाता हो, किन्तु उसके लिये देय हो या यदि लगान जिन्सी (in kind) या खड़ी फसल के किसी अनुमान या कूत के आधार पर या बोयी गयी फसल के साथ बदलने वाली दरों के आधार पर या अंशतः इनमें से किसी एक और अंशतः किसी दूसरे प्रकार से अथवा ऐसे ही अन्य प्रकारों से दिया जाता हो या यदि लगान के बदले किसी प्रकार की सेवा की जाती हो तो बन्दोबस्त अधिकारी देय लगान का या सम्बद्ध काश्तकार (tenant) द्वारा की जाने वाली सेवा के नगदी मूल्य (cash value) का निर्धारण नियत रीति से करेगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्धारित लगान उस खाते की, जिसमें वह खाता स्थित हो, मालगुजारी के अनुपात (incidence) के अनुसार खाते (holding) पर निर्धारण योग्य मालगुजारी के तिगुने से अधिक न होगा ।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी उपधारा (१) के अधीन निर्धारित लगान की सूचना सम्बद्ध खातों (holdings) के जमींदारों तथा काश्तकारों को नियत रीति से देगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन निर्धारित लगान उस दिनांक से देय होगा, जो कमिश्नर ने धारा ८ के अधीन प्रत्येक जमींदार द्वारा देय मालगुजारी सम्बन्धी प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये निश्चित किया हो ।

प्रथम अपील

११—(१) इस अध्याय के अधीन—

(क) सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा से बन्दोबस्त अधिकारी को, और

(ख) बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा से कमिश्नर को अपील की जा सकेगी ।

(२) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये शब्द "आज्ञा" में ऐसी घोषणा सम्मिलित है, जो किसी जमींदार द्वारा देय मालगुजारी के सम्बन्ध में धारा १३ के अधीन की जाय ।

द्वितीय अपील

१२—बन्दोबस्त अधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा दी गयी आज्ञा से केवल निम्नलिखित दशाओं में बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील (Second Appeal) की जा सकेगी :—

(क) जब मूल आज्ञा अपील में परिवर्तित अथवा रद्द कर दी जाय अथवा उलट दी जाय (varied, cancelled or reversed,) या

(ख) किसी निम्नलिखित कारण के आधार पर, अर्थात्

(१) निर्णय के किसी विशिष्ट (specified) विधि के प्रतिकूल होने की दशा में;

(२) निर्णय से विधि के किसी महत्वपूर्ण विषय (material issue of law) का निर्धारण न हो सकने की दशा में ; और

(३) इस अधिनियम द्वारा नियत प्रक्रिया में ऐसी कोई सारवान (substantial) भूल या दोष (error or defect) रह जाने की दशा में, जिसके फलस्वरूप मुकदमे का गुणानुसार (upon the merits) निर्णय करने में कोई भूल या दोष रह गया हो।

यू०पी० ऐक्ट सं० ४, १९०१ की धाराओं २१४–२१७ और २२० के उपबन्धों का लागू होना।

१३—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धाराओं २१४, २१५, २१६, २१७ और २२० के उपबन्ध इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर उसी रूप में लागू होंगे जिस रूप में वे उक्त ऐक्ट के अधीन किसी अपील पर लागू होते हैं ।

पुनरीक्षण

१४—बोर्ड किसी ऐसे मुकदमे के अभिलेख मंगा सकता है जिसमें बोर्ड को अपील न प्रस्तुत की जा सकती हो, यदि यह प्रतीत होता हो कि उस अधिकारी ने, जिसके द्वारा उक्त मुकदमा निर्णीत हुआ हो, ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं था या इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है अथवा उसने अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से (substantial irregularity) कार्य किया है । ऐसे मुकदमे में बोर्ड ऐसी आज्ञा दे सकता है जैसी कि वह उचित समझे।

अध्याय ३

मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन तथा उसके परिणाम

मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्वों का अर्जन।

१५—(१) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ३ में निर्दिष्ट द्वितीय विज्ञप्ति के जारी होने पर यथा शीघ्र राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके घोषणा कर सकेगी कि उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से, उक्त परगना के समस्त मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक के प्रारम्भ से (जिसे आगे निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा) समाप्त हो जायेंगे और, उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है, सब भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायेंगे।

(२) यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो उसके लिये उपधारा (१) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति को समय-समय पर केवल ऐसे खात या खातों के सम्बन्ध में जारी करना वैध होगा जो निर्दिष्ट किये जायं और उपधारा (१) के सब उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके विषय में लागू होंगे।

धारा १५ के अधीन अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने के परिणाम ।

१६—धारा १५ के अधीन गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर, किसी संविदा (contract), लेख्य या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी और इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर विज्ञप्ति से सम्बद्ध भूमि के (जिसे आगे विज्ञप्ति भूमि कहा गया है) विषय में निर्दिष्ट दिनांक के प्रारम्भ से आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे अर्थात्

(क) विज्ञप्ति भूमि में मध्यवर्ती के सब अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त होकर और समस्त भारों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो जायेंगे ;

(ख) समस्त विज्ञप्ति भूमि के सम्बन्ध में जो निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर गैर मौरूसी काश्तकार के रूप में किसी व्यक्ति के पास हो, यह समझा जायगा कि राज्य सरकार ने उसका बन्दोबस्त उक्त व्यक्ति के साथ कर दिया है और वह व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उस भूमि के सीरदार के रूप में उस पर कब्जा करने या कब्जा रखने का अधिकारी होगा ;

(ग) (१) विज्ञप्ति भूमि के सम्बन्ध में निर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये गैर-मौरूसी काश्तकार द्वारा देय सभी लगान, जो सम्बद्ध मध्यवर्ती के अधिकार आगम और स्वत्व को अर्जित न किये जाने की दशा में उस मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के विपरीत कुछ दिया जायगा तो देने वाला अपने दायित्व से बंध रूप से मुक्त नहीं होगा;

(२) यदि निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किये गये किसी अनुबंध या संविदा के अधीन कोई लगान उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिये मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) किया गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को धारा २० के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा;

(घ) मध्यवर्ती मालगुजारी की उस समस्त बकाया का देनदार रहेगा जो निर्दिष्ट दिनांक से पहले की किसी भी अवधि के लिये उससे प्राप्य (due) हो और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को धारा २० के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल किया जा सकेगा;

(ङ) इस प्रकार अर्जित किये गये किसी मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व किसी दीवानी या माल न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन

में कुर्क किया या बेचा नहीं जा सकेगा और निर्दिष्ट दिनांक पर वर्तमान कोई भी कुर्की अथवा उस दिनांक से पहले दी गयी कुर्की की आज्ञा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निष्प्रभाव हो जायगी ;

(च) किसी ऐसे रुपये के लिये, जो विज्ञप्ति भूमि पर भारित अथवा उस भूमि में किसी बन्धक द्वारा सुरक्षित है, कोई दावा या दायित्व (claim or liability), जो निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व मध्यवर्तीद्वारा उसके विरुद्ध किया जा सकता हो या उपगत (incurred) किया गया हो, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में दी हुई रीति से भिन्न किसी रीति से ऐसी भूमि या गैर मौरूसी काश्तकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय (enforceable) न होगा;

(छ) इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा :—

(१) किसी विज्ञप्त भूमि में समाविष्ट (comprised) किन्हीं खानों को चलाते रहने का अधिकार जो तत्समय, प्रचलित विधि द्वारा नियमित होगा, और

(२) निर्दिष्ट दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों (dues) की बकाया की वसूली का अधिकार। ये बकाये इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री या लगान का बकाया न देने के कारण बेदखली की कोई आज्ञा वाद ऋणी (judgment-debtor) को उसके खाते से बेदखल कर के निष्पादित नहीं की जायगी; और

(ज) ऐसे समस्त वाद (suits) और कार्यवाहियां, जो नियत की जायं और जो निर्दिष्ट दिनांक पर किसी न्यायलय में विचाराधीन हों तथा ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में निर्दिष्ट दिनांक से पहले दी गयी किसी डिक्री या आज्ञा से संबद्ध सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी (shall be stayed).

राज्य में निहित भूमिगत स्वत्वों का कलेक्टर द्वारा अवधान में ले लिया जाना ।

१७—धारा १५ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये वह वैध (lawful) होगा, कि वह—

(क) किसी विज्ञप्त भूमि तथा ऐसे सभी स्वत्व अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये तथा ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अर्जित किसी भूमि में प्रवेश करे और उसका पर्यावलोकन (survey) या उस की पैमाइश करे अथवा कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे ;

(ग) किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे कि वह व्यक्ति किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उक्त किसी भूमि या उस के भाग से सम्बद्ध बही, हिसाब (account) या अन्य लेख्य प्रस्तुत करे और उस प्राधिकारी को अन्य ऐसी सूचना भी दे जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय; और

(घ) यदि आज्ञानुसार बही, हिसाब और अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जांय तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा अन्य लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले।

मध्यवर्ती को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार ।

१८—प्रत्येक मध्यवर्ती को, जिसके अधिकार, आगम और स्वत्व धारा १५ के अधीन अर्जित कर दिये गये हों, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर दिया जायगा।

प्रतिकर विवरण-पत्र।

१९—(१) मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने के निमित्त प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान करने के प्रयोजन के लिये प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायंगी :—

(क) मध्यवर्ती का या मध्यवर्तियों के नाम,

(ख) विज्ञप्त भूमि पर काबिज गैर मौरूसी काश्तकार के सम्बन्ध में लगान की स्वीकृत दरें,

(ग) विज्ञप्त भूमिसे मध्यवर्ती की लगानी आय (rental income), और

(घ) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

(२) लगानी आय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) गैर मौरूसी काश्तकार द्वारा देय लगान—

(१) नगदी के रूप में, अथवा

(२) यदि लगान नगदी के रूप में देय न हो तो देय लगान का नगदी मूल्य (cash value) जैसा कि वह धारा १० के अधीन नगदी में परिवर्तित (commuted) करके निर्धारित किया गया हो।

मध्यवर्ती को प्रतिकर ।

२०—धारा १८ के अधीन मध्यवर्ती को देय प्रतिकर की धनराशि धारा १९ में निर्दिष्ट लगानी आय (rental value) के सोलह गुने के बराबर होगी।

विवरण-पत्र का प्रारंभिक प्रकाशन

२१—धारा १९ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर विवरण-पत्र नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उस की एक प्रति सम्बद्ध मध्यवर्ती को भी भेजी जायगी।

आपत्तियों का प्रस्तुत किया जाना।

२२—स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति या राज्य सरकार विवरण-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसे विवरण-पत्र के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी के समक्ष नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है।

आपत्तियों का निपटारा ।

२३—(१) उस दशा को छोड़ कर जिसकी उपधारा (२) में व्यवस्था की गयी है, प्रतिकर अधिकारी धारा २२ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, तो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई कर के नियत रीति से आपत्तियों का निपटारा करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्ति—

(क) यह हो कि सम्बद्ध भूमि विज्ञप्त भूमि नहीं है, तो प्रतिकर अधिकारी इस आशय का विचारणीय विषय (issue) निश्चित करेगा और उसे परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector incharge of the Sub-division) को निपटारे के लिये भेज देगा;

(ख) के अन्तर्गत आगम (title) का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो (involved) और ऐसा प्रश्न पहले किसी सक्षम न्यायालय (competent court) द्वारा निर्णीत (determined) न हुआ हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस प्रश्न को निर्णयार्थ जिला जज को भेज देगा।

स्पष्टीकरण—इस बात से कि कोई व्यक्ति गैर मौरूसी काश्तकार है या नहीं, यह नहीं समझा जायगा कि इस खंड के आशय के अन्तर्गत आगम का कोई प्रश्न उठता है।

(३) जिला जज उस प्रश्न का, जो उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन उसे भेजा जाय, नियत रीति से निर्णय करेगा और उसका तत्सम्बन्धी निर्णय अन्तिम होगा।

कलेक्टर के समक्ष अपील।

२४—किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी, कोई भी व्यक्ति जो धारा २३ के अधीन आपत्ति का जहां तक उस का सम्बन्ध प्रतिकर की धनराशि से हो निर्णय करने वाले प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। कलेक्टर ऐसी अपील का नियत रीति से निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

विवरण-पत्र का अन्तिम रूप से प्रकाशन ।

२५—(१) यदि धारा २१ के अनुसार प्रकाशित प्रतिकर विवरण-पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गयी हो, या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो और उसका अंतिम रूप से निपटारा हो चुका हो, तो विवरण-पत्र यदि आवश्यक हो तो संशोधित परिवर्तित (altered) या परिष्कृत किया जायगा। प्रतिकर अधिकारी विवरण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षरित और मुहर लगाया हुआ विवरण-पत्र अंतिम (final) होगा।

(३) अंतिम विवरण-पत्र की एक प्रति सम्बद्ध मध्यवर्ती को निःशुल्क दी जायगी।

प्रतिकर का भुगतान।

२६—(१) उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गयी है, धारा २५ में अभिदिष्ट (referred) अंतिम प्रतिकर विवरण-पत्र में उल्लिखित प्रतिकर नगदी के रूप में एक मुश्त या १० से अनधिक वार्षिक किश्तों में जो भी नियत किया जाय, दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस मध्यवर्ती को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण-पत्र में दर्ज हो और यदि प्रतिकर पाने से पूर्व ही मध्यवर्ती

की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ६९ और ७० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर पर लागू होंगे।

अध्याय ४
भूमि का प्रबन्ध

भूमि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण।

२७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी गांव सभा को गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी निश्चित दिनांक से राज्य सरकार के लिये और उस की ओर से, ऐसी भूमियों और वस्तुओं के (इसमें बन तथा बिना जोती हुई ऐसी नौतोड़ भूमि भी सम्मिलित है जो किसी जमींदार के स्वामित्व में हो) जो नियत की जायं, सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, परिरक्षण और नियंत्रण का भार सौंपा जा सकेगा।

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की ११८ से १२८ तक की धाराओं का लागू होना।

२८—यदि किसी गांव सभा को धारा २७ के अधीन, किसी क्षेत्र में स्थित भूमियों और वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, परिक्षण और नियंत्रण का भार सौंपा गया हो तो उक्त परगना पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम ऐक्ट की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से लेकर धारा १२८ तक के उपबन्ध और धारा १२८ के अधीन निर्मित तत्सम्बन्धी नियमों के उपबन्ध लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद (exception) कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों। ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायगी।

अध्याय ५
भौमिक अधिकार (land tenure) तथा मालगुजारी

भौमिक अधिकार के वर्ग।

२९—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये खातेदारों (tenure-holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे, अर्थात्

(क) भूमिधर,

(ख) सीरदार, और

(ग) असामी।

भूमिधर

३०—(१) इस अध्याय के प्रवृत होने के दिनांक से विज्ञप्त भूमि से भिन्न भूमि का प्रत्येक जमींदार, किसी विधि में, किसी बात के रहते हुये भी, उक्त भूमि का भूमिधर कहलायेगा और माना जायगा।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) के अधीन भूमिधर माना जाता हो और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले, वे सभी अधिकार प्राप्त

होंगे और वह उन सभी दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम के द्वारा, या अधीन, उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

सीरदार

३१—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को—

(क) जो धारा १६ के अधीन मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये जाने के फलस्वरूप सीरदार बन जाय,

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन और अनुसार खाली भूमि का सीरदार बनाया जाय, और

(ग) जो इस अधिनियम के अधीन और अनुसार किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले :

वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

असामी

३२—(१) इस अध्याय के प्रवृत्त होने के दिनांक से निम्नलिखित वर्गों में से किसी भी वर्ग की भूमि का प्रत्येक गैर मौरूसी काश्तकार किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी उक्त भूमि का असामी कहलायेगा और माना जायगा।

(क) बाग भूमि,

(ख) पशुचर भूमि (pasture land) या ऐसी भूमि जो जलमग्न हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(ग) भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर दी हो कि वह अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) काश्त के भूखंड (tract) का भाग है या उसमें दौगिया रीति से वृक्ष लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गयी है, और

(घ) भूमि, जो किसी ऐसे जमींदार या किन्हीं ऐसे जमींदारों से ली गयी हो, जिनमें से सभी सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था-अधिनियम (ऐक्ट) को, जैसा कि वह उक्त परगना पर लागू होता है, धारा १५७ के (ख) से (छ) तक के खंडों में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक वर्ग के हों।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) के अधीन असामी माना जाय और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार खाली भूमि असामी के रूप में उठा दी जाय या जो किसी अन्य प्रकार से असामी के अधिकार प्राप्त कर ले, वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सभी दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इनके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

उत्तराधिकारी

३३—यदि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी की मृत्यु हो जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी अवक्रमण उत्तराधिकार और दाय (devolution, succession and

inheritance) के विषय में उस पर लागू होने वाली विधि से उसी प्रकार नियमित होते रहेंगे, मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १ १९५१ ई० के अध्याय ८ और १० के उपबन्धों का लागू होना।

३४--(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्थ अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १३४ से १३९ तक, १४१ से १४६ तक, १५२ से १६८ तक, १७६ से १९५ तक, १९७ से २११ तक, २१२-ख-२१२-ग, २१३ से २३० तक और अध्याय १० की धारायें २४१ से २९४ तक के उपबन्ध और उक्त अधिनियम की धारा २३० और २९४ के अधीन निर्मित नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*) उक्त परगना पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कर, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अध्याय के आरम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ का उक्त परगना पर लागू होना।

३५--(१) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के जैसा कि वह १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित हुआ है उपबन्ध तथा उसके अधीन निर्मित नियम या विनियम (rules ot regulaions) अथवा उसके अधीन जारी की गयी आज्ञाएं आवश्यक परिवर्तनों सहित उक्त परगना पर लागू होंगी, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित कर के ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायलय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

अध्याय ६

प्रकीर्ण

प्रतिकर अधिकारियों की नियुक्ति।

३६--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार प्रतिकर अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

(२) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त किये गये प्रतिकर कमिश्नर तथा सम्बद्ध क्षेत्र (region) के सहायक प्रतिकर कमिश्नर उक्त परगने के लिये क्रमशः प्रतिकर कमिश्नर और सहायक प्रतिकर कमिश्नर होंगे।

अधिकार और कर्त्तव्य।

३७--(१) प्रतिकर कमिश्नर और सहायक प्रतिकर कमिश्नर प्रतिकर अधिकारी के कार्यों के निरीक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग और उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १,१९५१ ई० के अध्याय १२ की कतिपय धाराओं के उपबन्धों का परगना पर लागू होना।

३८--(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ३२१ से ३३६ तक, ३३८ और ३४१ से ३४४ तक के उपबन्ध तथा उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन निर्मित नियमों के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उक्त परगना पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(२) ऐसे प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

धारा ३४,३५ या ३८ के अधीन निर्मित आज्ञायें राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायंगी।

३९--धारा ३४, ३५ या ३८ के अधीन जारी की गयी कोई आज्ञा जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखी जायंगी और वह उन परिष्कारों के अधीन रहेगी, जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वह आज्ञा इस प्रकार रखी गई हो।

निवर्तन

४०--यदि इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व उक्त परगना में भौमिक अधिकार विषयक कोई विधि (law) प्रवृत्त हो, तो ऐसी विधि का वह अंश जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, उस दिनांक से और उस सीमा तक जिस तक यह अधिनियम धारा (१) की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन और अनुसार प्रवृत्त हो, निवर्तित (repeal) हो जायगा और इस प्रकार निवर्तित विधि पर यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निवर्तित कोई विधायन (enactment) था।

नियम बनाने का अधिकार।

४१--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) गांव के निरीक्षण तथा धारा ५ के अधीन अभिलेखों (records) की तैयारी से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ख) धारा ६ के अधीन रजिस्टरों की तैयारी से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ग) वह रीति जिससे धारा ८ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत की जायगी और उसका निपटारा किया जायगा;

(घ) धारा १५ के अधीन भूमियों तथा स्वत्वों के निहित होने से पूर्व की कार्यवाहियां;

(ङ) धारा १६ के अधीन स्थगित वादों तथा कार्यवाहियों (proceedings) का निपटारा;

(च) धारा १७ के अधीन भूमियों तथा स्वत्वों के अवधान में लिये जाने से सम्बद्ध विषय;

(छ) वह रीति तथा आकार (form) जिनके अन्तर्गत धारा १९ के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र तैयार किया जायगा;

(ज) वह रीति तथा आकार (form) जिनके अन्तर्गत धारा २२ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी;

(झ) वह प्रक्रिया जिसका धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन न्यायालय अथवा प्राधिकारी के अधिकार में प्रतिकर की धनराशि दे देने में अनुसरण किया जायगा;

(ञ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) नियम बनाने के संबंधमें इस अधनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था करने का अधिकार भी है :—

(क) ऐसी कालावधि (limits of time) नियत करना, जिसके भीतर नियत की गयी अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को अधिकार देकर या न देकर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बातें अवश्य की जायं;

(ख) ऐसे मामलों में, जिनके विषय में इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र, वाद या दूसरी कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) ऐसे मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि ;

(ङ) ऐसे मामलों में, जिनके लिये इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं बनाया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;

(च) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों (applications) अपीलों और कार्यवाहियों (proceedings) पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना;

(छ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार या किसी दूसरे प्राधिकारी अधिकारी या व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation); तथा

(ज) एक प्राधिकारी या अधिकारी से दूसरे प्राधिकारी या अधिकारी, को कार्यवाहियों का संक्रामण (transfer)।

(४) इस अधिनियम द्वारा दिया गया नियम बनाने का प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे ।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायेंगे और व एसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिनमें वे इस प्रकार रक्खे जायं ।

उद्देश्य और कारण

१९५०ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) में, इस अधनियम के उपबन्धों को, ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के अधीन रहते हुये जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो परन्तु जो आवश्यक हो राज्य सरकार द्वारा परगना जौनसार-बावर पर लागू करने की व्यवस्था की गयी है इस परगना की परिस्थिति भिन्न (peculiar) है और यह सम्भव नहीं है कि सारवान परिवर्तन किये बिना उत्तर प्रदेश जमींदारी बिनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को उक्त परगना में लागू किया जाय। अतएव सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का निश्चय किया है।

२—विधेयक की प्रमुख विशेषताएं ये हैं :

(१) प्रत्येक खात या खाग पर इस समय निर्धारित मालगुजारी का उसके जमींदारों में वितरण।

(२) कुछ अपवादों को छोड़कर काश्तकारों के कब्जे में रहने वाली भूमि में जमीदारों के अधिकारों का अर्जन।

(३) परगना जौनजार-बावर में भौमिक अधिकारों की वैसी ही व्यवस्था करना जैसी कि उत्तर प्रदेश जमीदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शेष राज्य में की गयी है।

चरण सिंह
राजस्व मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११५ एल० ए०—१९५६—७९६।